



अनुसूची-24 / SCHEDULE-24

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. राजस्व मान्यताः

पत्तन की आय के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है:

- क) जलयान संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से पाइलटेज, पत्तन देय और घाट किराया प्रभार शामिल हैं,
- ख) कार्गी संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर और बल्क दोनों के लिए प्रहस्तन प्रभार और घाट शुल्क शामिल हैं,
- ग) कंटेनर और बल्क दोनों प्रकार के कार्गों पर विराम समय प्रभार,
- भूमि और इमारतों के लिए सम्पदा संबंधी प्रभार, यथा किराया, जल और विद्यत,
- च) बी.ओ.टी. परियोजनाओं एवं न्यूनतम निश्चित व्यवसाय से प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व,
- छ) निवेशों पर ब्याज/लाभांश आय,
- ज) बी ओ टी प्रचालकों को दी गई सेवाएँ।

उपर्युक्त (क) एवं (ख) पर बताए गए जलयान संबंधी प्रभारों और कार्गों संबंधी प्रभारों को सेवा पूरी तरह देने के बाद तत्काल स्वीकार किया जाता है। जलयान और संबंधित कार्गों के मामले में, यदि सेवा लेखाकरण अवधि के अंत तक पूरी नहीं होती है तो राजस्व को अगली लेखाकरण अवधि में स्वीकार किया जाता है। यह लेखाकरण मानक-9 (राजस्व मान्यता) के अंतर्गत पूरी ङ्क्षेका विधि के अनुसार है। बिंदु (ग) पर दशाई गई विराम समय आय को कार्गों के पत्तन परिसर में रहने की अवधि में से निशुल्क अवधि कम करके कार्गों के पत्तन से जाने के बाद ही लेखे में शामिल किया जाता है। विराम समय प्रभार दिन प्रति दिन उपार्जित नहीं होते हैं।

सम्पदा संबंधी प्रभारों के मामले में किराए हर महीने या उसके अंश में देय हैं। इसलिए, किराए की आय महीने के आरंभ में ही लेखे में शामिल कर ली जाती है। जल प्रभारों के मामले में, जहाँ प्रभार निश्चित हैं, वहाँ महीने के आरंभ में और जहाँ मीटर रीडिंग के आधार पर खपत का निर्धारण किया जाता है, वहाँ राजस्व को आने वाले महीने की बिलिंग में लिया जाता है। विद्युत प्रभारों के मामले में, आय बिलिंग के आधार पर अर्थात, अगले महीने लेखे में ली जाती है।

बंधपत्र, सावधि जमा के ब्याज को उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है।

बीओटी परियोजना से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी/राजस्व को बीओटी प्रचालकों के वास्तविक निष्पादन और न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय पर उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है। टैंक फार्म के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय सम्बंधी अर्थदण्ड को वित्तीय वर्ष 2005-06 तक

1. Revenue Recognition

The Port's major sources of income are classified as follows:


- a) Vessel Related Charges consisting mainly of Pilotage, Port dues and berth hire charges,
- b) Cargo related charges consisting mainly of handling charges and wharfage charges for both Container and Bulk,
- c) Dwell time charges on cargo both Container and Bulk,
- d) Estate Related Charges for land and buildings, namely, Rent, Water and Electricity,
- e) Royalty/Revenue sharing from BOT Projects & MGT.
- f) Interest/Dividend Income on investments,
- g) Services rendered to BOT operators.


Vessel Related Charges and Cargo Related Charges at (a) & (b) above are recognized immediately on completion of the services to be rendered. For vessels and related cargo, where the service is not completed at the end of the accounting period, the revenue is recognized in the next accounting period. This is as per the completed service contract method under AS-9 (Revenue Recognition). Dwell time income at (c) is recognized only when the cargo departs from the Port premises, for the period the cargo was in the Port, after reducing any free period applicable. Dwell time charges are not accrued on day to day basis.

For Estate Related Charges, rents are payable per month or part thereof. Therefore, rental income is recognized in the beginning of the month. In the case of water charges, where the charge is fixed the income is recognized in the beginning of the month and where the consumption is dependent on the meter reading, revenue is recognized on the billing done in the subsequent month. In the case of electricity, income is recognized on billing i.e. in the subsequent month.

Interest on Bonds, Fixed Deposits is recognized on accrual basis.

Royalty/Revenue sharing from BOT projects are recognized on accrual basis, on the BOT operators' actual performance and Minimum Guaranteed Throughput. MGT penalty for tank farms is recognized on accrual basis based on





संबंधित टैंक फार्म प्रचालकों की पट्टे की अवधि की वार्षिक तारीखों पर उपार्जन आधार पर लेखित किया गया है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान टैंक फार्म प्रचालकों के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय में कमी होने पर घाट शुल्क के बिल न उगाहने का निर्णय लिया गया क्योंकि इस आय में अनिश्चिबनी रहती है और साथ ही यह पूरा मामला विवाचन के लिए भेजा गया था। किन्तु, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम सुनिश्चि व्यवसाय एक संविदागत बाध्यता भी है तथा उनके बिलों को न वसूला जाना बाद में हमारे दावे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, वर्ष 2006-07 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बिल वसूलने का निर्णय लिया गया। अन्य प्रचालकों से भी ङ्केका दायित्व के अनुसार न्यूनतम सुनिश्चिव्यवसाय दण्ड उपार्जित आधार पर लेखे में लिया गया है। (लेखाकरण नीति सं. 12 भी देखिए।)

संरक्षी और सावधान रहने की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों के अग्रिमों और उन पर ब्याज सहित सभी प्रकार की आय को नकद रूप से लेखें में लिया गया है।

2. नियत परिसम्पत्तियाँ

क) वास्तविक लागत, जिसमें निर्माण लागत, आयात कर सिंहत क्रय मूल्य, अन्य कर और पिरसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए चालू हालत में लाने की प्रत्यक्ष आरोप्य लागत भी है, को बिहयों में ऐतिहासिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

निर्माण की अविध में पूंजीकृत परिसम्पत्तियों के मामले में आरंभ होने की तिथि अर्थात 26 मई, 1989 तक ऋणों पर उपार्जित ब्याज को भी पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के आरंभ की तिथि तक सभी प्रकार के व्यय पूंजीकृत किए गए हैं।

- ख) प्रशासन और अन्य सामान्य उपिरव्यय जब तक पिरयोजना/पिरसम्पत्तियों पर विशिष्ट रूप से आरोप्य और सीधे सम्बंधित न हों, तब तक नियत पिरसम्पत्तियों की लागत से अलग रखे गए हैं।
- ग) नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ/(हानि) को लाभ और हानि लेखे में लेखित किया जाता है ।
- घ) पट्टे की परिसम्पत्तियां : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखाकरण मानक-19 के अनुसार दि. 1.4.2001 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखाकरण अविध के दौरान वित्तीय पट्टे के अधीन पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए । जनेप न्यास में वित्तीय पट्टे की तरह की कुछ पट्टा परिसम्पत्तियाँ हैं जिन्हें 1995 और 1997 में पट्टे पर लिया गया था । इसलिए वे मानक की परिधि में नहीं आती थीं और पट्टे के भुगतान लाभ एवं हानि/राजस्व लेखे में दर्ज किए जाते थे । पट्टे की अविध की समाप्ति पर भविष्य के पूंजीकृत व्यय पर नियंत्रण रखने एवं उनकी पहचान

anniversary dates of the lease period of respective tank farm operators up to financial year 2005-06. During financial year 2006-07, a decision had been taken not to raise bills in respect of wharfage on shortfall in Minimum Guaranteed Throughput of tank farm operators keeping in view the uncertainty associated with such an income and the fact that entire matter has been referred to arbitration. However, during financial year 2008-09 keeping in view the fact that MGT is also a contractual obligation and non raising of bills may effect our claim at a later date, a decision was taken to raise bills retrospectively from 2006-07 onwards. MGT penalty for other operators is also recognized on accrual basis as per contractual obligation. (Also refer accounting policy no. 12.)


All other income including interest on employee advances are recognized on cash basis in keeping with need to be conservative and prudent.

2. Fixed Assets

a) Fixed assets are stated in the books at historical value, based on actual cost consisting of construction cost, purchase price including import duties, other taxes and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

In the case of assets capitalized during the period of construction, interest accrued on loans till the date of commissioning i.e. 26th May 1989 has also been capitalized. All expenses upto Date of Commissioning of the project have been capitalized.

- b) Administration and other general overhead expenses, unless they are specifically attributable and directly identifiable with the project/assets, are excluded from the cost of fixed assets.
- c) Profit/(Loss) on sale/disposal of Fixed assets are accounted for in the Profit and Loss Account.
- d) Leased Assets- As per AS-19 of the ICAI, assets leased under a financial lease during accounting periods commencing on or after 1.4.2001, should be capitalized. JNPT had certain leased assets, in the nature of Financial Lease, leased in 1995 and 1997. Therefore, they were not covered by the standard and the lease payments were charged to the Profit and Loss/Revenue Account. Upon expiry of lease period these assets have been capitalized in



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

करने के लिए इन परिसम्पत्तियों को रु. 1/- के प्रतीक मुल्य पर लेखाबही में पूंजीकृत किया गया है । पट्टे की अवधि क्योंकि अगस्त, 2007 में समाप्त हो चुकी है, इसलिए भविष्य के पट्टे के भुगतानों को लेखों पर की गई टिप्पणियों में नहीं दिखाया गया है।

नियत परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना : नियत परिसम्पत्तियों को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के खंड 96 (क) और बट्टे खाते डालने की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन आवश्यक उचित प्राधिकार मिलने पर ही बट्टे खाते में डाला जाता है । परिसम्पत्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि की पहचान तदन्सार की जाती है।

3. मूल्यहास

अचल परिसम्पत्तियों पर मृल्यह्रास सरकार द्वारा जारी निदेशों/परिपत्रों/मार्गदर्शी निर्देशों में दी गई परिसम्पत्तियों की आर्थिक आयु के आधार पर सीधे-सीधे लगाया जाता है।

वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्यहास निम्नलिखित रूप से किया गया है :-

प्रयोग में लाई गई परिसम्पत्तियाँ

1. 30 दिनों तक : शून्य

2. 30 दिनों से अधिक पर 180 दिनों तक : आधा (50%)

3. 180 दिनों से अधिक : पुरा मुल्यहास (100%)

रु. 1,00,000/- से कम लागत की वैयक्ति परिसम्पत्तियों को क्रय वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में पूरी तरह प्रभारित किया जाता है । किन्तू ऐसी परिसम्पत्तियों के मामले में, यदि उनके समृह का मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक हो तो पूरे समूह को एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । यदि ऐसी मद पूँजी व्यय द्वारा प्राप्त की गई हों तो उन्हें एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है चाहे उनका मूल्य रु. 1,00,000/- से कम क्यों न हो। ऐसी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि यदि भविष्य में परिसम्पत्तियों को प्रतिस्थापित किया जाए तो उन पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके ।

4 निवेश

पत्तन के निवेश मुख्यतः निम्नलिखित हैं:-

- क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्र,
- ख) विशेष उद्देश्य कम्पनी में इक्विटी/अधीनस्थ ऋण.
- ग) बैंकों में सावधि जमा।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बंधपत्रों में निवेश समान मूल्य पर किया गया है जो सामान्यतया दीर्घ अवधि निवेश है और मियाद पूरी होने पर मूल्य के समकक्ष भुनाए जाने के लिए है । इसलिए उनका मृल्यांकन लागत के समकक्ष (मृल्य समकक्ष) होता है।

our books of accounts for a token sum of Re.1 each to have control and identifying future capital expenditure. Since the lease period has expired in Aug'07, future lease payments are not indicated in the notes to Account.

Write-off of Fixed Assets- Fixed assets are written off only after proper authorization as required under clause 96A of the Major Port Trusts Act and the Delegation of Powers for write-off of assets. Profit / Loss on sale of Assets is recognised accordingly.

3. Depreciation

Depreciation of fixed assets is provided on straight-line basis based on the economic life of assets given in the directives/circulars/guidelines issued by the Government. Assets capitalized during the year are depreciated as follows:

Assets put to use

1. upto 30 days

Nil

2. Above 30 days & upto 180 days - Half (50%)

3. Above 180 days

- Full depreciation (100%)


Individual assets costing less than Rs.1,00,000/- are fully charged to revenue expenditure in the year of purchase. However, in case of such assets if the lot size is more than Rs.1,00,000/- then the lot is capitalized as a single item. If such items have been acquired by incurring capital expenditure the same are capitalised as a single item even if the value is below Rs.1,00,000/-. This practise is followed in order to have better control when the assets are replaced in future.

4. Investments

The Port's investments broadly consist of the following:-

- PSU Bonds,
- Equity/Sub-ordinate loan in SPV,
- Fixed Deposits with Bank.

The investment in PSU Bonds have been made at par and generally in the nature of long term investments to be redeemed on maturity at par value. Therefore, they are valued at cost (par value).



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

5. सेवा निवृत्ति लाभ

- क) कर्मचारियों को पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के देय लाभों को तीन वर्ष में एक बार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित रूप से किया जाता है। निवृत्ति निधि और उपदान निधि में अंशदान इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सृजित निधियों में किया जाता है। निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान भी 31 मार्च, 2004 से किया गया है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित छुट्टी नकदीकरण निधि में वार्षिक योगदान किया जाता है।
- ख) किया जाने वाला वार्षिक योगदान उस वित्तीय वर्ष में संवितरित राशि से कम नहीं होना चाहिए ।
- ग) सभी तीनों अधिवर्षिता निधियों की देयता का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन, प्रत्येक निधि में किए गए निवेश की राशि तथा यदि कोई कमी हो तो उसे पत्तन के वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा ।
- घ) अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में
 प्रभारित किया जाता है ।
- च) सामान्य भविष्य निधि के सदस्यों से भविष्य निधि के लिए वसूली गई राशियों को इसके लिए बनाए गए भविष्य निधि न्यास में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

6. निवेश पर ब्याज

वर्ष 2002-03 तक, निवेश पर कमाया गया ब्याज राजस्व खाते में जमा किया जाता था । लेखा परीक्षा के जोर देने एवं बिलिमोरिया रिपोर्ट की अपेक्षाओं के अनुसार, निम्नलिखित आरक्षित निधियों के निवेशों पर अर्जित ब्याज को वित्तीय वर्ष 2003-04 से सीधे आरक्षित निधियों में जमा किया गया:

- क) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास, और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित निधि ।
- ख) विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि। यह लेखाकरण नीतियों में एक बदलाव था एवं इसका प्रभाव वर्ष 2003-04 के लेखों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

पत्तन बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा निर्धारित पद्धित से सहमत नहीं था । इसिलए भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री सिमित की सलाह ली गई । विशेषज्ञ परामर्शदात्री सिमित ने कहा कि पत्तन द्वारा पूर्व में अपनाई जा रही पद्धित सही है । इसिलए मुख्य महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से पत्तन इन दो निधियों के ब्याज को राजस्व लेखों में

5. Retirement Benefits


- a) Pension, Gratuity and leave encashment liability to employees are provided for on accrual basis based on actuarial valuation done once in three years. Contributions are made to Pension Fund and Gratuity Fund created in Trusts set up for this purpose and the funds are managed by LIC of India. The leave encashment liability has also been provided for w.e.f. 31st March'2004 and annual contributions are being made to the Leave Encashment fund managed by LIC of India.
- Annual contribution to be made shall not be less than the amount of disbursement made in that financial year.
- c) The latest acturial valuation of liability of all the three superannuation funds, the amount of investments held by each of this fund and the shortfall if any shall be disclosed in the Notes on Accounts to the financial statements of the Port
- d) Employers contribution to Contributory Provident Fund are charged to the Profit & Loss Account.
- e) The amounts recovered from the members of General Provident Fund towards Provident Fund are transferred to Provident Fund Trust formed for this purpose.

6. Interest on Investments

Until the year 2002-03, interest earned on investment was credited to Revenue Account. At the insistence of audit, and as per the requirements of the Billimoria Report, the interest earned on investments pertaining to the following reserves were credited directly to the reserves in financial year 2003-04.

- a) Reserve for replacement, rehabilitation and modernization of capital assets.
- b) Reserve for development, repayment of loans and contingencies.
- This was a change in accounting policy, and the impact is disclosed in the Notes on Accounts for the year 2003-04.

The Port was not in agreement with the method prescribed by the Billimoria Report and therefore sought the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Expert Advisory Committee opined that the earlier practice followed by Port is correct. Therefore, with the approval of CAG,



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा श्पिट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

जमा कर रहा है एवं पूर्व की पद्धति के अनुसार लाभ-रेखा से नीचे विनियोग कर रहा है।

7. वस्तुसूचियाँ

वस्तुसूचियों में मुख्यतया अनुरक्षण पुर्जे, औजार और उपभोग होने वाली वस्तुएं हैं और उनका मूल्य औसत भार पद्धति पर नियत होता है। कुल वस्तुसूची में उप-भंडार की वस्तुसूचियाँ भी शामिल हैं।

8. उधार लागत

उधार लागत जो सीधे ही परिसम्पत्तियों के अर्जन और संरचना के लिए होती है, परिसम्पत्ति के प्रवर्तित होने की तिथि को पूंजीकृत की जाती है। पूंजीकरण के बाद ऋणों पर ब्याज उपार्जित आधार पर राजस्व में प्रभारित होता है।

9. विदेशी मुद्रा का लेन - देन

कलपुर्जों और बड़े उपस्करों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया जाता है। वित्वर्ष 2015-16 तक पत्ने कोई विदेशी मुद्रा ऋण नहीं लिया है, और न इस संबंध में कोई वायदा किया है। तथापि, वित्वर्ष 2016-17 के दौरान पत्ने वर्तमान 4 लेन की सड़कों को 6/8 लेन का बनाकर सड़क सर्म सुधारने की सड़क विस्परियोजना के कार्यान्यन के लिए स्विशेष उद्देश्य कम्- मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कर्मलिमिटेड को देने के लिए 400 मिलयन अमेरिकी डॉलर का बाहरी वाणिज्यिक ऋण लिया है। इस बाहरी वाणिज्यिक ऋण के वर्ष के अंत में बकाया शेष पर निकलने वाले विनिमय के अंतर की लाभ एवं हानि लेखे में आय या व्यय के रूप में पहचान की जाएगी।

साथ ही, पत्तन को जलयान संबंधी प्रभारों एवं कंटेनरों के विराम समय प्रभारों के रूप में कुछ आमदिनयाँ होती हैं, जिनकी गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है लेकिन उसे जलयान के पत्तन में प्रवेश की तिथि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर रुपयों में प्राप्त किया जाता है। निर्यात कंटेनरों के लिए विनिमय दर पत्तन क्षेत्र में कंटेनरों के आगमन की तिथि को मौजूदा दर के अनुसार होगी।

10. बीमा सुरक्षा - विस्तृत पत्तन पैकेज नीति :

पत्तन ने नीतिगत रूप से निम्नलिखित जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विस्तृत बीमा सुरक्षा कराई है:

- 1. भूकम्प जोखिम के विस्तार के साथ मानक अग्निएवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)
- 2. विस्तृत पत्तन पैकेज सम्पत्ति

the Port is crediting the interest to revenue accounts then making appropriation below the line as per earlier practice.

7. Inventories

Inventories mainly consist of maintenance spares, tools and consumables and are valued at cost determined on moving average method. The total inventory also includes inventories lying at sub stores.

8. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, constructions of assets are capitalized till the date on which the asset is commissioned. Interest on loans after capitalization is charged to Revenue on accrual basis.

9. Foreign Currency Transactions


Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Till FY 2015-16, Port had neither borrowed in foreign currency nor had entered into any forward contracts. However, during FY 2016-17, the Port has availed External Commercial Borrowings (ECB) of USD 400 Million for On-lending to the Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL), a special purpose vehicle created for implementation of road widening project comprising expansion of existing 4 lane roads to 6/8 lane roads for improving connectivity to the Jawaharlal Nehru Port. The exchange differences arising on outstanding balances of ECB Loan as on year end date shall be recognised as income or expense in the Profit & Loss account for the period.

Also, the Port has certain incomes like vessel related charges and dwell time charges on container which are denominated in US\$, but collected in Indian Rupees using the reference rate of RBI as on date of entry of vessel into Port. For export containers, the exchange rate shall be as on the date of arrival of containers in the Port premises.

10. Insurance Cover - Comprehensive Port Package Policy

The Port as a matter of policy has taken the comprehensive insurance for the covering the following risks:

- 1. Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township).
- 2. Comprehensive Port Package Property



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

- 3. विस्तृत पत्तन पैकेज देयता
- विस्तृत पत्तन पैकेज व्यापार व्यवधान (एफएलओपी/एमएलओपी/पत्तन कामकाज में बाधा/मलबे की निकासी)
- 5. समुद्री पेटा प्लवन नौकाएँ
- 6. निष्ड्वा गारंटी बीमा
- 7. इलेक्ट्रानिक उपरुर बीमा
- 8. निदेशक तथा अधिकारी दायित्व पालिसी
- 9. आतंकवाद से विशेष स्रक्षा
- 11. आय पर करों का लेखांकरण (लेखांकरण मानक 22)

पत्तन ने वित्तीय विवरण में लेखाकरण मानक-22 को अपनाया है जो कि अब अनिवार्य हो चुका है । इसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे में आस्थिगित कराधान को सिम्मिकिया गया है । तदनुसार, समय में अन्तर - मुख्य रूप से मूल्यहास एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(ख) के तहत आने वाली मदों के परिणामस्वरूप होने वाली आस्थिगत कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, प्रभारों एवं क्रेडिटों को लेखों में मान्यता दी गई है ।

12. विवादित आय के संबंध में लेखाकरण नीतियों में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी परिवर्तन

मंडल की 29 मार्च, 2011 को हुई 13 वीं बैङ्गक में लिए गए निर्णय का संदर्भ लें. जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया है:

''नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में उङ्गाई गई आपित्तयों से निपटने तथा वित्तीय विवरणों की अधिक सटीक तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण को पेश करने, 'कमी एवं व्यवसाय पर अर्थदण्ड' से जनेप न्यास को होने वाली आय के लिए लेखाकरण की नीति में परिवर्तन को अनुमोदन देने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 9 की अपेक्षाओं तथा पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदेश के अनुपालन में संकल्प किया जाता है कि 'बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज' तथा 'जनेप न्यास की अन्य किसी प्रकार की आय' जो संबंधिपत्तन उपभोक्ताओं द्वारा विवादित है, ऐसी विवादित आय को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता दी जाएगी जिस वर्ष अंतिम वसूली की संभावना अविवेकपूर्ण नहीं होगी।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि यह परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी होगा।''

उपर्युक्त के अनुपालन में, वर्ष 2016-17 की न्यूनतम सुनिश्चिव्यवसाय की आय को वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया है । लेखाकरण नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 की आय/लाभ रु. 12.01 करोड़ कम है ।

- 3. Comprehensive Port Package Liability
- Comprehensive Port Package Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal)
- 5. Marine Hull Floating Crafts
- 6. Fidelity Guarantee Policy
- 7. Electronic Equipment Insurance
- 8. Directors and Officers Liability Policy
- 9. Standalone terrorism cover

11. Accounting for Taxes on Income AS - 22

The Port has adopted AS-22 in the Financial Statement, which has become mandatory. This has resulted in the Balance Sheet and Profit and Loss Account to include Deferred Taxation. Accordingly, timing differences mainly on account of depreciation and items covered under Sec.43 (B) of the Income Tax Act, 1961 resulting in Deferred Tax Assets and liabilities, charges and credits have been recognized in the accounts.


12. Change in accounting policy effective from FY 2010-11 in respect of disputed income

Reference is invited to the decision taken in the 13th Board Meeting held on 29th March 2011 wherein following resolution was passed:

RESOLVED in compliance with the requirements of Accounting Standard 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Instruction of the Ministry of Shipping and Transport, to address the audit objections raised by C&AG and to present a more appropriate preparation and presentation of the financial statements, to approve the change in the policy of accounting for the income arising to JNPT from "Penalty for Shortfall and Throughput". "Penal interest on outstanding dues" and "any other income of JNPT" which are disputed by the concerned Port users, to the effect that such disputed income shall be recognised in the financial year in which it is not unreasonable to expect the ultimate collection.

Resolved further that this change shall be effective from the financial year 2010-11".

In compliance with the above, MGT income for the year 2017-18 has not been recognised in the financial statements. As a result of change in accounting policy, income/profit for the year 2017-18 is lower by 12.01 Crores






यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोडा गया है। This page is kept intentionally blank









अनुसूची-25 / SCHEDULE-25

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2019

क्षमता में वृद्धि ज.ने. पत्तन में चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास

मेसर्स भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि. (बीएमसीटीपीएल) को एक छूट करार के माध्यम से दि. 06 मई, 2014 को डीबीएफओटी आधार पर चौथे कंटेनर टर्मिनल के विकास का कार्य सौंपा गया था। कार्य सौंपने की तारीख 22 दिसंबर, 2014 थी। बीएमसीटी पत्तन क्षेत्र में भारत की विदेशी निवेश की सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें अनुमानित निवेश रु.7,935 करोड़ है, जो आठ वर्षों तथा दो चरणों में (चरण-६ रु.4719 करोड़ तथा चरण-६ रु.3196 करोड़) पूरा होगा।

इस परियोजना में दो चरण हैं, प्रत्येक चरण में 1 कि.मी. के घाट का निर्माण, घाट पर 16.5 मी. की गहराई, 12 घाट क्रेनें, 46 आरटीजी यार्ड क्रेनें तथा रेल यार्ड के लिए 4 आरएमजीसी क्रेनें शामिल हैं जिससे क्षमता में 2.4 मिलियन टीईयू (कुल 4.8 मिलियन टीईयू) की वृद्धि होगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का कार्य दि.22 दिसम्बर, 2017 को पूरा हो चुका है तथा इस पर प्रचालन भी आरंभ हो चुका है। दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर 2022 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।

2. पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए 'सागरमाला कार्यक्रम' के तहत अनेक परियोजनाएं शुरु की गई हैं तथा पोत-परिवहन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं की पहचान की थी:

क) तटीय घाट :

जनेप न्यास ने तटीय घाट की परियोजना शुरू की है जहां 1.5 मीट्रिक टन द्रव कार्गो तथा 0.5 मीट्रिक टन तटीय कार्गो का प्रहस्तन किया जाएगा । रु. 143.32 करोड़ की लागत पर दि.31.03.2017 को इसका कार्य सौंपा गया था तथा कार्य प्रगति पर है । मई, 2020 तक कार्य पूरा होने की अपेक्षा है ।

ख) अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट :

4.5 मीट्रिक टन की क्षमता के अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट का विकास रु. 309.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। स्वीकृति पत्र दि. 28.03.2019 को जारी किया गया है और पर्यावरण स्वीकृति की प्राप्ति के बाद कार्य सौंपा जाएगा। 30 महीने के भीतर यह कार्य पूरा हो जाएगा।

1 Capacity Addition: Fourth Container Terminal at JNPT.

M/s Bharat Mumbai Container Terminals Pvt. Ltd. (BMCTPL) was awarded the development of Fourth Container Terminal on DBFOT basis through a Concession Agreement on 6th May 2014. The date of award was 22nd Dec. 2014. BMCT is India's largest FDI project in the Port Sector, with an estimated investment, of INR Rs.7,935 crores spread over eight years for two phases (Phase I Rs.4719 crores and Phase II Rs.3196 crores).

The project comprises of two phases – each phase comprises 1 Km of quay line, 16.5 mtrs depth at berth, 12 quay cranes, 46 RTG Yard cranes and 4 RMGC cranes for its rail yard generating a capacity of 2.4 Million TEU (total 4.8 MTEU).

As per schedule, the work of Phase I is completed on 22nd December 2017 and put to in operation. The Phase II is in progress and schedule date of completion is December 2022.


2. Various projects have been undertaken in the 'Sagarmala Programme' for modernization of Ports and the Ministry of Shipping had identified the following projects during FY 2018-19.

a) Coastal Berth:

JNPT has taken up the project of 'Coastal Berth' wherein liquid traffic of about 1.5 MT and costal cargo of 0.5 MT will be handled. The work has been awarded for Rs.143.32 crores on 31.3.2017 and the work is in progress. The expected date of completion is May 2020.

b) Additional Liquid Cargo Jetty:

Development of additional liquid cargo jetty with a capacity of 4.5 MT is undertaken with estimated cost of Rs.309.12 crores. The letter of acceptance is issued on 28.03.2019 and award will be done after receipt of Environmental clearance. The work will be completed within 30 months.



ग) सड़क संपर्क तथा आधारिक संरचना की परियोजनाएँ :

1) मुंबई जनेप न्यास पत्तन सड़क संपर्क परियोजना

मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2000 में अनुमोदित सड़क संपर्क कार्यक्रम अर्थात चरण ६की परियोजना के तहत जनेप न्यास के लिए 4 लेन के सड़क संपर्क का निर्माण करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूरा किया गया था। चरण ६के दौरान वर्ष 2000 में मुंबई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी (विशेष उद्देश्य कंपनी) का गठन किया गया था जिसके तीन हितधारक थे यथा i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ii) जेएनपीटी तथा iii) सिड़को। मुंबई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी (एमजेपीआरसीएल) ने मुंबई-जेएनपीटी पत्तन सड़क संपर्क को 4 पैकेजों में 6/8 लेन का बनाने की परियोजना हाथ में ली है। 16 मई, 2016 को कार्य सौंपा गया था तथा उपर्युक्त सभी 4 पैकेजों में कार्य प्रगति पर है और दिसम, 2019 तक इनका कार्य पूरा होने की संभावना है।

3. बुनियादी ढांचे का विकास

यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनेप न्यास ने निम्नलिखित परियोजनाएँ हाथ में ली हैं:

- क) मौजूदा कंटेनर रोड को 'वाई' जंक्शन के पूर्व दिशा की ओर उत्तरी गेट परिसर तक चौड़ा बनाना : इस परियोजना की लागत 98.24 करोड़ है। कच्छ वनस्पतियों को हटाने के लिए वन अधिनियम के तहत अनुमोदन लेने की प्रक्रिया चल रही है।
- ख) कंटेनर रोड पर उत्तरी गेट परिसर के नजदीक फ्लाइ ओवर का निर्माण: यह कार्य दि.1 मार्च, 2017 को रु.127.45 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था। कार्य प्रगति पर है तथा कार्य समापन की निर्धारित तारीख मार्च 2020 है।
- ग) वाई जंक्शन पर फ्लाइ ओवर का निर्माण: यह कार्य दि.31 मार्च, 2017 को रु.82.95 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था। कार्य प्रगति पर है तथा कार्य समापन की निर्धारित तारीख अक्तूबर 2019 है।

4. पत्तनों का आधुनिकीकरण :-

पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) का विकास :- 'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा देने के लिए ज ने पत्तन 277.38 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित कर रहा है । मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए रु.476 करोड़ की लागत पर अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण ठेका दि. 06.10.2016

- c) Road Connectivity & Development of Infrastructure Projects :
- i) Mumbai JNPT Port Road Connectivity Project:

4 Lane connectivity to JNPT was executed by NHAI under Port Connectivity programme approved by the Cabinet in the year 2000 known as Phase I project. During Phase I, Mumbai JNPT Port Road Co Ltd. (SPV) was formed in year 2000 comprising of 03 stakeholders (i) NHAI (ii) JNPT & (iii) CIDCO. MJPRCL has undertaken 6/8 laning of Mumbai JNPT Port Road Connectivity project under 4 packages. The appointment date was declared on 16th May 2016 and the work is in progress in all four above packages and expected date of completion is December, 2019.

3) Infrastructure Development:


To cater the traffic need, JNPT has taken up the following projects

- a. Widening of Existing Container Road towards East Side of 'Y' Junction to North Gate Complex. The Project cost is Rs.98.24 crores. The process of obtaining approval to removal of mangroves under Forest Act is in process.
- **b.** Construction of Fly Over near North Gate Complex on Container Road:- The work has been awarded on 1st March 2017 at a cost of Rs.127.45 crores. Work is in progress and scheduled completion date is March 2020.
- **c.** Construction of flyover at Y junction:- The work has been awarded on 31st March 2017 at a cost of Rs.82.95 crores. Work is in progress and scheduled completion date is Oct.2019.

4) Modernization of Ports:-

a) Development of Port based SEZ:-

To give a fillip to the 'Make in India' campaign, JN Port has taken the lead to develop Port based SEZ in total area of 277.38 hectares. The EPC contract to develop basic infrastructure at cost of Rs. 476 Cr is awarded on





को सौंपा गया था । कार्य प्रगित पर है तथा कार्य समापन की निर्धारित सीमा दिसम्, 2019 है । अब तक 16 भूखंड (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 15 भूखंड और मुक्त व्यापार एवं भंडारण क्षेत्र के लिए 01 भूखंड) आवंटित किए गए और 94 एकड़ और 106 एकड़ के दो बड़े पार्सल आकार क्षेत्र के भूखंड के लिए निविदाएं जारी की गईं । इसमें लगभग 24,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण के साथ अपेक्षित निवेश रु.4000 करोड़ होगा ।

सैटेलाइट पत्तन तथा ड्राय पत्तनों का विकास :-

औद्योगिक विकास तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज ने पत्तन ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाढवन में एक सैटेलाइट पत्तन का विकास करने की योजना बनाई है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन गई है । इसे जनेप न्यास और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के क्रमशः 74% और 26% हिस्सेदारी से विकसित करने का प्रस्ताव है ।

देश के आंतरिक क्षेत्रों में यातायात को बढ़ावा देने के लिए जालना, वर्धा, नासिक तथा सांगली में ड्राय पोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जालना तथा वर्धा ड्राय पोर्ट का कार्य आरंभ हो चुका है। नासिक और सांगली ड्राय पोर्ट का कार्य योजना स्तर पर है।

5. 31 मार्च, 2019 तक जनेप न्यास में सैप (ईआरपी) का कार्यान्वयन

जनेप न्यास ने सॉफ्टवेयर के विकास, एकीकरण एवं पत्तन प्रचलनों के उन्नयन का कार्य र. 29.65 करोड़ की कुल लागत पर 15 फरवरी, 2014 को मेसर्स सीएमसी लिमिटेड (अब टीसीएस) को सौंपा था। मेसर्स टीसीएस ने सितंबर, 2015 में मेसर्स सीएमसी को खरीद लिया। मेसर्स टीसीएस द्वारा सैप (एक अग्रणी उद्दम संसाधन योजना)- जिसका अर्थ है सिस्टम, एप्लिकेशन, प्रोडक्टस इन डाटा प्रोसेसिंग को कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे नेविस टर्मिनल प्रचालन प्रणाली (टी ओ एस) के अलावा सभी मौजूदा एप्लिकेशनों के लिए एक साझा मंच पर एकीकृत समाधान तैयार हो सकेगा।

6. जनेप न्यास में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास परिचय:

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के किसी महापत्तन में बनने वाला इस प्रकार का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है और राज्यमार्गों को कार्गो टर्मिनल से जोड़नेवाले पनवेल-उरण मार्ग पर 277.38 हैक्टेयर में इसका विकास किया जाएगा।

06.10.2016 and work is in progress and scheduled completion date is December, 2019. So far 16 plots (15 MSME and 01 FTWZ) were allotted and tenders for two large parcel size area of 94 Acrs & 106 Acrs are intend. The expected investment is to the tune of Rs.4000 crores with direct employment of 24,000 generation.

b) Developments of Satellite Port and Dry Ports:-

To boost industrial development and inclusive growth, JN Port has planned to develop a Satellite Port at Vadhwan, in Palghar District, Maharashtra. The DPR is completed. This is proposed to develop by JNPT and MMB with shareholders 74% and 26% respectively.


To boost the hinterland traffic, it has been decided to develop Dry Ports at Jalana, Wardha, Nasik & Sangali. The work at Jalna & Wardha is commenced. The dry Ports at Nasik & Sangali are at planning stage.

5) SAP (ERP) IMPLEMENTATION AT JNPT AS OF 31st Mar 2019

JNPT awarded the work of Software Development, Integration & Upgrade of Port Operations to M/s.CMC Limited (now TCS) at a total cost of Rs.29.65 Crs. on 15th February, 2014. M/s CMC was taken over by M/s TCS in September 2015. M/s TCS implemented SAP (one of the leading Enterprise Resource Planning) stands for System, Application, Products in Data Processing. This enabled integrated solution for all the existing application on a common platform, except NAVIS Terminal Operating System (TOS).

6) DEVELOPMENT OF PORT BASED SPECIAL ECONOMIC ZONE IN JNPT Introduction:

The proposed Special Economic Zone at Jawaharlal Nehru Port is the first-of-its-kind at a major port complex in the country, and would be developed on 277.38 hectares of land along the Panvel-Uran road connecting the cargo terminals to state highways.





यह क्षेत्र नवी मुंबई से लगभग 15 कि.मी. तथा मुंबई से लगभग 40 कि.मी. दूरी पर स्थिहै । यह स्पत्तन से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4-ख तथा राज्यमार्ग 54 पर स्थित है और इन मार्गों को अब 6/8 लेन का बनाया जा रहा है।

प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का तथ्य पत्रक

परियोजना प्रस्तावक	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
परियोजना की अवस्थिति	न्हावा शेवा, ता. उरण, महाराष्ट्र
सीमांकित परियोजना क्षेत्र	277.38 हेक्टेयर
पहुँच मार्ग	म्ंबई-गोवा राजमार्ग - रा.रा.4-ख तथा
	राज्यमार्ग 54 (पत्तन मार्ग) से सीधा प्रवेश
परियोजना के मुख्य विकास घटक	• प्रसंस्करण क्षेत्र (200.25 हेक्टेयर)
	• गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र (77.13 हेक्टेयर)
नियोजित उद्योग तथा	• मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र
क्षेत्रों का प्रकार	• अभियांत्रिकी सामान क्षेत्र
	• इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर क्षेत्र
	• बह्सेवा (सूचना तकनीक तथा स्वास्थ्य)
	क्षेत्र
	• व्यापार एवं भंडारण
राज्य के प्रमुख विकास	• जनेप न्यास (पत्तन प्रचालन क्षेत्र) - 4
केंद्रों/नोड से दूरी	कि.मी.
	• मुंबई - 60 कि.मी.
	• नवी मुंबई - 15 कि.मी.
	• पुणे - 150 कि.मी.
विकास का तरीका	अभियांत्रिकी, प्रापण, निर्माण (ईपीसी)
	तरीका
कुल अपेक्षित निवेश	7400 करोड़ रुपयों का सार्वजनिक
	तथा निजी निवेश
कुल परिकल्पित रोजगार निर्माण	प्रत्यक्ष रोजगार : 24000 कर्मचारी

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

पत्तन के आयात-निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता करने के अलावा प्रस्तावित विशेष आर्थिकक्षेत्र एक संपोषणीय सामाजिक ढाँचे की परिकल्पना भी करता है । परियोजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाएगा -

- प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 24000 अवसर निर्मित करना
- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुशल श्रमशक्तिका विकास करना
- उद्यमशीलता के अवसर बढ़ाना
- विश्वस्तरीय औद्योगिक बुनियादी संरचना का निर्माण करना
- उत्कृष्ट आवसीय क्षेत्र उपलब्ध कराना
- 7. मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि.(एमजेपीआरसीएल) के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋण

The site is around 15 km from Navi Mumbai and around 40 km from Mumbai city. The site is located along the NH 4B and SH 54 connecting to the port and the roads are currently being expanded to 6/8 lanes.


Fact Sheet of the Proposed Special Economic Zone

Project proponent	Jawaharlal Nehru Port Trust		
Project Location	Nhava Sheva, Taluka Uran,		
	Maharashtra		
Demarcated Project Area	277.38 hectares		
Approach Road	Direct access by Mumbai Goa		
	Highway-NH4B and SH 54		
	(Port Road)		
Type of Industries and	Free Trade Warehousing Zone		
Sectors planned	Engineering Goods Sector		
	Electronics and Hardware Sector		
	Multi Services (IT and		
	Healthcare) Sector		
	Trading and Warehousing		
Distance from Major Growth	JNPT (Port Operations Area) - 4km		
Centre/ nodes of the State	Mumbai - 60 km		
	Navi Mumbai- 15 km		
	• Pune - 150 km		
Mode of Development	Engineering Procurement		
	Construction (EPC) mode		
Total Expected Investment	Public & Private investment of INR		
	7,400 Crore		
Total Employment	Employment: 24,000 (Direct		
Generation envisaged	Employment)		

Key Objectives of the Project

Besides aiding the Port's EXIM trade enhancement, the proposed Special Economic Zone also envisages a sustainable social framework. The project implementation shall be aimed to:

- Direct Employment opportunities to the tune of around 24,000
- Nurture Skilled manpower to boost the trade
- Enhance Entrepreneurial opportunities
- Create World class industrial infrastructure
- Provide Premium residential neighborhood
- 7) EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS FOR ON-LENDING TO MJPRCL





जनेप न्यास ने मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि., जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों को 6/8 लेन का बनाने के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी है, को देने के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर का बाहरी वाणिज्यिक ऋण लिया है। मुंबई जनेप न्यास सड़क कंपनी लिमिटेड में जनेप न्यास की 51 प्रतिशत प्रदत्त शेअर पूंजी है।

बाहरी वाणिज्यिक ऋण विभाजित रूप से अर्थात भारतीय स्टेट बैंक-हाँगकाँग 350 मिलियन अमिरकी डालर और डीबीएस बैंक-सिंगापुर से 350 मिलियन अमिरकी डालर 6 माह के अस्थायी ब्याज दर + स्प्रेड से लिया गया । जनेप न्यास और ऋणदाता बैंकों (अर्थात भारतीय स्टेट बैंक और डीबीएस बैंक) के बीच दिनांक 12.08.2016 को सुविधा करार पर हस्ताक्षर किए गए । जनेप न्यास ने ब्याज दर विनिमय लेकर ऋण के पूर्ण कार्यकाल के लिए 6 माह का लिबोर प्रतिरक्षा के रूप में रखा है । जनेप न्यास द्वारा बैंक को भुगतान किए गए ब्याज दर विनिमय व्यय का वास्तविक आधार पर मुंबई जनेप न्यास सड़क कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है ।

जनेप न्यास ने 31 मार्च, 2019 तक कुल 400.000 मिलियन अमरीकी डालर की राशि आठ आहरणों में प्राप्त की (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 79.495 मिलियन अमरीकी डालर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 191.457 मिलियन अमरीकी डालर और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 129.048 मिलियन अमरीकी डालर)। सभी 8 आहरणों की कुल राशि 400.000 मिलियन अमरीकी डालर जिसका मूल्य भारतीय मुद्रा में 2633.80 करोड़ है, मुंबई जनेप न्यास सड़क कंपनी लिमिटेड को वार्षिक देय अर्ध वार्षिक 6% की ब्याज दर पर आगे उधार दिया।

जनेप न्यास हर साल अप्रैल और अक्टूबर में ऋणदाता बैंक को ब्याज दर विनिमय ऋण पर अर्ध वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है। मुंबई जनेप न्यास सड़क कंपनी लिमिटेड हर साल अगस्त और फरवरी में जनेप न्यास के अर्ध-वार्षिक ब्याज का भुगतान करती है। भुगतान किया ब्याज और बकाया, अर्जित एवं प्रोतभूत ब्याज को अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक के वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए खातों में दर्ज किया गया है।

भारतीय निकर्षण निगम को 18 प्रतिशत ईक्विटी शेयर पूँजी का भुगतान।

पोतपरिवहन मंत्रालय ने दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र द्वारा ठ भारतीय निकर्षण निगम का कार्यनीतिक विनिवेश ठ विषय पर भारतीय निकर्षण निगम में चार पत्तनों के महासंघ के पक्ष में भारत सरकार के सौ प्रतिशत शेयरों के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, अर्थात् इसमें विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (महासंघ प्रमुख), पारादीप पत्तन

JNPT has availed External Commercial Borrowings (ECB) of USD 400 Million for On-lending to the Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL), a special purpose vehicle for implementation of road widening project comprising 6/8 laning of existing road connectivity to the Jawaharlal Nehru Port. JNPT holds 51% paid up equity share capital in MJPRCL.


ECB is split into USD 350 Million from SBI, Hong Kong and USD 50 Million from DBS, Singapore at Floating Interest Rate of 6 Month LIBOR + Spread. Facility agreement has been signed on 12.08.2016 between JNPT and the Lenders Bank (i.e. SBI & DBS). JNPT has hedged the 6-Month LIBOR for full tenure of the loan by taking Interest Rate Swap (IRS). IRS expense paid by JNPT to bank is reimbursed by MJPRCL on actual basis.

JNPT have availed all 8 drawdowns till 31st March 2019 for aggregate amount of USD 400.000 Million (USD 79.495 Mn received in FY 2016-17, USD 191.457 Mn received in FY 2017-18 and USD 129.048 Million received in FY 2018-19). Aggregate amount of all 8 drawdowns, USD 400.00 Million equivalent to INR 2633.80 Crore has been onlend to MJPRCL at the interest rate of 6% p.a payable semi annually.

JNPT pays Interest on ECB loan semi-annually to lender banks in April and October every year. MJPRCL pays interest to JNPT semi-annually in August and February every year. Interest Paid and Outstanding, Interest Earned and Accrued has been booked in accounts to adjust the same for the financial year from April, 2018 to March, 2019.

8) 18% Paid Up Equity Share Capital in Dredging Corporation of India Ltd.

Ministry of Shipping vide its letter dated 19th November, 2018 on the Subject – "Strategic Disinvestment of Dredging Corporation of India Ltd. (DCIL)", has accorded In-principle approval by the Government for Strategic Disinvestment of 100% Gol shares in DCIL in favour of consortium of 4 Ports, namely, Vishakhapatnam Port Trust (Consortium Leader),





न्यास, जनेप न्यास और कांडला पत्तन न्यास (अब दीनदयाल पत्तन न्यास) शामिल है ।

तदनुसार, जनेप न्यास ने भारतीय निकर्षण निगम, भारत सरकार से रु.510/- प्रति शेयर की दर से 18 प्रतिशत (50,40,101 शेअरों) का अर्जन किया। जनेप न्यास के अध्यक्ष को भारतीय निकर्षण निगम के मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय निकर्षण निगम में निवेश बाजार मूल्य दिनांक 31.03.2019 को रु.215,21,23,127/- (रुपये 427/- प्रति शेयर) है।

9. भारत पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड में जनेप न्यास की हिस्सेदारी का विनिवेश।

भारत सरकार और ईरान सरकार ने चबहर पत्तन के विकास में भारत की साझेदारी के लिए दिनांक 6 मई, 2015 को समझौता करार किया। समझौता करार के अनुसरण में, जनेप न्यास और डीपीटी ने 22 जनवरी, 2015 को 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी के साथ भारत पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड नामक कंपनी स्थापित की है।

ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध का जनेप न्यास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जटिलताओं से बचने के लिए, जनेप न्यास ने भारत पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड में रु.६.०० करोड़ की अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया है।

10. जने पत्तन में तटीय घाट का निर्माण।

तटीय नौवहन को गित देने के लिए भारत सरकार ने हर महापत्तन में तटीय जलयानों के लिए घाट बनाने का निर्णय लिया है। यह घाट उथले हिस्से में होंगे जहां बड़े अंतरराष्ट्रीय जलयान नहीं आ पाते और जहां तटीय पोतों को लगाया जाएगा तथा कार्गो प्रहस्तन सीमाशुल्क और आप्रवास जैसी औपचारिकताओं से मुक्त होगा। इस आवश्यकता के अनुसार जनेप न्यास ने तुरंत भारत सरकार से 30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से उक्त परियोजना की योजना बनाई, शेष राशि जनेप न्यास के आंतरिक स्रोतों से ली जाएगी। उक्त में से 12.00 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान प्राप्त हुए। प्राप्त राशि को उसके लिए किए गए पूंजी व्यय से हटा दिया गया है।

इस से तरल और तटीय कार्गो प्रहस्तन में 2.0 मिलियन टन तक की वार्षिक क्षमता वृद्धि होगी । कार्य दिनांक 24 अप्रैल, 2017 से आरंभ हो चुका है और 42 प्रतिशत पूरा किया गया है ।

11. मुंबई हार्बर चैनल और जने पत्तन चैनल को गहरा और चौड़ा बनाना(चरण-॥)

Paradip Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust and Kandla Port Trust (Now Deendayal Port Trust).

Accordingly, JNPT has acquired 18% (50,40,101 No. of Shares) Paid up Equity Shares of Dredging Corporation of India Ltd. from Govt. of India at the rate of Rs. 510/- per **share.** Chairman, JNPT has been appointed as Director in the board of DCIL. The market value of investment in Dredging Corporation of India as on 31.03.2019 is Rs. 215,21,23,127/- (Rs. 427/- per share)

9 Disinvestment of JNPT's stake in India Port Global Limited (IPGL).

The Government of India and the Government of Iran entered into MOU dated 6th May, 2015 for partnership of India in development of Chabahar Port. Pursuant to the MoU, JNPT and DPT incorporated a company namely India Port Global Ltd. on 22nd January, 2015 with the holding in the ratio of 60:40.


US imposing sanction on Iran could have adversely effected JNPT. In order to avoid the complications, JNPT has disinvested its stake in IPGL of Rs. 6.00 Crores.

10) Construction of Coastal Berth at JN Port.

In order to give momentum to coastal shipping, Govt. of India has decided to have coastal vessel berth every major port which are to be located in the shallower portion where large international ships cannot come, to accommodate the coastal vessel wherein the cargo handling shall be free from custom and immigration formalities. Responding to this requirement, JNPT has immediately planned the subject project with financial assistance of Rs.30 Crores from Govt. of India rest from internal resources of JNPT. Out of this Rs, 12.00 Crs. was received during the year. The amount received has been set off from the capital expenditure incurred for the same.

This will add capacity of 2.0 million tons per annum for handling liquid & coastal cargo. The work commenced on 24th April 2017 and 42% work is completed.

11) Deepening and Widening of Mumbai Harbour Channel and JN Port Channel – Phase II





वर्तमान में जने पत्तन ज्वार का लाभ उठाकर 14 मीटर डुबाववाले अर्थात 6,000 टीईयू क्षमता वाले जलयानों का प्रहस्तन कर रहा है। दुनिया भर में कंटेनर कार्गो मात्रा में वृद्धि और कंटेनर वहन करने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि को देखते हुए जनेप ने चौड़े बीम और अधिक गहराई के 12,500 टीईयू क्षमता तक के जलयानों को स्थान देने के लिए मौजूदा चैनल को 14.00 से 15.00 मीटर तक गहरा तथा अधिक चौड़ा बनाने का निर्णय लिया है। परियोजना की अनुमानित लागत लागू सेवा कर सहित 2,306 करोड़ है। निकर्षण कार्य 2 सितंबर, 2017 को शुरू हुआ।

12. आयकर संबंधी मामले

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर विवरणी निर्धारित तिथि के अंदर प्रस्तुत कर दी गई है ।

विभिन्न वर्षों के लिए आयकर निर्धारण की स्थिति संक्षिप्त रूप से नीचे दी गई है:

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंम्बई ने दिनांक 30/09/2010 के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरूप कर में छूट की पात्रता का गुणदोष के आधार पर परीक्षण करने का निदेश दिया था । तथापि, निर्धारण अधिकारी ने माननीय आयकर अपील अधिकरण द्वारा जारी निदेशों पर ध्यान न देते हुए नए सिरे से निर्धारण किया । जनेप न्यास ने उक्त आदेश के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की थी । मामले के जल्दी निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे के पास जल्द सुनवाई याचिका भी दायर की गई थी ।
	उसके बाद मामले को, विशेष रूप से पिछले निर्धारण वर्ष की सुनवाई के लिए आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतिरत कर दिया गया । आयकर आयुक्त (अपील) ने दि. 21.12.2015 को धारा 12एए के तहत पंजीकरण के पिरणाम स्वरूप पत्तन को धारा 11 के तहत कर में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया । आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों, जिनके कारण पत्तन को काफी राशि वापिस मिल सकती थी; को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल के पास इस मामले के संबंध में नियमित अनुसरण किया गया था । लेकिन विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने पत्तन का मामला अचानक ही विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे


At present, JN Port is handling vessels having a draft of 14 m i.e. 6,000 TEUs capacity by taking advantage of tidal window. With increase in container cargo volume and increase in capacity of container carrying vessels fleet worldwide, JN Port has decided to navigate new generation bigger size container vessels with wider beam and deeper drafts by widening and deepening of the existing channel further from 14.0 to 15.0 m draft with vessel capacity of 12,500 TEU. The estimated cost of the project is Rs.2306 including applicable service tax. The dredging work commenced on 2nd September 2017.

12)Income Tax related matters


Income Tax Return for assessment year 2018-19 has been filed within the prescribed date during the year.

The income tax assessment status for the various years is summarized as below:


Assessment Year	Particulars
AY2003-04 to AY2005-06	The Hon'ble ITAT of Mumbai vide its order dated 30/09/2010 had directed the assessing officer to examine the matter, on merits, for eligibility to tax exemption as a result of the registration u/s. 12AA. However the assessing officer has done de-novo assessment without taking into consideration the directions issued by the Hon'ble ITAT. JNPT had filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the said order. Also, an early hearing petition was filed with the CCIT, Thane for early disposal of the case.
	Thereafter the case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing specifically for the erstwhile assessment years. The CIT (Appeals) passed order on 21-12-2015 granting tax exemption u/s.11 to the Port as a result of the registration u/s.12AA. The case was regularly followed up with DCIT, Panvel for giving effect to the CIT (Appeals) orders which would result in considerable refunds to the Port.
	However, the DCIT, Panvel abruptly transferred the Port's case records to DCIT (Exemptions), Pune without giving an opportunity to the Port




	के पास स्थानांतरित कर दिया और पत्तन को इस स्थानांतरण के विरुद्ध अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया । इस स्थानांतरण से नुकसान होने के कारण पत्तन ने मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिस पर 06/05/2016 को पहली सुनवाई होनी थी । मामले पर सुनवाई हुई तथा इसे 15/6/2016 तक स्थिगित कर दिया गया ।		for presenting its argument against the transfer. Aggrieved by this the Port has filed a writ petition with Hon'ble Bombay High Court which was listed for admission hearing on 06-05- 2016. The case was heard and the matter has been adjourned to 15-06-2016.
	इस मामले में बाद में सुनवाईयां हुईं तथा आयकर विभाग द्वारा यह दावा करते हुए शपथ पत्र दायर किया गया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पुणे में आयकर आयुक(छूट) का नया कार्यालय खोले जाने के कारण मामले का स्किया गया था । वे इस बात के लिए भी सहमत थे कि रिट याचिका पर निर्णय होने के तुरंत बाद आयकर आयुक्त, (अपील) औरंगाबाद के आदेश को प्रभावी किया जाएगा। तदनुसार पत्ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली। आयकर आयुक्(छूट), पुणे ने आदेश पारित किया तथा जनेप न्यास को अक, 2016 में रु. 313.40 करोड़ राशि वापस कर दी।		Further hearings were held in the matter and income tax department filed an affidavit claiming that transfer of case records was as a result of creation of new charge of CIT (Exemptions) Pune by CBDT. They also agreed that order effect of CIT (Appeals), Aurangabad shall be passed immediately after the writ petition is decided upon. Accordingly, the writ petition was withdrawn by the Port. The CIT (Exemp), Pune passed the order effect and refund amounts of Rs.313.40 Crs were issued to JNPT in October, 2016.
	कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी इसलिए इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील फिर से दायर की गई है।		The matter has been further appealed with ITAT, Mumbai on certain issues which need to be decided upon.
निर्धारण वर्ष 2006-07 से निर्धारण वर्ष 2007-08	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया।	AY2006-07 to AY2007-08	The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment years has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s.11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration u/s.12AA.
	आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उछिआदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की ।		The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the Hon'ble Bombay High Court in the said cases.
	मा. मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने दि. 08/06/2015 के आदेश द्वारा आयकर विभाग की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। बाद में आयकर विभाग ने दोनों वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।		The Hon'ble Bombay High Court has vide its order dated 08-06-2015 dismissed both the appeals of the Income Tax Dept. Further the Income Tax Dept. has filed appeals for both the years with the Hon'ble Supreme Court.
	मामले पर वर्ष के दौरान विभिन्तारीखों को सुनवाई होनी थी तथा मामला मा. सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ।		The case was listed for hearing on various dates during the year and is pending with Hon'ble Supreme Court.
निर्धारण वर्ष	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश	AY2008-09	The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for



2008-09	द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया। आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उल्लिखित आदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दि.24.10.2016 के आदेश द्वारा इस मामले को हमारे पक्ष में ख़ारिज कर दिया। इसी बीच, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने मामले को पुनः शुरू कर दिया है। विभागीय आयकर आयुक्त ने इसके लिए दि. 15/03/2016 को आदेश जारी किया जिसके विरुद्ध पत्तन ने किए गए संवर्धनों के विरुद्ध आयकर आयुक्त		the said assessment year has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s. 11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration under s. 12AA. The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the Hon'ble Bombay High Court in the said case. The said case has been dismissed by High Court in our favour vide order dated 24.10.2016. In meanwhile the case was re-opened by DCIT, Panvel u/s.148 of the IT Act. The order for the same was passed by DCIT on 15-03-2016 against which the Port has filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the additions
निर्धारण वर्ष 2009-10	(अपील), ठाणे के पास अपील दायर की है। जनेप न्यास ने उपर्युक्त निर्धारण वर्ष में किए गए संवर्धनों के लिए आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुध्द माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील दायर की है। पत्तन उक्त निर्धारण वर्षों के लिए अपील के अतिरिक्त आधार दिखाकर धारा 11 के तहत छूट मांगने का प्रयास कर रहा है।	AY2009-10	made. JNPT has preferred appeal with the ITAT, Mumbai against the order passed by CIT (Appeals), Thane for the said assessment year against the additions made. For the said assessment year the Port is also trying to seek exemption u/s.11 by filing additional grounds of appeal.
निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा निर्धारण वर्ष 2011-12	जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की है। उक्त निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए मामले को आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित किया गया था। आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त, पनवेल की ओर से किए गए संवर्धनों की पृष्टिकरते हुए आदेश पारित किए गए थे। पत्तन ने आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय आयकर अपील अधिकरण मुंबई के पास अपील दायर की है।	AY2010-11 & AY2011-12	JNPT have preferred appeals with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. The case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing for the said assessment years. The orders were passed by CIT (Appeals) confirming the additions made by JCIT, Panvel. The Port has filed an appeal with ITAT, Mumbai against the said orders of CIT (Appeals), Aurangabad.
	पत्तन ने आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत उक्त निर्धारण वर्षों के लिए छूट मांगने की अपील के अतिरिक्त आधार प्रस्किए हैं।		For the said assessment years the Port has also filed additional grounds of appeal to seek exemption u/s.11 of the Income Tax Act.
निर्धारण वर्ष 2012-13	निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित किया गया था जिसमें धारा 80 आई ए के अधीन कटौती के दावे की	AY2012-13	Assessment order was passed by Assessing Officer wherein the major issue involved was



	अस्वीकृति का प्रमुख मुद्दा शामिल था। आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। जनेप न्यास द्वारा धारा 80 आई ए के दावे के समर्थन में आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज, मानचित्र, रिपोर्ट आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत किए गए । धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए । आयकर आयुक्त (अपील) के 21.12.2017 के आदेश के अनुसार जनेप न्यास की अपील को खारिज कर दिया गया । पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसका अधिनिर्णय होना बाकी है ।		disallowance of claim of deduction u/s.80IA. An appeal was filed before CIT(A). All the necessary documents, maps, reports which are in support to the claim of 80IA by JNPT was been furnished before CIT (A). Further additional ground was filed for the exemption u/s 11. CIT(A) vide order dated 21.12.2017 dismissed the appeal of JNPT. The port has filed an appeal before ITAT which pending for adjudication.
निर्धारण वर्ष 2013-14	जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त, ठाणे के पास अपील दायर की है । पत्तन द्वारा आयकर अधिनयम 80 आई ए के तहत किया गया कटौती का दावा आयकर विभाग द्वारा खारिज किया गया है जिसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (ठाणे) के सामने अपील की गई थी । धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए । आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 21.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप न्यास की अपील को खारिज कर दिया गया । पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसका अधिनर्णय होना बाकी है ।	AY2013-14	JNPT have preferred appeal with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. Sec.80IA deduction claimed by Port has been disallowed by the IT Dept. which has been appealed before the CIT (Appeals), Thane. Further additional ground was filed for the exemption u/s 11. CIT(A) vide order dated 21.12.2017 dismissed the appeal of JNPT. The port has filed an appeal before ITAT which pending for adjudication.
निर्धारण वर्ष 2014-15	विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे को मामले के हस्तांतरण के विरुद्ध पत्तन द्वारा दायर याचिका वापस लेने के बाद निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गयी थी। आवश्यक दस्तांवेज और सबूत निर्धारण अधिकारी के पास जमा किए गए थे। विभागीय आयकर आयुक्त (छूट) (मुख्यालय), पुणे द्वारा धारा 143 (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित किया गया था। डीसीआईटी के आदेश के खिलाफ दिनांक 25-01-2017 को आयकर आयुक्त (अपील), पुणे के समक्ष एक अपील दायर की गई है जिसमे धारा 11 के अधीन छूट के लाभ को अस्वीकार करना और धारा 80 आई ए के अधीन कटौती की अस्वीकृति और अन्य परिवर्धन जैसे मुद्दे शामिल हैं। आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 22.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप न्यास की अपील को खारिज कर दिया गया। पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की जिसका अधिनर्णय होना बाकी है।	AY2014-15	The assessment proceedings were resumed after the writ petition filed by the Port against the transfer of case records to DCIT (Exemptions), Pune was withdrawn. Necessary documents and supporting were submitted with the Assessing Officer. The assessment order u/s.143(3) was passed by DCIT (Exem)(HQ), Pune. An appeal has been filed with CIT (Appeals), Pune on 25-01-2017 against the order passed by DCIT. The issues involved are denying exemption benefit u/s.11, disallowance of deduction u/s.80IA and other additions. CIT(A) vide order dated 22.12.2017 dismissed the appeal of JNPT. The port has filed an appeal before ITAT which pending for adjudication.
निर्धारण वर्ष 2015-16	दि. 28.12.2017 के निर्धारण आदेश द्वारा जनेप न्यास का धारा 80 आई ए के अधीन कटौती और धारा 11 के अधीन छूट का दावा नामंज़ूर किया गया था । पत्तन ने	AY2015-16	Assessment order dated 28.12.2017 wherein the claim of JNPT of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an



	20.01.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है । आयकर आयुक्त (अपील) ने 18.03.2019 को आदेश पारित किया है । जनेप न्यास द्वारा आयकर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया जारी है । निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए 23.08 करोड़ की धन वापसी नवंबर 2017 में प्राप्त हुई ।
निर्धारण वर्ष 2016-17	दि.26.12.2017 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था। पत्तन ने दि.24.01.2019 को आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है।
निर्धारण वर्ष 2017-18	वर्ष के लिए आयकर विवरणी 29 सितंबर,2017 को प्रस्तुत की गई है। विवरणी को जांच के लिए चुना गया है जिसका निर्धारण 31.12.2019 को है।
निर्धारण वर्ष 2018-19	विवरणी 29.09.208 को प्रस्तुत कर दी गई है।

13. कर/अग्रिम कर के लिए प्रावधान

पत्तन ने वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राहकों तथा संस्थानों द्वारा काटे गए स्रोत कर सहित रु.401 करोड़ के अग्रिम आयकर का भुगतान किया है। आस्थिगित कर सहित रु.460.20 करोड़ के कर हेत् प्रावधान किया गया है।

14, पत्तन परिसम्पत्तियों का बीमा

सूनामी, चक्रवात आदि घटनाओं तथा मंत्रालय से प्राप्त निदेशों एवं भारतीय पत्तन संघ द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पत्तन ने एक स्वतंत्र मूल्यांकक से पत्तन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कराने के बाद मार्च, 2006 से एक विस्तृत पत्तन पैकेज नीति तैयार की है।

विस्तृत पत्तन पैकेज नीति में निम्नलिखित बीमा रक्षा क्षेत्र आते हैं :-

- भूकम्प जोखिम के विस्के साथ मानक अग्निएवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)
- 2) विस्तृत पत्तन पैकेज सम्पत्ति
- 3) विस्तृत पत्तन पैकेज देयता
- 4) विस्तृत पत्तन पैकेज व्यापार व्यवधान (एफएलओपी/एमएलओपी/पत्तन कामकाज में बाधा, मलबे की निकासी)

	appeal before CIT(A) on 20.01.2018. The order has been passed by CIT(A) dated 18.03.2019 and JNPT is in process of filing a further appeal before ITAT. Refund of Rs.23.08 Crs. was received in Nov.2017 for A.Y.2015-16
AY2016-17	Assessment order dated 26.12.2017 wherein the claim of JNPT of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 24.01.2019.
AY2017-18	The Income Tax Return for the year has been filed on 29th September 17. The return has been selected for scrutiny for which assessment is due on 31.12.2019.
AY2018-19	Return has been filed on 29.09.2018

13) PROVISIONS FOR TAX/ADVANCE TAX

The Port has paid advance income tax amounting to Rs 401 Crs. including TDS deducted by customers & institutions during the year for A.Y. 2018-19. Provision for tax has been made for Rs. 460.20 Crs. including deferred tax.

14) INSURANCE OF PORT ASSETS

In view of incidents like Tsunami, Cyclones etc., and directives received from Ministry as well as report of committee constituted by IPA, the Port finalized the Comprehensive Port Package Policy w.e.f. March, 2006 after valuation of certain Port's Assets by an Independent Valuer.

The comprehensive Port Package Policy comprises of the following Insurance cover:

- Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township).
- 2. Comprehensive Port Package Property
- 3. Comprehensive Port Package Liability
- 4. Comprehensive Port Package Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal)

- 5) समुद्री पेटा प्लवन नौकाएँ
- 6) निष्ठा गारंटी बीमा
- 7) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर बीमा
- 8) निदेशक और अधिकारी देयता नीति
- 9) आतंकवाद से विशेष स्रक्षा

पत्तन परिसम्पत्तियों की बीमे की मौजूदा राशि लगभग रु. 3860.01 करोड़ है । वर्तमान व्यापक पत्तन पैकेज पॉलिसी को सेवाकर एवं मुद्रांक शुल्क सिंहत रु.4.40 करोड़ की किस्त देकर दि. 1.07.2018 से नवीकृत किया गया । बीमा पॉलिसी को दि. 01/07/2019 से 30/06/2020 तक नवीकृत करने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है ।

15. भविष्य निधि, उपदान निधि एवं पेंशन निधि के लिए न्यास

आयकर अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए पृथक न्यासों का गठन किया गया है जो 31/03/2003 से प्रारंभ हुए :

क्रम. सं.	निधि का नाम	न्यास का नाम
1	भविष्य निधि	ज. ने. पत्तन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
2	उपदान निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी उपदान न्यास
3	पेंशन निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन अधिवर्षिता न्यास

आयकर विभाग इन न्यासों को मान्यता दे चुका है और उपदान और पेंशन के वार्षिक अंशदान से संबंधित राशियाँ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जा रही हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त पत्तन की छुट्टी नकदीकरण देयता भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जाती है। मंत्रालय ने दि. 19 मई, 2005 के पत्र सं.पीआर-24021/20/2004-पीजी के द्वारा उक्त करार का 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन कर दिया है।

सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अंशदान

(करोड रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को आवश्यक निधि	निधि शेष	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	31.03.2019 को कुल योग	31.03.2019 को बकाया देयता	31.03.2019 को अवित्त पोषित देयता
1	पेन्शन निधि	1,432.00	1,463.25	- I	1,463.25	ı	31.25
2	उपदान निधि	1,463.25	113.72	-	113.72	58.14	0.38
3	छुट्टी नकदी- करण निधि	98.23	77.85	1	77.85	16.75	3.63
	कुल	1,702.47	1,654.82	-	1,654.82	74.89	(27.24)

इन निधियों के कारण 31.3.2019 को कुल देयता रु.1,702.47 करोड़ थी तथा इन निधियों का 31.3.2019 को कुल मूल्य रु.1,654.82

- 5. Marine Hull Floating Crafts
- 6. Fidelity Guarantee Policy
- 7. Electronic Equipment Insurance
- 8. Directors and Officers Liability Policy
- 9. Standalone terrorism cover

The current sum insured for the Port assets is around Rs.3860.01 Crs. The current Comprehensive Port Package Policy was renewed w.e.f. 01.07.2018 for a premium of Rs.4.40 Crs. including GST and stamp duty. The tender for renewal of insurance policy w.e.f. 01.07.2019 to 30.06.2020 is under process.

15)TRUSTS FOR PROVIDENT FUND, GRATUITY FUND & PENSION FUND

In order to comply with the provisions of Income Tax Act, separate Trusts were created with the approval of the Board in respect of the following and came into existence on 31.03.2003:

Sr. No.	Name of Fund	Name of the Trust
1	Provident Fund	JN Port Employees Provident Fund Trust
2	Gratuity Fund	JN Port Employees Gratuity Trust
3	Pension Fund	JN Port Superannuation Trust


The Income Tax Dept. has since granted recognition to these Trusts and amounts pertaining to Gratuity and Pension are being deposited with Life Insurance Corporation of India towards annual contribution based on the actuarial valuation. In addition to the above, Leave Encashment liability of the Port is also deposited with L.I.C. based on the actuarial valuation. Ministry vide letter No.PR-24021/20/2004-PG dated 19th May 2005 have granted 'in principle' approval to the above arrangement.

Contribution for Retirement Benefits

(Rs in Crs.)

Sr. No.	Particulars	Fund required as on 31.03.2019	Fundbalance	Contribution made during the year	Total as on 31.03.2019	OSL as on 31.03.2019	Unfunded Liability as on 31.03.2019
1	Pension Fund	1,432.00	1,463.25		1,463.25	-	(31.25)
2	Gratuity Fund	172.24	113.72	_	113.72	58.14	0.38
Ť	Canality I take	1/221	115.72		110.72	50.11	0.50
3	Leave Encashment Fund	98.23	77.85	-	77.85	16.75	3.63
	Total	1,702.47	1,654.82	-	1,654.82	74.89	(27.24)

The total liability on account of these three Funds stood at Rs.1,702.47 Crs. on 31.03.2019 and the total value of these





करोड़ था । वर्ष के दौरान इन निधियों के लिए कोई अंशदान नहीं किया गया है क्योंकि इन में देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि शेष है ।

16. टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराया:

तुलन-पत्र में परिलक्षित चिंता का प्रमुख क्षेत्र है टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराए की बकाया बड़ी राशि । पट्टा किराया वृद्धि में भिन्नता, पट्टे की अवधि, न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के भुगतान से संबंधित विवाद का मामला वर्ष 2005 में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था । विवाचन अधिकरण ने साझा मुद्दों के संबंध में मई, 2012 में जेएनपीटी के विरुद्ध तथा एलसीबीयए के पक्ष में निर्णय दिया । पत्तन ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है तथा मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है । वैयक्तिक मामले में विवाचन अधिकारी ने जून, 2018 में जनेप न्यास के विरुद्ध निर्णय दिया है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जिस पर अभी तक स्नवाई नहीं हुई है। मध्यस्थता अधिकरण ने जनेपन्यास को पार्टियों के अधिकार और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना निर्विवाद राशि के लिए बिलों की उगाही के निर्देश दिए हैं । तदनुसार, जनेप न्यास ने मेसर्स रिलायंस तथा आईएमसी को निर्विवाद राशि के लिए बिल जारी किए हैं। अन्य टैंक फार्म प्रचालकों से संबंधित बीजक आबंटन पत्र में उल्लिखित दर के अनुसार जारी किए जाते हैं। दिनांक 31.3.2019 को वे-लीव, भूमिगत पाइपलाइन और जल शुल्क (एमजीटी को छोड़कर) के कारण कुल बकाया राशि 310.97 करोड़ है । तदनुसार जनेप न्यास ने नवंबर, 2016 से निर्विवाद राशि के बीजक जारी किए हैं। ड दिनांक 31.3.2019 को वे-लीव, भूमिगत पाइपलाइन और जल शुल्क (एमजीटी को छोड़कर) के कारण कुल बकाया राशि 463.95 करोड़ है। उक्त टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराए और वे लीव प्रभारों के लिए बिलों की उगाही नहीं की गई है।

न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के अर्थदण्ड के संबंध में तैयार किए गए बीजकों पर आपित उठाई गई है तथा कुछ भी राशि नहीं प्राप्हो रही है इसलिए सारे मामले को उच्च न्यायालय को भेजा गया है। उच्च न्यायालय की कार्यवाही अभी भी जारी है। केवल न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के कारण ही टैंक फार्म प्रचालकों पर कुल बकाया राशि 31/3/2019 को रु°266.11 करोड़ निकलती है तथा जिसमें से रु° 143.46 करोड़ वर्तमान परिसम्पत्तियों का हिस्सा है।

17. बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज:

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार पत्तन को ग्राहकों से बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना होता है । तथापि टैंक फार्मों Funds stood at Rs.1654.82 Crs as on 31.03.2019. No contribution has been made towards these Funds during the year as the funds have sufficient balances to cover the liability.


16) LEASE RENTALS FROM TANK FARM OPERATORS

One of the major areas of concern reflected in the Balance Sheet is the huge out standings from Tank Farm Operators on account of Lease Rentals. The matter regarding the dispute related to the variation in the lease rent escalation. lease period, payment of MGT etc. was referred to Arbitration in 2005. The Arbitral tribunal has given an award in favor of LCBUA in May 2012 in respect of common issued against JNPT. Port has filled appeal against the said award and matter is pending with Hon'ble High court. In respect of individual matter the arbitrator has given an award on June-2018 against JNPT. The appeal against the said award is filed with Hon'ble High court pending for admission. The Arbitration Tribunal has instructed JNPT to raise the bills for an undisputed amount without prejudice to the rights and contentions of the parties. Accordingly Port has issued the bills for the undisputed amounts to M/s Reliance & IMC. Bills in respect of other tank farm operators are raised as per rate mentioned in the allotment letter. The total outstanding on account of Way-Leave, Buried Pipeline and Water Charges, (Excluding MGT) as on 31.3.2019 Rs.310.97 Crores Accordingly, JNPT has issued the bills for the undisputed amount from November, 2016. outstanding on account of Way-Leave, Buried Pipeline and Water Charges, (Excluding MGT) as on 31.3.2019 Rs 463.95 Crores

The invoices raised in respect of penalty for Minimum Guaranteed Throughput (MGT) have been disputed and no amount is forthcoming and the entire matter has been referred for High Court. The High Court proceedings are still in progress. The total amount due from Tank Farm Operators on account of MGT alone stands at Rs. 266.11 Crores as on 31.03.2019 and of which Rs.143.46 Crores forms part of Current Assets.

17) PENAL INTEREST ON OUTSTANDING DUES

As per the directions of the Tariff Authority for Major Port, Port is to charge penal interest on outstandings from customers. However, in the case of Estate Rentals, both Tank Farm and others most of the outstandings are disputed





एवं अन्य मामलों में संपदा किराए की अधिकतर बकाया राशि विवादित है और मामले का निपटारा अभी होना बाकी है । जब मूलधन की राशि ही विवादित है तो उस पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना उचित नहीं समझा गया है । लेखाकरण मानक - 9 'राजस्व पहचान' के अनुसार यदि बिक्री या सेवाएं देते समय राजस्व के अंतिम संग्रहण में बड़ी अनिश्चितता हो तो आय की पहचान को स्थिगित कर दिया जाता है तथा ऐसे मामलों में राजस्व को लेखे में तभी लिया जाना चाहिए जब यह ठीक तरह से निश्चित हो जाए कि अंतिम संग्रह किया जाएगा । तद्नुसार उक्त को संपदा किराया, टैंक फार्म एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के बकायों पर प्रभारित नहीं किया गया है।

18. नि.प्र.ह.प्रचालकों को सौंपे गए शेड/अन्य परिसम्पत्तियाँ :

एपीएम टर्मिनल/जीटीआईपीएल के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार बल्क भंडारण शेडों को उन्हें सौंप दिया गया है जिन्यार्ड बनाने एवं अन्य सुविधाएँ तैयार करने के लिए नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ अन्य परिसम्पित्तयाँ जैसे, वैगन लदाई प्लेटफार्म, कैन्टीन आदि भी उन्हें सौंप दी गई हैं। ये परिसम्पित्तयाँ उसी रूप में पत्तन को वापस प्राप्त नहीं होंगी, जिस रूप में उन्हें सौंपा गया था । उन्हें सौंपी गई अन्य परिसम्पित्तयों के साथ-साथ ऐसी परिसम्पित्तयों पर पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है। अतः इन परिसम्पित्तयों को निर्धारित परिसम्पित्तयों के रिजस्टर से हटा दिया गया है एवं अलग से 'सुधार के लिए बीओटी प्रचालकों को सौंपे गए शेडों/परिसम्पित्तयों के रूप में दिखाया गया है । सौंपे जाने के समय इन परिसम्पित्तयों का हासित मूल्य रु.54.53 करोड़ था । इन परिसम्पित्तयों का 30 वर्षों के लिए समान किस्तों में परिशोधन किया जा रहा है । इनका परिशोधित मूल्य दिनांक- 31/03/19 को रु. 28.57 करोड़ है ।

इसी तरह एनएसआईसीटी के उत्तर की ओर कंटेनर घाट के 330 मीटर के विस्तार पर किया गया व्यय 31 मार्च, 2016 को 5.23 करोड़ रुपये था। उसे पट्टे की शेष अवधि में समान रूप से परिशोधित किया गया है और 31 मार्च 2019 को इन संपत्तियों का परिशोधित मूल्य 4.30 करोड़ रुपये है।

19) विधिक/विवाचन/सेवा कर के मामले

पत्तन ने अंतर टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालन की बिलिंग में अंतर के कारण 4.42 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ 12.22 करोड़ वसूलने के लिए जीटीआईपीएल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

20) मेसर्स एम एम निस्सिम एंड कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पत्तन ने रु.18.27 करोड़ के ब्याज के साथ 42.15 करोड़ की संचयी बकाया राशि की वसुली के लिए दिनांक and the matter is yet to be resolved. When the principal itself is disputed, charging penal interest on the principal has not been considered proper. As per the Accounting Standard-9, "Revenue Recognition", if at the time of rendering of services or sale there is significant uncertainty in ultimate collection of the revenue then the revenue recognition is postponed and in such cases revenue should be recognized only when it becomes reasonably certain that ultimate collection will be made. Accordingly the same is not charged on Estate Rentals, Tank farm & MGT outstanding.

18)SHEDS / OTHER ASSETS HANDED OVER TO BOT OPERATOR

As per terms of agreement with APM Terminal / GTIPL, Bulk storage sheds have been handed over to them which could be demolished for creation of yard and other facilities. In addition, certain other assets like wagon loading platform, canteens etc. have also been handed over to them. These assets will not revert back to the Port in the same form in which they were handed over. Lease rentals are being collected on such assets along with all other assets handed over. Hence, these assets have been removed from fixed assets register and shown separately as 'Sheds/Assets handed over to BOT operator for modification.' The WDV of these assets was Rs.54.53 Crs. at the time of handing over. These assets are being amortised equally over a period of 30 years. The amortised value of these assets as on 31.03.2019 is Rs. 28.57 Crs.

Similarly expenditure incurred on account of extension of container berth towards north of NSICT by 330 metres was Rs.5.23 Crores as on 31ST March 16, the same has been equally amortised over the remaining period of lease and amortised value of these assets as on 31.03.2019 is Rs. 4.30 Crs.

19) LEGAL/ARBITRATION/SERVICE TAX CASES

Port has filed legal suit against GTIPL to recover Rs. 12.22 Crores along with interest of Rs. 4.42 Crores on account of differential billing of Inter Terminal Rail Handling Operations.

Port has sent a Notice for Invocation of Arbitration as per Clause 23.3 of License Agreement dated 10th August 2004 on 5th April 2018 to M/s GTIPL for recovery of cumulative 10 अगस्त, 2004 के अनुज्ञप्ति करार के खंड 23.3 के अनुसार मध्यस्थता के लिए मेसर्स जीटीआईपीएल को दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को नोटिस भेजा है।

मेसर्स एनएसआईसीटी ने प्रति टीईयू रायल्टी भुगतान को राजस्व हिस्सेदारी में परिवर्तित करने की मांग करते हुए 3 जुलाई, 1997 के अनुज्ञप्ति करार के 15.3 खण्ड के अनुसार पत्तन पर विवाचन के लिए कराया है।

20. संस्थापित और उपयोगित क्षमता:

प्रहस्तित यातायात और संस्थापित क्षमता का विवरण नीचे दिया जा रहा है -(मिलियन टनों में)

विवरण	संस्थापित क्ष	मता	वास्तविक रूप से	
				नता
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
ज.ने.प.कं.टर्मिनल (मुख्य घाट)	22.10	22.10	12.34	15.76
जीटीआईपीएल	23.70	23.70	24.90	24.89
एनएसआईसीटी	20.50	20.50	6.85	7.88
उथला घाट (ब.ट.)	1.30	1.30	1.44	1.34
उथला घाट (कं.ट.)	3.20	3.20	0.11	0.81
एनएसआईजीटी	10.30	10.30	12.16	8.28
बी.पी.सी.एल. (द्रव कार्गो घाट)	7.20	7.20	7.00	6.60
बी.एम.सी.टी.पी.एल	30.00		5.75	0.24
कुल योग	118.30	88.30	70.55	65.80

नोटः ऊपर उल्लिखित यातायात के अलावा निम्नलिखित यातायात का प्रहस्तन किया गया :

- 1. लंगरगाह पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः
- 1,62,898 और 131,404 टन द्रव कार्गो का प्रहस्तन किया गया।
- 2. नि.प्र.ह. टर्मिनलों पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 16,581 और 14,222 टन सीमेंट का प्रहस्तन किया गया।
- 3. नि.प्र.ह. टर्मिनलों पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 14,242 और 9,984 टन सामान्य कार्गो का प्रहस्तन किया गया, जिसमें क्रेनों का भार भी शामिल है।

21. आयातों का मूल्य (सीआईएफ):

आयात का लागत, बीमा और भाड़े के आधार पर परिकलित मूल्य एवं विदेशी मुद्रा में व्यय नीचे दिए जा रहे हैं: (करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
	उपभोज्य तथा कलपुर्जे एवं पूंजीगत सामान	2.96	98.17
2	प्राप्त की गई सेवाएं (पूंजी एवं राजस्व कार्य)	3.09	4.00

dues of Rs. 42.15 crores along with interest of Rs. 18.27 crores as per Audit Report submitted by Ms M M Nissim & Co for FY 2016-17.

M/s NSICT has filed arbitration as per Clause 15.3 of License Agreement dated 3rd July, 1997 on Port for seeking conversion of per TEU Royalty payment to Revenue Share.

20) CAPACITY INSTALLED & UTILISED

The details of traffic handled and capacity installed is given below:(In Million Tonnes)

Particulars	Capacity	Installed	Capacity Actually Utilized	
1 at tictians	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
JNPCT (Main Berth)	22.10	22.10	12.34	15.76
GNPL	23.70	23.70	24.90	24.89
NSICT	20.50	20.50	6.85	7.88
Shallow Water Berth BT	1.30	1.30	1.44	1.34
Shallow Water Berth CT	3.20	3.20	0.11	0.81
NSIGT	10.30	10.30	12.16	8.28
BPCL (Liquid Cargo Berth)	7.20	7.20	7.00	6.60
BMCTPL	30.00	-	5.75	0.24
Grand Total	118.30	88.30	70.55	65.80


Note: Apart from above mentioned traffic, following traffic is handled at:

- 1) 162,898 tons & 131,404 tons of liquid cargo were handled during 2017-18 & 2018-19 respectively at anchorage.
- 2) 16,581 tons & 14,222 tons of cement was handled during 2017-18 & 2018-19 respectively at BOT Terminals.
- 3) 14,242 tons & 9,984 tons of general cargo was handled during 2017-18 and 2018-19 respectively at BOT terminals, which included the weight of cranes also.

21) VALUE OF IMPORTS (CIF)

The values of imports calculated on CIF basis and expenditure in foreign currency are given below:

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Consumables & spare parts & Capital Goods	2.96	98.87
2	Services availed (Capital & Revenue Works)	3.09	4.00



क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
3	प्रशिक्षण, दैनिक भत्ता, सम्मेलन व्यय, अनुरक्षण	0.15	0.14
	ठेके इत्यादि के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय		
4	आयातित एवं स्वदेशी उपभोज्य कलपुर्जों का		आयातित और
	मूल्य एवं कुल उपभोग में उसका प्रतिशत		स्वदेशी खपत
	(करोड रुपयों में)		अलग से
			उपलब्ध नहीं है।
		कुल 9.78	कुल 9.00
		करोड 100.00%	करोड 100.00%
5	वर्ष में पूंजीगत लेखे से की गई और उसमें	शून्य	शून्य
	शामिल न की गई भंडार और सामग्री की कुल		
	खरीद		

22. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

(लाख रुपयों में)

विवरण	2018-19	2017-18
मुख्य महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षक के रुप में	25.45	25.51
कराधान मामले के लिए कर लेखा-परीक्षकों को	7.05	6.05
आंतरिक लेखा परीक्षक	4.59	4.10
योग	37.09	35.66

23. कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर किए गए व्यय का विवरण :

कोटि	दि.31.03.2019 को	दि.31.03.2018 को
श्रेणी		
I	182	179
II	48	49
III	1204	1247
IV	87	92
योग	1521	1567
कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक (करोड रुपयों में)	235.28	258.68

24. अनिवार्य मदों पर किया गया व्यय

(करोड रुपयों में)

विवरण	2018-19	2017-18
भंडारों तथा कलपुर्जों की खपत	11.95	9.77
बिजली ईंधन, तेल एवं जल	150.97	123.39
लघु कार्यों सहित मरम्मत एवं अनुरक्षण	34.70	35.52
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	235.29	258.68
कर्मचारी कल्याण व्यय	19.25	15.27
चिकित्सा व्यय	16.60	18.87
बीमा	4.01	3.44

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
3	Expenditure in foreign currency for Training, D.A., Conference expenses, Maintenance contracts etc.	0.15	0.14
4	Value of imported & indigenous spare parts consumed and % to total consumption (Rs. In Crs.)		Imported & Indigenous consumption Not separately Available
		Total 9.78 Crs 100.00%	Total 9.00 Crs 100.00%
5	Total purchase of stores and materials made on capital A/c during the year and not included in capital A/c.	NIL	NIL

22) REMUNERATION TO AUDITORS

(Rs in Lakhs.)

Particulars	2018-19	2017-18
As Auditors to CAG	25.45	25.51
Tax Auditors in respect of Taxation Matter	7.05	6.05
Internal Auditor	4.59	4.10
Total	37.09	35.66


23)DETAILS OF STAFF STRENGTH AND EXPENDITURE INCURRED THEREON

Category	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Class		
I	182	179
II	48	49
III	1204	1247
IV	87	92
Total	1521	1567
Annual remuneration to Employees (Rs. In Crs.)	235.28	258.68

24) EXPENDITURE ON CERTAIN ITEMS

(Rs in Crs.)

Particulars	2018-19	2017-18
Consumption of stores and spares	11.95	9.77
Power, Fuel, Oil & Water	150.97	123.39
Repairs & Maintenance incl Minor Works	34.70	35.52
Salaries wages and bonus	235.29	258.68
Employee welfare expenses	19.25	15.27
Medical Expenses	16,60	18.87
Insurance	4.01	3.44





25. 31 मार्च, 2019 को आकस्मिक देयताएँ :

- क) विभिन्न ठेकेदारों के ऐसे दावे जो मध्यस्थता / मुकदमेबाजी / विवाद के अधीन हैं एवं जिन्हें लेखों में देयताओं के रूप में नहीं दिखाया गया है, वे प्रधान कार्यों के लिए 17.10 करोड़ रुपये और राजस्व कार्यों के लिए 10.42 करोड़ रूपये हैं।
- ख) मुकदमेबाजी के अंतर्गत लवण पटल भूमि के लिए रु. 25.00 करोड़ के क्षतिपूर्ति के दावे ।
- ग) हनुमान कोलीवाड़ा के दूसरे पुनर्वास पर रु. 5.69 करोड़ का किया गया व्यय ।
- घ) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए 12.5 प्रतिशत योजना के अंतर्गत 111 हेक्टेयर भूमि के विकास की लागत सहित कुल लागत लगभग रु.
- 414 करोड़ है, क्योंकि अभी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

26. ज.ने.प. न्यास के कंटेनर वहन स्थानक तथा बफर यार्ड के लिए लाइसेंस:

मेसर्स सीडब्लूसी को दिए गए पूर्व के लाइसेंस की दि. 31/12/2005 को समाप्ति पर जने पत्तन के कंटेनर वहन स्थानक एवं बफर यार्ड के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए नया लाइसेंस मे. स्पीडी मल्टीमोड्स लि. ड पूर्व नाम स्पीडी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. (एसटीपीएल) . मुंबई को 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया जिसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है । इस करार में सौंपी गई परिसम्पत्तियों के पट्टे किराए के भुगतान एवं लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार प्रहस्तित टीइयू के लिए रायल्टी का प्रावधान है । लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पट्टा किरायों, रायल्टी एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय में कमी के कारण जनेप न्यास को मेसर्स एसएमएल से प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप से है :

(करोड रुपयों में)

		•
विवरण	2018-19	2017-18
रायल्टी	7.21	7.44
पट्टा किराए	20.75	20.00
न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय (एम जी टी) में कमी (रायल्टी में समाहित)	1.44	1.14

27. धारा 80 आई.ए. के दावे :

पत्तन ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं के लिए कर में लाभ पाने के लिए आवेदन किया है:

क)मे. गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया प्रा. लि. (एपीएम टर्मिनल / जीटीआइपीएल) से अर्जित राजस्व ।

25) CONTINGENT LIABILITIES AS ON 31ST MARCH 2019

- a) Claims from the various contractors which are under Arbitration/ litigation/dispute and which are not provided in the books as liabilities works out to Rs. 17.10 Crores towards capital work and Rs.10.42 crores towards revenue works.
- b) Compensation claimed for Saltpan land under litigation is Rs.25.00 Crs.
- c) Expenditure on 2nd rehabilitation of Hanuman Koliwada amounting to Rs. 5.69 Crs.
- d) The total cost inclusive of development of 111 hectares of land under 12.5% Schemes for PAP is Rs. 414 Crs. approximately, as decision is awaited from the Government.

26)LICENSE IN RESPECT OF CFS & BUFFER YARD OF JNPT

On expiry of earlier license awarded to M/s CWC on 31/12/2005, a fresh license for Management, Maintenance & Operations of CFS & BY of JNP was awarded to M/s. Speedy Multimodes Ltd. (formerly known as Speedy Transport Pvt Ltd, (STPL)), Mumbai, for a period of 20 years, further extendable by 10 years. The Agreement provides for payment of lease rentals for assets handed over, and royalty for TEUs handled as per conditions of License Agreement. The amounts which accrued in JNPT from M/s SML, during the Financial year 2017-18 towards lease rentals, royalty and shortfall in MGT as per conditions of License are as follows:

(Rs in Crs.)

Particulars	2018-19	2017-18
Royalty	7.21	7.44
Lease rentals	20.75	20.00
Shortfall in MGT (included in Royalty)	1.44	1.14

27) SECTION 80IA CLAIMS

The Port has made an application during the year for availing Tax benefit u/s 80IA of the Income Tax Act for the following infrastructure facilities:-

 a) Revenue earned from M/s Gateway Terminals of India Private Limited (APM Terminal / GTIPLs).

- ख) सितम्बर 2011 में खरीदकर संस्थापित की गईं तीन रेल माउंटेड की क्रेनें (आरएमक्यूसी)।
- ग) वर्ष 2006-07 में खरीदकर संस्थापित की गईं दो रेल माउंटेड गंत्री क्रेनें (आरएमजीसी) ।
- घ) वर्ष 2013-14 में संस्थापित की गई एक रेल माउंटेड की क्रेन (आरएमकयुसी) तथा एक रेल माउटेंड गंत्री क्रेन (आरएमजीसी) ।

28. निगमित सामाजिक दायित्व निधि का सूजन:

पत्तन गतिविधियों से समाज पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक - 2 दिसंबर, 2011 के परिपत्र सं. पीडी-25021/10/2011-पीडी. द्वारा सभी पत्तनों को निदेश दिया कि यदि पिछले वित्त वर्ष में निवल लाभ रु. 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो वे निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के लिए 0.5 से 2.0 प्रतिशत तक की राशि उपलब्ध करवाएँ। मण्डल संकल्प सं. 89, दिनांक 15.01.2016 के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायत्व निधि का सजन करने का संकल्प किया गया।

दिनांक 01.04.2018 को निगमित सामाजिक दायित्व निधि में रु. 29.11 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से रु. 12.04 करोड़ की राशि निगमित सामाजिक दायित्व के लिए मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की गई । वर्ष 2018-19 के दौरान रु°19.15 करोड़ की राशि निगमित सामाजिक दायित्व निधि के लिए विनियोजित की गई है।

29. जनेप न्यास के करमुक्त बान्ड

सं.46/2012एफ सं.178/60/2012(आईटीए-1) द्वारा जनेप न्यास को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(15)(ग्न)(एच) के तहत सुरक्षित करमुक्त प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बॉन्ड जारी करके अधिकतम रु.2000 करोड़ तक की राशि उगाहने के लिए प्राधिकृत किया। पोत-परिवहन मंत्रालय ने दि.12 नवम्बर,2012 के अपने पत्र सं.पीडी-24015/1/2012- पीडी. घट के द्वारा जनेप न्यास को करमुक्त बॉन्डों को जारी करने की मंजूरी दी तथा दि. 4 जनवरी, 2013 के पत्र सं.पीडी-11015/25/2012-पीडी. इट के द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 66(3) के संबंध में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रु. 2000/- करोड़ के बॉन्डों को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी। आवश्यकताओं के अनुसार बॉन्ड जारी करते समय उनका सुरक्षा निर्धारण मेसर्स क्रिसिल एवं मे. ब्रिकवर्क रेटिंग इं.प्रा.लि. द्वारा किया गया। बॉन्डों

पर ब्याज के भुगतान एवं पूंजी की वापसी के संबंध में अधिकतम सुरक्षा

दर्शाते हुए मेसर्स क्रिसिल द्वारा 'ए.ए.ए.' और मे.ब्रिकवर्क द्वारा ए.ए.ए.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दि.6 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना

- b) Three Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) purchased and installed in September 2011.
- c) Two Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) purchased and installed in 2006-07.
- d) One Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) and one Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) installed in 2013-14.

28) CREATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY


FUND (CSR FUND) The Ministry of Shipping circular No.PD-25021/10/2011-PD.II dated 2nd December, 2011, considering the economic, social and environmental impact of the activities of the Ports on the society and the environment, has directed all Ports to provide for CSR activities ranging from 0.5% to 2.0% if the net profit in the previous financial year is Rs. 500 Crs. & above. As per Board Resolution no.89/15.01.2016, it was resolved that a CSR Fund may be created as per the guidelines issued by the Ministry of Shipping.

The balance in CSR Fund as on 01.04.2018 was Rs. 29.11 Crs. Out of the same Rs 12.04 Crores have been expended towards CSR activities on various projects approved by Board. During the year 2018-19, an amount of Rs.19.15 Crs has been appropriated towards CSR Fund.

29) TAX FREE BONDS OF JNPT

Central Board of Direct Taxes vide Notification No.46/2012.F.No.178/60/2012(ITA.1) dated 6th November 2012 authorized JNPT to raise an aggregate amount not exceeding Rs.2000 crore through the issue of secured tax free redeemable non-convertible bonds under Section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act, 1961.

Ministry of Shipping vide their letter No.F.No.PD-24015/1/2012-PD.III dated 12th November 2012 sanctioned issue of Tax Free Bonds by JNPT and vide letter No.PD-11015/25/2012-PD.VI dated 4th January 2013 conveyed the approval of the competent authority for issue of bonds of Rs.2000 Crs. as per the terms and conditions specified under Department of Revenue, Ministry of Finance Notification in terms of Section 66(3) of Major Port Trust Act, 1963. As per requirements the Bond Issue rating was done by M/s. CRISIL and M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd. The bonds have been rated 'AAA' by M/s. CRISIL and "BWR AAA (Pronounced BWR Triple A)" indicating





(जिसका उच्चारण बी.डब्लू. आर.ट्रिपल ए भी किया जाता है) सुरक्षा निर्धारण किया गया है तथा उनके द्वारा की गई निगरानी के अनुसार बाद में भी यह स्तर कायम रहा ।

जनेप न्यास द्वारा करमुक्त बॉन्ड के निर्गम को दि.15 फरवरी, 2013 के एस ओ सं.378/ई द्वारा भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया था।

फिर प्राप्त आवेदनों/बोलियों के तकनीकी रूप से खारिज होने को ध्यान में रखने के बाद रु. 41,31,96,000/- राशि के 413196 बॉन्ड आबंटित किए गए। बॉन्ड 26 मार्च, 2013 को आंबटित किए गए थे एवं राशि विभिन्न वसूलीकर्ता बैंकरों से हमारे वसूली लेखे में स्थानांतरित हुई।

बाँड सूचीबध्द करने के आवेदनों को बाँम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया तथा बॉन्डों को 3 अप्रैल, 2013 को सूचीकृत किया गया।

चूंकि जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा जारी बॉन्ड सुरक्षित प्रकृति के हैं, इसलिए जसखार गाँव की सर्वे सं. 284 के अंतर्गत आने वाली तथा उपनिबंधक, उरण के यहाँ पंजीकृत पत्तन की कुल 1.75 हेक्टेयर भूमि का पत्तन के डिबेंचर ट्रस्टी एस बी आई कैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के पास बंधक विलेख दर्ज किया गया।

सेबी को दिए गए आश्वासनों के अनुसार डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि बनाई गई है। 10 वें वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदान देयता की पूर्ति के लिए रु. 41.32 करोड़ की राशि आरक्षित निधि के रूप में अलग रखी गई है।

वर्ष के दौरान रु. 2.88 करोड़ का ब्याज अदा किया गया है । पत्तन इस बांड निर्गम से संबंधित सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन कर रहा है ।

- 30) पत्तन के स्वामित्व में कुल 7249.36 एकड़ भूमि है जिसमें से 261.36 एकड़ पत्तन के नाम पर नहीं है। तहसीलदार- उरण तालुका, निवासी जिला कलेक्टर रायगड़ और सिडको के साथ समन्वय कर के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसे जनेप न्यास के नाम पर हस्तांतरित किया जा सके।
- 31) प्रस्तुतीकरण में एकरूपता तथा समानता बनाए रखने के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/फिर से तैयार किया गया है।

highest safety with regard to payment of interest and return of capital and ratings have been maintained subsequently also as per surveillance carried out by them.

Issue of Tax Free Bonds by JNPT was also notified in the Gazette of India vide SO No.378/E dated 15th February 2013.

Further taking into account technical rejection for applications/bids received 413196 bonds were allotted aggregating to Rs.41,31,96,000/-. The Bonds were allotted on 26th March 2013 and money transferred to our collection account with various collecting bankers.

Listing applications were filed with Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange and bonds were listed on 3rd April 2013.

As bonds issued by JNPT are secured, Mortgage Deed was entered into with SBICAP Trustee Company Ltd, our Debenture Trustee for land aggregating to 1.75 hectares under Survey No.284 of Jaskhar Village and registered with Sub-Registrar, Uran.

Debenture redemption reserve has been created as per the assurance given to SEBI. An amount of Rs. 41.32 Crs. has been set apart as reserve for meeting the redemption liability at the end of the 10th year.

Interest amounting to Rs. 2.88 Crs. was paid during the year. Port is fully complying with all the statutory requirements related to this Bond Issue.

- 30) Total land in the possession of the Port is 7249.36 acres out of which 261.36 acres is not in the name of the Port. Efforts are being made in co ordination with Tahsildar, Uran Resident District Collector Raigad and CIDCO to get it transferred in the name of JNPT.
- **31)**Previous Years figures have been regrouped / recast wherever necessary to have consistency and uniformity in presentation.

ह (जे.बी.ढवले) प्रभारी मुख्य प्रबंधक (वित्त) ह (संजय सेठी, भा.प्र.से.)

Sd (J.B.DHAWALE) CHIEF MANAGER (FINANCE) I/C Sd (SANJAY SETHI, IAS) CHAIRMAN





31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai for the year ended 31 March 2019

- 1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का धारा 102 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य,शक्तियाँ एवं सेवा का शतें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणोंपर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।
- 2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखाकरण नीतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मान कोंतथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण प्रक्रियापर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियोंका समावेश है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा प्रभावशीलता एवं निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीयलेन-देन पर यदि लेखा परीक्षा के कोई प्रेक्षण होते हैं तोवे निरीक्षण रिपोर्टों /नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से बताए जाते हैं।
- उ. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य तया स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार की है।इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम यह लेखा परीक्षा इस प्रकार करते हैं तािक यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरणों में आर्थिक रूपसे कोई गलत बयानीन हीं है।लेखा परीक्षा में राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटन की नमूना आधार पर जाँच शामिल होती है।लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतोंका मूल्यांकन तथा प्रबंधनद्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का आकलनभी शामिल होता है।हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारेद्वारा दी गई राय के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत करती है।

4. लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि -

- (ग) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वासके अनुसार लेखा परीक्षा करने के लिए आवश्यक थे।
- (ग्ग) इसिर पोर्ट के तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102(1) के तहत न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

- We have audited the attached Balance Sheet of Jawaharlal Nehru Port Trust(JNPT) as at 31 March 2019 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 102(2) of Major Port Trusts Act, 1963. These financial statements are the responsibility of JNPT's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report has been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963.

- (गग) हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जाँच से यह प्रतीत होता है कि जनेप न्यासने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102(1) के तहत अपेक्षित लेखा बहियों एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उचित रख-रखाव किया है।
- (ग्न) हम यह भी सूचित करते हैं कि:

क. तुलन-पत्र

क.1 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची-6) निवेश पर प्रोद्भृत ब्याज- रु. 205.99 करोड़ रोकड़ एवं बैंक शेष (राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा रसीदें)—रु.3328.17 करोड़

उपर्युक्त में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में (फरवरी, 2014 में) किए गए सावधि जमा की शेष राशि रु. 67.59 करोड़ और उस पर 31 मार्च, 2019 तक प्रोब्द्रत रु. 49.76 करोड़ के ब्याज कीराशिशामिलहै।

यह मामला क्योंकि सीबीआई की अदालत में लंबित है और जनेप न्यास के पास रु. 67.59 करोड़ की सावधिजमा रसीद नहीं है, उसे संदिग्ध निवेश तथा उस पर प्रोद्धूत ब्याज के लिए प्रावधान करना चाहिए था । संदिग्निवेश के लिए प्रावधान न करने के कारण लाभ को रु.117.35 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया और परिणाम स्वरूप रोकड़ एवं बैंक शेष रु. 67.59 करोड़ तथा निवेश पर प्रोद्धूत ब्याज रु. 49.76 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है।

इस विषय को लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2013-14 से उठाया गया है ।

क.2 बैंकों में रोकड़ - रु.33,19,60,823

उपर्युक्त में 'वसूली के लिए चेक भेजे गए लेकिन अभी राशि जमा नहीं हुई' नामक स्वतंत्र शीर्ष के तहत दिखाए गए रु.७,२६,६६२शामिल हैं। इसे बिना किसी समायोजन के वर्ष 2010-11 से दिखाया जा रहा है। इसे वर्ष 2017-18 की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी दर्शाया गया था।

क.3 ऋण एवं अग्रिम ठेकेदारों को अग्रिम – रु.3 2 9.64 करोड़ (अनुसूची 6)

इसमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारतीय पत्तन रेल निगम लिमिटेड को दी गई अग्रिम राशि रु.234.50 करोड़ शामिल है।

चूंकि भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा इन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगित पर है और भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा चालू लेखा बिल के माध्यम से पूरे किए गए कार्यों के लिए रु.243.46 करोड़ की राशि का दावा किया गया है, अतः रु.234.50 करोड़ की राशि को भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड को अग्रिम के रूपमें प्रगित पर पूंजीगत कार्य में दिखाया जाना चाहिए।इसके अलावा, रु.8.96करोड़

- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Jawaharlal Nehru Port Trust as required under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963 in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Current Assets, Loan and Advances (Schedule-6) Interest accrued on Investments - ₹205.99 crore Cash and Bank Balance (including TDR with banks) -₹3328.17 crore

The above includes an amount of ₹67.59 crore being the balance amount of fixed deposit (deposited in February 2014)and interest accrued thereon up to 31 March 2019 amounting to ₹49.76 crore pending receipt from Oriental Bank of Commerce.

As JNPT is not in possession of Fixed Deposit Receipt for ₹67.59 Crore and the matter is under investigation by CBI Court, provision should have been created for doubtful investment and interest accrued thereon. Non-provisioning for doubtful investment has resulted in overstatement of profit by ₹117.35 crore, overstatement of Cash and Bank Balance by ₹67.59 crore and Interest Accrued on Investments by ₹49.76 crore.

This issue is being raised by Audit since 2013-14.


A.2 Cash at Bank - ₹ 33,19,60,823

The above includes ₹7,26,662 shown under separate head "Cheques sent for collection but not yet cleared". The amountis being shown since 2010-11 without any adjustment. This was pointed out in the SAR for 2017-18 also.

A.3 Loans and Advances Advances to Contractors – ₹ 329.64 crore (Schedule 6)

This includes ₹234.50 crore being the advance given to Indian Port Rail Corporation Limited (IPRCL) for construction of various projects.

As the work of construction of these projects by IPRCL is in progress and the amount of ₹243.46 crore has been claimed by IPRCL towards completed works through Running Account Bills, the amount of ₹234.50 crore shown as advance to IPRCL should have been transferred to Capital Work in Progress (CWIP). Further, the difference



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा श्पिटं-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

(रु.243.46करोड़-234.50 करोड़) का अंतर वर्तमान देयताओं के अधीन दिखाया जाना चाहिए था।

ऊपर बताए अनुसार प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर किए गए व्यय के अ-हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप प्रगति पर पूंजीगत कार्य को रु.243.46 कम आँका गया और वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमोंको रु.234.50 करोड़ अधिक आँका गया तथा वर्तमान देयताओं को रु.8.96 करोड़ कम आँका गया।

क.4 विविध देनदार - रु.983.86 करोड़ (अनुसूची 6)

पत्तन न्यासों की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेम वर्क के अनुसारस दोष तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा उन्हें विविध देनदारों से हटाया जाना चाहिए।

जनेप न्यास ने सदोष तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने हेतु कोई नीति नहीं बनाई है। लेखाकरण नीति के अभाव में लेखा परीक्षा विविध देनदारों की रु. 983.86 करोड़ की राशि की सटीकता और लाभ के परिणामी प्रभाव पर टिप्करने में असमर्थ है।

इस संदर्भ में, निम्न लिखित विशिष्ट मामलेपर ध्यान दिया जाए :-

विविध देनदारों में सीमाशुल्क विभाग पर वर्ष 2005 से 2008 तक का भूमि किराया (रु.3.02 करोड़) तथा उस पर दण्डस्रूप ब्याज (वर्ष 2013 तक दावा किया गया रु.2.38 करोड़) के संबंध में बकाया रु.5.40 करोड़ शामिल है । चूंकि, विभाग ने इस दावे का विरोध किया है और राशि की वसूली अनिश्चित होने के कारण उसका प्रावधान किया जाना चाहिए था । इस मामले को वर्ष 2017-18 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी उठाया गया था।

क. लाभ और हानि लेखा ख.1 सम्पदा किराया (अनुसूची - 1 1) भूमि का किराया - रु. 1 3 4 . 4 7 करोड़ पूर्व अवधि आय - शून्य

- (a) इसमें अप्रैल 2018 से मार्च की अवधि के लिए जनेप न्यास भूमि से गुजरनेवाली पाईप लाइनों के लिए ओएनजीसी (रु.1.40 करोड़) और भारत पेट्रोलियम कापेरिशन लिमिटेड (रु.1.90 करोड़) द्वारा देय " वे लीव प्रभार तथा पट्टा किराया" के रु.3.30 करोड़शामिल नहीं हैं। जनेप न्यास द्वारा "अर्जित आधार" के बजाय "नकद आधार" पर लेखांकन किया जाता है और प्राप्य राशि का हिसाब नहीं रखा गया था, जिसके परिणामस्वरुप वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और लाभ को रु. 3.30 करोड़ कम दिखाया गया है। प्रेक्षणों को वर्ष 2016-17 सेपृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया था
- ख) जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए जनेप न्यास भूमि से गुजरनेवाली पाइप लाइनों के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (रु.1.49 करोड़) द्वारा देय "वे लीव प्रभार तथा पट्टा किराया" को पूर्व अवधि आय के अधीन दर्ज नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान

और पत्तन द्वारा इस पर अभी तक निवारणात्मक कार्रवाई करना बाकी है ।

of ₹8.96 crore (₹243.46 crore – ₹234.50 crore) should have been shown under Current Liabilities.

Non-transfer of expenditure incurred on capital work to CWIP as discussed above has resulted in understatement of CWIP by ₹243.46 core and overstatement of Current Assets, Loans and Advances by ₹234.50 crore and understatement of Current Liabilities by ₹8.96 crore.

A.4 Net Sundry Debtors ₹983.86 crore (Schedule 6)


As per the Common Framework of Financial Reporting for Ports,a provision for bad and doubtful debts should be created and deducted from Sundry Debtors. JNPT has not made a policy for provisioning for bad and doubtful debts. In the absence of accounting policy, audit is unable to comment on the correctness of Sundry Debtors amounting ₹983.86 crore and its impact on Profit.

In this context, attention is invited to the following specific case:-

Sundry Debtors include₹5.40 crore receivable from Customs Department towards ground rent (₹3.02 crore) for the period from 2003 to 2008 in respect of confiscated goods lying on JNPT land and penal interest thereon up to 2013 (₹2.38 crore). Since the Department has disputed the claim and recoverability of the amount is not certain, provision should have been created.

This issue was also raised in SAR for 2017-18.

- B Profit and Loss Account
- B.1 Estate Rentals- (Schedule 11) Rent on Land – ₹ 134.47 crore Prior Period Income – Nil
- (a) This does not include ₹3.30 crore being Way Leave charges and Lease rent, due from ONGC (₹1.40 crore) and BPCL (₹1.90 crore) for pipelines passing through JNPT land for the period from April 2018 to March 2019. As the 'cash basis' of accounting was followed by JNPT instead of 'accrual basis', and amount receivable was not accounted, there is understatement of Current Assets, Loan, Advances and understatement of profit by ₹3.30 crore. The observation was included in the SAR since 2016-17 and the Port is yet to take remedial action.
- (b) Also, an amount of ₹1.49 crore being Way Leave charges and Lease rent, due from BPCL for pipelines passing through JNPT land for the period from July 2017 to March 2018 has not been booked under prior period income. This



परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और पूर्व अवधि आय को रु. 1.49 करोड़ कम दिखाया गया है।

ख.2 बीओटी ठेकोंसे आय-रु.958.37 करोड़ (अनुसूची-12)

उपर्युक्त में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से 263.50 करोड़ का राजस्व हिस्सा, न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) से रु. 165.62 करोड़, न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) से रॉयल्टी आय का रु.197.52 करोड़ और भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल लि. (बीएमसीटी) से रु. 112.30 करोड़ का राजस्व हिस्सा मिलाकर कुल रु. 738.94 करोड़ शामिल है।

जीटीआईपीएल, एनएसआईजीटी तथा बीएमसीटी के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार पत्तन के पास बीओटी प्रचालकों के राजस्व, वित्तीय विवरणों आदि की लेखापरीक्षा और सत्यापन करने लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षक नियुक्त करने का विकल्प था । इस संदर्भ में यह पाया गया था किः

- (क) पत्तन के लेखों के साथ-साथ लेखों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष जीटीआयपीएल, एनएसआयजीटी और बीएमसीटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती थी, पर पत्तन के पास वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। बीएमसीटीपीएल के मामले में वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।
- (ख) यद्यपि प्रबंधनने कहा था कि यदि लेखा परीक्षकों द्वारा राजस्अंश में कोई कमी इंगित की गई हो तो उसे आगामी वर्ष में वसूल कर लिया गया है, इसे जीटीआईपीएल के संबंध में सही नहीं पाया गया जहाँ रु. 28.87 करोड़ (वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के लिए) की वसूली लंबित थी और मामले पर मध्यस्थता चल रही थी। इसी तरह,एनएसआईजीटी से वर्ष 2017-18 के लिए रु. 12 लाख की वसूली लंबित थी।

वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षित विवरण न होने के कारण जनेप न्यास द्वारा लेखा बहियों में दशार्ए गए राजस्अंश / रॉयल्टी की यथा तथ्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी ।

इस मुद्दे को लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2016-17 से उठाया जा रहा है।

ख.3 कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय (अनुसूची 14) -रु.269.42 करोड़

ख.3.1 प्रशासनिक और सामान्य व्यय रु. 86.79 करोड

क) उपर्युक्त में पत्तन की परिसंपत्तियों, कंटेनर वहन स्थानक और बफर यार्ड की बीमा सुरक्षा के लिए भुगतान की गई रु. 4.51 करोड़ की बीमा राशि - 01 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक रु. 1.13 करोड़ और 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए रु.3.38 करोड़ शामिल नहीं है । भुगतान की गई बीमा प्रीमियम राशि अग्रिमों के तहत दिखाई गई थी ।



has resulted in understatement of Current Assets Loan, Advances and prior period income by ₹1.49 crore.

B.2 Income from BOT Contracts: ₹ 958.37 crore (Schedule-12)

The above includes ₹738.94 crore being revenue share of ₹ 263.50 crore from Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL), ₹ 165.62 crore from Nhava Sheva (India) Gateway Terminal (NSIGT), royalty income of ₹ 197.52 crore from Nhava Sheva International Container Terminal (NSICT) and revenue share of ₹ 112.30 crore from Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited (BMCT).

As per the License Agreement with GTIPL, NSIGT and BMCT, the Port has the option to appoint an additional auditor to audit and verify revenue, financial statements etc., of the BOT operators. In this context, it was observed that:

- (a) The audit report of GTIPL, NSIGT and BMCT were being finalised every year after the finalisation of accounts as well as audit of the accounts of the Port and as such, audit reports for the year 2018-19 were not available with the Port. In respect of BMCT the audit report for 2017-18 was also not available.
- (b) Though the Management stated that the shortfalls, if any, in revenue share as pointed out by Auditors are recovered in the subsequent year, it was not correct in respect of GTIPL where a sum of ₹28.87 crore for the period from 2011-12 to 2017-18 was pending recovery and the same was under arbitration. Similarly, a sum of ₹12 lakh for 2017-18 was pending recovery from NSIGT.


In the absence of audited statements for the year 2018-19, the veracity of revenue share/royalty reflected in the books of accounts JNPT could not be verified by Audit.

The above issue is being raised by Audit since 2016-17.

B.3 Expenditure on Container Handling and Storage-₹ 269.42 crore (Schedule 14)

B.3.1 Administrative and General Expenses: ₹86.79 crore

(a) The above does not include the insurance amount paid for the insurance policy of the Assets of the Port, Container Freight Station and Buffer Yard for the period from 1 April 2018 to 30 June 2018 (₹1.13 Crore) and 1 July 2018 to 31 March 2019 (₹3.38 crore) amounting to ₹4.51 crore. The insurance premium amount paid was booked under Advances.



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

उपर्युक्त के कारण कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण शुल्क के तहत प्रशासनिक और सामान्य व्यय को कम करके दिखाया गया और वर्तमान परिसंपत्तियों को (अग्रिम) रु. 4.51 करोड़ रुपये बढ़ाकर दिखाया गया है।

- ख) उपर्युक्त में पत्तन की परिसंपत्तियों, कंटेनर वहन स्थानक और बफर यार्ड की पिछले वर्ष की 01.05.2017 से 30.06.2017 तक की अविध की बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की रु. 67 लाख की राशि शामिल है।
- यह व्यय वित्य वर्ष 2017-18 से संबंधित है और लेखांकन मानक 5 के प्रावधानों के अनुसार, इसे निवल पूर्व अवधि प्रशुल के अंतर्गत के पूर्व अवधि व्यय के तहत दिखाया जाना चाहिए।

ख.4 पत्तन तथा गोदी व्यय - रु. 142.51 करोड़ (अनुसूची 15)

इसमें जनेप न्यास के कर्मचारियों (जनेप न्यास के स्वाली पत्नौकाओं के संचलन, प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य करने वाले) को जनवरी, 2017 तक की अविध के लिए निर्धारित समयोपिर भत्और शिक्षा भत्के रूप में देय रु. 1.28 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जिसे न्यासी मंडल द्वारा जनवरी, 2018 में अनुमोदन दिया गया था।

इसके लिए प्रावधान न होने के कारण लाभ को बढ़ाकर और देयताओं को रु. 1.28 करोड़ कम करके दिखाया गया ।

ख.5 निवल पूर्व अवधि शुल्क रु. 21.29 करोड़ (अनुसूची 22)

(क) वर्ष 2017-18 के कुल राजस्के विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र के अनुसार नि.प्र.ह. प्रचालाकों (जीटीआईपीएल) से पत्का कुल राजस्हिस्र. 262.55 था जबतिक पत्ने रु. 264.35 करोड़ दर्ज किया तथा लेखांकित किया, जिसके परिणामस्वरूप रु. 1.80 करोड़ की अतिरिक्त आय दिखाई गई है। पत्तन ने इस पूर्व अविध मद की परिशोधन प्रविष्टि नहीं की है, हालांकि सनदी लेखाकर से लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखों को स्वीकारने से पहले प्राप्त की गई थी।

इसके परिणामस्वरूप निवल पूर्व अवधि शुल्क को कम दिखाया गया, कर पूर्व लाभ को बढ़ाकर तथा वर्तमान देयताओं को रु.1.80 करोड़ से कम दिखाया गया है।

(ख) उपर्युक्त में पत्तन की परिसंपत्तियों, कंटेनर वहन स्थानक और बफर यार्ड की 01 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल,2017 तक की अवधि के लिए बीमा सुरक्षा के लिए भुगतान की गई (मार्च 2017) रु. 0.34 करोड़ की राशि शामिल नहीं है । भुगतान की गई बीमा प्रीमियम राशि को अग्रिमों के तहत दिखाया गया था ।

This has resulted in the understatement of Administrative and General Expenses under Container handling and storage charges and overstatement of Current Assets (Advances) by ₹4.51 crore.

(b) The above include ₹67 lakh being insurance premium for the policy for Port Assets, Container Freight Station and Buffer Yard for the previous year period from 01.05.2017 to 30.06.2017.

This expenditure is related to the financial year 2017-18 and as per provisions of Accounting Standard 5 it should have been shown under Prior period expenses coming under the head 'Net Prior Period Charges'.

B.4 Port and Dock Expenditure-₹142.51crore (Schedule15)

This does not include ₹1.28 crorebeing the Fixed Overtime and Education Allowance for the period from January 2017 to March 2019 payableto employees of JNPT (working on manning, operation and maintenance of the Crafts owned by JNPT),which was approved by Board of Trustees in January 2018.


Non-provision of the same has resulted in overstatement of Profit and understatement of Liabilities by ₹1.28 crore.

B.5 Net prior period charges: ₹21.29 crore(Schedule 22)

(a) As per Statutory Auditors' Certificate on statement of Gross Revenue for the previous year 2017-18, total revenue share of Port from BOT operator (GTIPL) amounted to ₹262.55 crore while port had raised and accounted for an amount of ₹264.35 crore resulting in excess accounting of income amounting to ₹1.80 crore. Port has not passed rectification entry for this prior period item though the Audit Report from Chartered accountants was received prior to adoption of accounts.

This has resulted in understatement of net prior period charges, overstatement of profit before tax and understatement of Current Liabilities by ₹1.80 crore.

(b) The abovedoes not include ₹0.34 crore being amount paid (March 2017) for the insurance policy of Port Assets, Container Freight Station and Buffer Yard for the period from1 April 2017 to 30 April 2017. The insurance premium amount paid was booked under Advances.



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा श्पिट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

उपर्युक्त के कारण पूर्व अविध व्यय को कम दिखाया गया और वर्तमान परिसंपत्तियों (अग्रिमों) तथा कर पूर्व लाभ को 0.34 करोड़ रुपये बढ़ाकर दिखाया गया है।

ख. सामान्य लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 25)

पत्तन ने जनेप न्यास के कर्मचारियों के बच्चों और पत्तन नगरक्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्तन नगरक्षेत्र में एक स्कूल स्थापित किया है। इस स्कूल का प्रबंधन और संचालन इंडियन एजुकेशन सोसाइटी (आईईएस) द्वारा किया जाता है और पूरे व्यय को पत्तन द्वारा अग्रिम भगतान करके पूरा किया जाता है।

आईईएस के लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त न होने के कारण रु. 3.38 करोड़ की अग्रिम राशि के साथ-साथ व्यय के प्रावधान की उतनी ही राक्षि का समायोन नहीं हुआ था। इसे लेखों पर टिप्पणी में नहीं दिखाया गया है।

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह मुद्दा 2015-16 से उठाया गया है और अब तक सुधारात कार्रवाई नहीं की गई है ।

घ. प्रबंधन पत्र

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो किमयाँ शामिल नहीं हैं उन्हें सुधारक / निवारक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से पत्तन के ध्यान में लाया गया है।

- (न) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे प्रेक्षणों के अधीन यह सूचित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (न) हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण विषयों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-६ में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिध्दान्तों से अनुरूप ताकी दृष्टि से सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करता हैं जहाँ तक कि वेः
- (क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के मंडल के 31 मार्च, 2018 के कार्यों की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र से संबंधित हैं,तथा
- (ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पत्तन के लाभ के लाभ तथा हानि लेखासे संबंधित हैं।

This has resulted in understatement of prior period expense and overstatement of Current Assets (Advances) and overstatement of profit before tax by ₹0.34 crore.

C. General Notes on Accounts (Schedule-25)

The Port has set up a school in the Port Township to cater to the educational needs of the wards of JNPT employees and others residing in the JNPT Township. The management and running of this school is done by Indian Education Society (IES) and the entire expenditure is met by the Port by making advance payment.


Advance of ₹3.38 crore as well as equal amount of provision for expenses was lying unadjusted for the year 2017-18 due to non-receipt of Audited Accounts of IES. This has not been disclosed in the Notes on Accounts.

This issue has been raised in the SAR since 2015-16 and corrective action has not been taken.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the SAR have been brought to the notice of JNPT through a management letter separately for remedial/corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of Account.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this Audit Report, givetrue and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affair of Jawaharlal Nehru Port Trust as at 31 March 2019; and
- b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date.



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

5. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के 31 मार्च, 2019को समाप्त पिछले तीन वर्षों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखानेवाले लेखों की समीक्षा अनुबंध-ष्ट में दी गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के लिए तथा उनकी ओर से A Review of Accounts showing the summarized financial results of Jawaharlal Nehru Port Trust for three years ended 31 March 2019 is given in Annexure –II.

For and on behalf of The Comptroller and Auditor General of India

(रुप राशी) महानिर्देशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा-परिक्षा बोर्ड-। मुंबई.

स्थान : मुंबई


दिनांक: 22 अक्तुंबर 2019

(Roop Rashi) Director General of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai,

Date:22 October 2019.

अस्वीकरण : पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिंदी अनुवाद में यदि कोई विसंगती परिलक्षीत होती है, तो अंग्रेजी में जारी प्रतिवेदन मान्य होगा । Disclaimer: If any discrepancy is observed in the Hindi Translation of the Seperate Audit Report, the Seperate Audit Report issued in English shall prevail.





अनुबंध / Annexure - I

मतनक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखा परीक्षा को सांविधिक लेखा परीक्षा से पहले पूरा किया जाना होता है। किन्तु पत्तन की वर्ष 2018-19 की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य मेसर्स एमजीबी एंड कंपनी एलएलपी को जून 2019 में सौंपा गया था। अब तक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता / अपर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित कारणों से पत्तन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है:

(ग) बैंक समाशोधन विवरण

जनेप न्यास द्वारा प्रस्तुत 15 बैंक खातों के 31 मार्च 2019 तक के बैंक समाशोधन विवरण में 31 दिसंबर 2018 तक कई मामले लंबित दिखाए गए हैं। इसे 2017-18 की पृथक लेखा परीक्षा के माध्यम से भी उजागर किया गया है, लेकिन पत्तन ने अभी तक निवारणात्मक कार्रवाई नहीं की है। (ग्ग) नियत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

पत्तन ने नियत परिसंपत्तियों का वर्ष 2018-19 का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है । लेकिन प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में अंतर का कोई विवरण शामिल नहीं था जो अचल संपत्ति रजिस्टर / लेखा बही और वास्तविक प्रत्यक्ष स्टॉक बहियों में मौजूद था । इसके कारण लेखा परीक्षा यह सत्यापित करने की स्थिति में नहीं है कि अचल संपत्ति रजिस्टर में वर्णित संपत्ति वास्तव में मौजूद है या नहीं।

(ग्ग्ग) वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन पत्तन ने 31 मार्च, 2019 को वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है । (ग्न) परिसंपत्तियों का पूंजीकरण

काम पूरा होने के बाद परिसंपत्तियों के पूंजीकरण में देरी हुई । इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- व) पूँजी कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी) में रु. 1536.95 करोड़ की राशि शामिल है, जो मुख्य निकर्षण कार्य के लिए खर्च हुई है । उक्त कार्य सलाहकार द्वारा प्रमाणित किए अनुसार 18 फरवरी 2019 को पूरा हुआ था, लेकिन अभी तक इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है । इसके अलावा, पूँजी कार्य प्रगति पर हैं में मुख्य निकर्षण कार्य कार्य का रु. 162.52 करोड़ का प्रलंबित भुगतान शामिल नहीं है ।
- b) पूँजी कार्य प्रगति पर हैं में सैप ईआरपी प्रणाली स्थापना के लिए खर्च हुए रु.21.03 करोड़ शामिल हैं । 12 अप्रैल 2016 से इस प्रणाली का प्रचालन आरंभ हुआ था, लेकिन इसका अभी तक इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है ।

प्रबंधन ने प्रभारी अभियंता का कार्य समापन प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और

This Section of the SAR gives a Report regarding systemic inadequacies.

1. Adequacy of Internal Audit System

The Internal Audit is to be completed before statutory audit. However Internal Audit of the Port for the year 2018-19 was entrusted to M/s M G B & Co. LLP only in June 2019. As the Report is yet to be received audit is unable to comment on adequacy/inadequacy of Internal Audit during 2018-19.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system of the Port requires strengthening in view of the following:

(I) Bank Reconciliation Statement

Bank Reconciliation Statement as on 31 March 2019 of 15 Bank Accounts furnished by JNPT indicated several pending items up to 31 December 2018. This has been highlighted through SAR of 2017-18 also butthe Port is yet to take appropriate remedial action.

(ii) Physical verification of Fixed Assets

Port has conducted Physical Verification of Fixed Assets for the year 2018-19.But Physical Verification Report did not contain any details of difference that existed between fixed asset register / books of accounts and actual physical stock. In the absence of the same, audit is not in a position verify whether assets as mentioned in fixed asset register actually exists.

(iii) Physical verification of Inventory


Port has conducted Physical Verification of Inventory as on 31 March 2019.

(iv) Capitalisation of assets

There was delay in capitalisation of assets after completion of work. Specific instances are given below:

- (a) Capital Work in Progress (CWIP) includes an amount of ₹1536.95 crore being the expenses incurred for Capital dredging work which was completed on 18 February 2019 as certified by the consultant but the same has not been capitalised so far. Further, CWIP does not include ₹162.52 crore pending payment on the Capital dredging work.
- (b) CWIP includes ₹21.03 crore being the expenses incurred for installation of SAP ERP system, which had gone live from 12 April 2016. However, this has not been capitalised so far.

Management has attributed the delays to absence of



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा श्पिटं-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

अंतिम बिल के निपटान न होने को कारण बताया है । पूंजीगत व्यय के समय पर लेखांकन के लिए इन गतिविधियों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है।

V) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन

जनेप न्यास द्वारा वस्तुसूचियों मूल्यांकन लागत के अनुसार किया जाता है, हालांकि महा पत्तनों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसार वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो के अनुसार किया जाना चाहिए । इसके अलावा जनेप न्यास ने रु. 8.52 करोड़ मूल्य की 3858 वस्तुओं का निर्धारण और पहचान की है जो तीन वर्षों से अधिक समय से कालापेक्षी / अचल हैं । हालांकि, जनेप न्यास ने कालापेक्षी और अचल वस्तुसूची के मूल्यहास के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी, जो महापत्तनों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा यह मुद्दा वर्ष 2013-14 से उठाया जा रहा है । (पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक- घ)

vi) अग्रिमों का समायोजन

कुछ पुराने बकाया अग्रिम हैं जिनका समायोजन नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

- a) अस्थायी प्रकृति के आकस्मिक अग्रिमों में 1987 से 2008 के दौरान विभिन्न पार्टियों को भुगतान किए गए रु. 1.41 करोड़ शामिल हैं, जिनकी वसुली / समायोजन प्रलंबित हैं।
- b) पूँजी अग्रिमों में पूंजीगत कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को 1983 से 2006 के दौरान दिए गए रु. 4.30 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं जिनकी वसुली /समायोजन प्रलंबित हैं।

vii) शेष राशि की पुष्टि

- विविध देनदारों में सरकारी पार्टियों के (रु. 206.23 करोड़) और गैर-सरकारी पार्टियों के (रु. 763.38 करोड़) बकाया शामिल हैं । पत्तन ने इन विविध देनदारों से शेष राशि की पृष्टि नहीं की है ।
- b) इसके अलावा, पत्तन ने निम्नलिखित लेनदार वस्तुओं के लिए, वर्ष के अंत में शेष राशि की पृष्टि प्राप्त नहीं की है :
- i) पूँजी कार्य के लिए लेनदार रु. 16.99 करोड़
- ii) विविध लेनदार और जमा शेष रु.10.97 करोड
- iii) सेवाओं के लिए अन्य पत्तनों से देय राशि रु. 3.71 करोड़

completion certificate of Engineer in charge and settlement of final bill. These activities need to be expedited for timely accounting of capital expenditure.

(v) Valuation of inventories

JNPT values inventories at cost, though as per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, inventories are to be valued at cost or net realisable value whichever is lower. Further, JNPT has assessed and identified 3858 items worth ₹8.52 crore which are slow/non-moving inventory, for more than three years. However, JNPT did not frame any policy for depreciation of slow and non-moving inventory, as required by the Common Framework for Financial Reporting for Major Ports.

This issue is being raised by Audit (Annexure-I of SAR) since 2013-14).


(vi) Adjustment of advances

There are old outstanding advances which have not been adjusted, as stated below:

- (a) Contingent Advances which are of temporary nature include₹1.41 crore paid to various parties during 1987 to 2008 which are pending recovery/adjustment.
- (b) Capital Advances represent advances given to various contractors for carrying out capital works and include ₹4.30 crore for the period from 1983 to 2006 pending recovery/adjustment.

(vii) Confirmation of balances

- (a) Sundry Debtors includes dues from Government parties (₹206.23 crore) and Non-Government (₹763.38 crore) parties. The Port has not obtained confirmation of balances from these Sundry Debtors.
- (b) Also, for the following creditor items, confirmation of balance as at the end of year is not obtained by the Port:
- i. Creditors for Capital Works ₹16.99 crore
- ii. Miscellaneous Creditors & Credit Balances ₹10.97 crore
- iii. Amount Due to Other Ports for Services ₹3.71 crore



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा श्पिटं-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

- iv) अग्रिम भुगतान और लागू छूट रु. 495.38 करोड़
- सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता
 पत्तन ने निर्विवाद सांविधिक देय राशि का भुगतान नियमित रूप से किया है ।
- iv. Advance Payment & Unexpired Discounts –₹ 495.38 crore
- 3. Regularity in payment of statutory dues

The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.


उप निदेशक

Deputy Director

स्थान : मुंबई

दिनांक: 22 अक, 2019

Place: Mumbai, Date:22 October 2019.





अनुबंध / Annexure - II

भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2019 को समापिछले तीन वर्षों के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्न्यास के लेखों की समीक्षा।

Review of accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust for three years ended 31 March 2019 by the Comptroller and Auditor General of India.


(लेखों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर विचार किए बिना तैयार की गई है) (The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. FINANCIAL POSITION / वित्य स्थिति :

31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही : The Financial Position of Jawaharlal Nehru Port Trust under the broad headings for three years ended 31 March 2019 is given below:

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

		(कराड रुपया म /	13.111 010163
विवरण / Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
देयताएँ/ LIABILITIES			
पूंजी आरक्षित / Capital Reserve	3608.32	3608.32	3608.32
अन्य आरक्षित / Other Reserves	4327.34	5251.73	6197.03
ऋण / Borrowings	556.84	1819.85	2838.52
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities	220.73	255.85	285.93
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान / Current Liabilities & Provisions	3136.98	3811.52	4882.62
योग / Total		14747.27	17812.42
प्ररिसम्पत्तियाँ / Assets			
i) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / Net Fixed Assets	2467.65	2548.99	2512.83
ii) चालू कार्य / Works-in-Progress	384.80	1350.60	2647.85
iii) निवेश / Investments	76.78	112.69	363.73
iv) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ ऋण और अग्रिम/Current Assets Loans and Advances		10700.39	12255.53
अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय Other Assets/Misc. Expenditure:			
i) नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड / Sheds handed over to BOT operator		34.60	32.48
योग / Total		14747.27	17812.42






(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
कार्यचालन पूंजी / Working Capital *	5752.50	6888.87	7372.91
निवल मूल्य / Net Worth **	7935.66	8860.05	9805.35
नियोजित पूंजी/Capital Employed ***	8220.15	9437.86	9885.74
निवल अधिरोष (विनियोजन के पहले) /Net Surplus (before appropriation)	879.56	952.16	957.49
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में) Return on Capital Employed **** (percentage)	10.70	10.09	9.69
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित) / Capital Employed (including Work -in-Progress)	8604.95	10788.46	12533.59
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (चालू कार्य सहित) (प्रतिशत में) i) Return on Capital Employed (including Work -in- Progress) (percentage)	10.22	8.83	7.64

- * कार्यचालन पूंजी वर्तमान परिसम्पत्तियों में से वर्तमान देयताओं को घटाकर निकाली गई राशि को दिखाती है । Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities;
- ** निवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित तथा अधिशेष/घाटे को दिखाता है । Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/deficit;
- *** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों तथा कार्यचालन पूंजीको दिखाती है । Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;
- **** नियोजित पूंजी पर प्रति लाभ नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष (विनियोजन के पहले) के प्रतिशत को दिखाता है । Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.







2. कार्य चालन परिणामः- / Working results

पत्तन के 31 मार्च, 2019को समाप्त पिछले तीन वर्षों के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के कार्य चालन परिणाम सारांश रूप से नीचे दिए जा रहे हैं: The working results of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the last three years ending 31 March 2019 are summarized below:

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व Revenue			
(i) प्रचालन आय / Operating Income	1700.97	1890.88	1988.99
(ii) गैर प्रचालन आय / Non operating Income	461.46	345.46	433.89
योग / Total	2162.43	2236.34	2422.88
व्यय / Expenditure			
(i) प्रचालन व्यय / Operating Expenditure	804.97	751.24	763.71
(ii) गैर-प्रचालन व्यय / Non operating Expenditure	16.53	45.15	190.27
योग ∕Total	821.50	796.39	953.98
ग) असाधारण मदें / Extra ordinary items	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि प्रभार / Prior period charges	-3.81	-2.31	21.29
कर से पहले निवल अधिशेष / Net surplus /(deficit) before tax	1344.74	1442.26	1447.61
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान / Less: Provision for Tax	428.04	455.11	460.20
जोड़ें / घटाएँ : आस्थिगत कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ / Add/Less: Deferred tax liability/ assets	37.38	35.12	30.09
जोड़ें : कल्याण निधि और अव संरचना आरक्षित से आहरण Add: Withdrawn from Welfare Fund and Infrastructure Reserve	0.24	0.13	0.17
(घ) विनियोग से पहले निवल अधिशेष / Net surplus /(deficit) before tax		952.16	957.49
(ड) (घटाएँ : आज्ञापक विनियोग, आरक्षित निधियों आदि में स्थानांतरण आदि Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc.	210.54	247.02	247.53
(च) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा Surplus/Deficit transferred to General Reserve	669.02	705.14	709.96
(छ) निवल अधिशेष का निम्नलिखित से प्रतिशत : Percentage of net surplus / deficit to			
(i) प्रचालन आय / (i) Operating Income	51.71	50.36	48.14
(ii) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / (ii) Net Fixed Assets	35.64	37.35	38.10
(iii) निवल मूल्य /(iii) Net Worth	11.08	10.75	9.76







3. अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एरां ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY)

पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूण र्अनुपातों को नीचे दिखाया गया है : Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Port Trust are shown below


(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
क. वर्तमान देयताओं से वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित) (a) The percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	283.38	280.74	251.00
ख. वर्तमान देयताओं से शीघ्र परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (b) Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	962.72	710.40	336.97
ग. प्रचालनीय आय से विविध देनदारों का प्रतिशत (c) Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	40.69	41.81	49.47
घ. पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत (d) Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve		27.33	38.29
ण) कर पूर्व लाभ का प्रतिशत : e) Percentage of profit before tax to:			
(क) निवल मूल्य / a) Net Worth	16.95	16.28	14.76
(ख) नियोजित पूंजी / b) Capital Employed	16.36	15.28	14.64
(ग) प्रचालनीय आय / c) Operating Income	79.06	76.27	72.78

उप निदेशक / Deputy Director

स्थान : मुंबई


दिनांक : 22 अक्तुबर, 2019 Date 22 October 2019.



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

Port's Reply/Action Taken Notes for Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust, Sheva, Navi Mumbai for the year ended 31st March, 2019

बिंदु सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
A.1 क. 1. A 1.1 क. 1.1	तुलन-पत्र / Balance Sheet वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची-6)/ Current Assets, Loan and Advances (Schedule-6) निवेश पर प्रोव्हृत ब्याज - रु. 205.99 करोड़ /Interest accrued on Investments ₹205.99 C crore रोकड़ एवं बैंक शेष (राष्ट्रीयकृत बैंकों में साविध जमा रसीदें)— रु.3328.17 करोड़ /Cash and Bank Balance (including TDR with banks) -₹3328.17 crore उपर्युक्त में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में (फरवरी, 2014 में) किए गए साविध जमा की शेष राशि रु. 67.59 करोड़ और उस पर 31 मार्च, 2019 तक प्रोव्हृत रु. 49.76 करोड़ के ब्याज की राशि शामिल हैं। यह मामला क्योंकि सीबीआई की अदालत में लंबित है और जनेप न्यास के पास रु. 67.59 करोड़ की साविधजमा रसीद नहीं है, उसे संदिग्ध निवेश तथा उस पर प्रोव्हृत ब्याज के लिए प्रावधान करना चाहिए था । संदिरनिवेश के लिए प्रावधान न करने के कारण लाभ को रु.117.35 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया और परिणामस्वरूप रोकड़ एवं बैंक शेष रु. 67.59 करोड़ तथा निवेश पर प्रोव्हृत ब्याज रु. 49.76 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है । The above includes an amount of ₹67.59 crore being the balance amount of fixed deposit (deposited in February 2014) and interest accrued thereon up to 31 March 2019 amounting to ₹49.76 crore pending receipt from Oriental Bank of Commerce. As JNPT is not in possession of Fixed Deposit Receipt for ₹ 67.59 Crore and the matter is under investigation by CBI Court, provision should have been created for doubtful investment and interest accrued thereon. Non-provisioning for doubtful investment has resulted in overstatement of profit by ₹ 117.35 crore, overstatement of Cash and Bank Balance by ₹ 67.59 crore and Interest Accrued on Investments by ₹ 49.76 crore. इस विषय को लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2013-14 से उटाया गया है । This issue is being raised by Audit since 2013-14.	पत्तन ने कोई प्रावधान नहीं किया क्योंकि ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने अपनी देयता से इनकार नहीं किया है जबिक कहा है कि वे न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे । मामला निर्णयाधीन है । Port has not made any provision as OBC has never denied its liability and in fact stated that it will follow the directions of Court. The matter is sub-judice. JNPT has taken all the steps to recover the amount including complaint to RBI and Banking Ombudsman. Further, JNPT filed a case in National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) on 5th October, 2016 for recovery of principal and interest thereon from OBC. जनेप न्यास ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत करने सहित राशि वसूल करने के लिए सभी कदम उठाए है । जनेप न्यास ने राष्ट्रीय उपभोक्त विवाद निपटान आयोग में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से मूलधन राशि ब्याज सहित वसूल करने के लिए 5 अक्तूबर, 2016 को मामला दायर किया है । Management has taken all required steps for recovering the amount as stated above and engaging Sr. Council of Supreme Court, and also follow up with Vigilance/CBI for early recovery. प्रबंधन ने ऊपर बताए गए कदमों के साथ साथ उपर्युक्त राशि वसूलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता की नियुक्ति तथा शीघ्र वसूली के लिए सतर्कता / केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ संपर्क जैसे कदम भी उठाए हैं । The next date of hearing was fixed on 5th Feb., 2020. The Port is confident that the Principal amount along with interest shall be fully recovered. अगली सुनवाई की तारीख 5 फरवरी 2020 तय की गई है। पत्तन को भरोसा है कि मूल धन राशि ब्याज सहित वसूल कर ली जाएगी । Based on above, there is no overstatement of Cash and bank balance by Rs.67.59 Crores, no overstatement of interest accrued on investment by Rs.49.76 crore. उपर्युक्त के आधार पर रोकड़ खढ़ाकर नहीं दिखाया गया है ।
क . 2. A. 2	बैंकों में रोकड़ – रु. 33,19,60,823/ Cash at Bank – ₹ 33,19,60,823 उपर्युक्त में 'वसूली के लिए चेक भेजे गए लेकिन अभी राशि जमा नहीं हुई' नामक स्वतंत्र शीर्ष के तहत दिखाए गए रु.7,26,662शामिल हैं । इसे बिना किसी समायोजन के वर्ष 2010-11 से दिखाया जा रहा है। इसे वर्ष 2017-18 की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी दर्शाया गया था। The above includes ₹ 7,26,662 shown under separate head "Cheques sent for collection but not yet cleared". The amount is being shown since 2010-11 without any adjustment. This was pointed out in the SAR for 2017-18 also.	इस में से रु.3,18,600 की पहचान वित्तीय वर्ष 2019-20 में पहले से ही की गई है,इसलिए' वसूली के लिए चेक भेजे गए लेकिन अभी राशि जमा नहीं हुई' के विरुद्ध रु.4,08,062 शेष हैं । शेष राशि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी। Out of which Rs. 3,18,600 has already been accounted in F.Y. 2019-20 therefore balance Rs. 4,08,062 against "Cheques sent for collection but not yet cleared". Necessary entries for balance will be passed in current financial year.



खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
क. 3. A. 3	ऋणएवं अग्रिम ∕ Loans and Advances ठेकेदारों को अग्रिम — रु. 3 2 9.64 करोड़ (अनुसूची 6) Advances to Contractors – ₹ 329.64 crore (Schedule 6)	
	इसमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारतीय पत्तन रेल निगम लिमिटेड को दी गईअग्रिम राशि रु.234.50 करोड़ शामिल है। This includes ₹ 234.50 crore being the advance given to Indian Port Rail CorporationLimited (IPRCL) for construction of various projects.	भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड को अग्रेषित अग्रिम राशि की रु234.50 करोड़ हैं । The amount of advance forwarded to IPRCL is Rs.234.50 crores.
	चूंकि भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा इन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगतिपर है और भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा चालू लेखा बिलके माध्यमस पूरे किए गए कार्योंके लिए रु.243.46 करोड़की राशिका दावा किया गया है, अतः रु.234.50 करोड़ की राशि को भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड को अग्रिमके रूप में प्रगति पर पूंजीगत कार्य में दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा, रु.8.96करोड़ (रु.243.46करोड़-234.50 करोड़) का अंतर वर्तमान देयताओं के अधीन दिखाया जाना चाहिए था।	मेसर्स भारतीय पत्तन रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया कुलबिल रु.243.46करोड़ है, हालांकि उपर्युक्त अग्रिमोंके बिल वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रभारी अभियंता द्वारा भुगतान के लिए प्रमाणित नहीं हैं। Total bill raised by m/s IPRCL is Rs. 243.46 Crores, however the bills for above advances are not certified for payment by Enginer in charge during FY 2018-19
	As the work of construction of these projects by IPRCL is in progress and the amount of ₹243.46 crore has been claimed by IPRCL towards completed works through Running Account Bills, the amount of ₹234.50 crore shown as advance to IPRCL should have been transferred to Capital Work in Progress (CWIP). Further, the difference of ₹ 8.96 crore (₹243.46 crore – ₹234.50 crore) should have been shown under Current Liabilities.	चूंकिव्ययकी पुष्टिकार्यकारी विभाग द्वारा नहीं की गई है, इसलिएब ही खाते में रु. 8.96 करोड़ की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया। Therefore as the expenditure is not confirmed by executive department, no provision was made of Rs. 8.96 in books of account.
	ऊपर बताए अनुसार प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर किए गए व्यय के अ-हस्तांतरणके परिणामस्वरूप प्रगति पर पूंजीगत कार्य को रु.243.46 कम आँका गया और वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमोंको रु.234.50 करोड़ अधिक आँका गया तथा वर्तमान देयताओं को रु.8.96 करोड़कम आँका गया । Non-transfer of expenditure incurred on capital work to CWIP as discussed above has resulted in understatement of CWIP by ₹243.46 crore and overstatement of Current Assets, Loans and Advances by ₹234.50 crore and understatement of Current Liabilities by ₹8.96 crore.	प्रभारी अभियंता द्वारा दिए गए अंतिम प्रमाण पत्रके आधार परवित्तीय वर्ष 2019-20 में वास्तविक व्यय दर्ज किया जाएगा। Based on Final certificate by Engineer-in-charge actual expenditure will be booked in FY 2019-20.
क. 4. A. 4	विविध देनदार — रु.983.86 करोड़ (अनुसूची 6) ∕ Net Sundry Debtors ₹ 983.86 crore (Schedule 6)	
7	पत्तन न्यासों की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेम वर्क के अनुसार सदोष तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा उन्हें विविध ऋणों से हटाया जाना चाहिए । जनेप न्यास ने सदोष तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने हेतु कोई नीति नहीं बनाई है। लेखाकरण नीति के अभाव में लेखा परीक्षा विविध देनदारों की रु. 983.86 करोड़ की राशि की सटीकता और लाभ के परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है । As per the Common Framework of Financial Reporting for Ports, a provision for bad and doubtful debts should be created and deducted from Sundry Debtors. JNPT has not made a policy for provisioning for bad and doubtful debts. In the absence of accounting policy, audit is unable to comment on the correctness of Sundry Debtors amounting ₹ 983.86 crore and its impact on Profit.	इस मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दि. 11 मई, 2018 के पत्र के संबंध में पोत-परिवहन मंत्रालय के निर्देशों की प्रतीक्षा है । अतः वर्तमान स्थिति में पोत-परिवहन मंत्रालय से दि. 06.11.2002 को जारी पत्र सं. पीआर-20031/2/98-पीजी अभी भी मान्य है कि किसी भी समय सीमा के बावजूद किसी भी ऋण को सदोष माना नहीं जाएगा तथा प्रावधान करने के लिए भारत सरकार के दिशनिर्देशों का पालन किया जाएगा । Directives on this issue from MOS on the CAG's letter dated 11th May, 2018 are still awaited. Hence, in the present situation letter issued by MoS vide ref.No.PR-20031/2/98-PG dated 06.11.2002 still prevails that no debt shall be considered bad irrespective of any time limit and guidelines issued by Govt. of India are to be followed to make provision. सीमाशुल्क विभाग से प्राप्त की जाने वाली रु.5.40 करोड़ की राशि के संबंध में यह कहना
		1 4 A

इस संदर्भ में, निम्नलिखित विशिष्ट मामले परध्यान दिया जाए :-

In this context, attention is invited to the following specific case:-

विविध देनदारों में सीमाशुल्क विभाग पर वर्ष 2005 से 2008 तक का भूमि किराया (रु.3.02 करोड़) तथा उस पर दण्डस्रूप ब्याज (वर्ष 2013 तक दावा किया गया रु.2.38 करोड़) के संबंध में बकाया रु.5.40 करोड़ शामिल है । चूंकि,विभाग ने इस दावे का विरोध किया है और राशि की वसूली अनिश्चित होने के कारण उसका प्रावधान किया जाना चाहिए था ।


Sundry Debtors include ₹ 5.40 crore receivable from Customs Department towards ground rent (₹ 3.02 crore) for the period from 2003 to 2008 in respect of confiscated goods lying on JNPT land and penal interest thereon up to 2013 (₹ 2.38 crore). Since the Department has disputed the claim and recoverability of the amount is not certain, provision should have been created.

इस मामले को वर्ष 2017-18 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी उठाया गया था। This issue was also raised in SAR for 2017-18. सीमाशुल्क विभाग से प्राप्त की जाने वाली रु.5.40 करोड़ की राशि के संबंध में यह कहना है की वह राशि सीमाशुल्क विभाग की ओर से विवादित है। उक्त को जनेप न्यास द्वारा भारतीय पत्तन संघ के सामने उठाया गया था और कानूनी सलाह के अनुसार सीमाशुल्क विभाग द्वारा जनेप न्यास को विराम समय प्रभार अदा करने हैं। इसलिए उक्त के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

With reference to the amount of Rs.5.40 crores receivable from Custom department, it is stated that the amount was disputed by custom department. The same was referred to Indian Port Association by JNPT and as per Legal opinion Custom is liable to pay dwell charges to Port and JNPT is following up with Custom Department. Therefore, the provision have not been made for the same in the year financial year 2018-19.

अतः पत्तन द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान नीति के अनुसार विविध देनदारों और लाभ को बढ़ा कर नहीं दिखाया गया है।

Hence, there is no overstatement of Sundry Debtors and Profit in view of the existing policy followed by Port.



खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ⁄ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
ख.∕B.	लाभ और हानि लेखा / Profit and Loss Account	
ख.1 B.1	सम्पदा किराया (अनुसूची -11)/ Estate Rentals- (Schedule 11) भूमि का किराया - रु. 134.47 करोड़ / Rent on Land - ₹ 134.47 crore पूर्व अवधि आय - शून्य / Prior Period Income – Nil	
(a)	इसमें अप्रैल 2018 से मार्च २०१९ की अविध के लिए जनेप न्यास भूमि से गुजरनेवाली पाइपलाइनों के लिए ओएनजीसी (रु. १.४० करोड़) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (रु.१.९० करोड़) द्वारा देय ''वे लीव प्रभार तथा पट्टा किराया'' के रु. ३.३० करोड़ शामिल नहीं हैं । जनेप न्यास द्वारा 'अर्जित आधार' के बजाय 'नकदआधार' पर लेखांकन किया जाता है और प्राप्य राशिका हिसाब नहीं रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरुप वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और लाभ को रु. ३.३० करोड़ कम दिखाया गया है । This does not include ₹ 3.30 crore being Way Leave charges and Lease rent, due from ONGC (₹1.40 crore) and BPCL (₹ 1.90 crore) for pipelines passing through JNPT land for the period from April 2018 to March 2019. As the 'cash basis' of accounting was followed by JNPT instead of 'accrual basis', and amount receivable was not accounted, there is understatement of Current Assets, Loan, Advances and understatement of profit by ₹ 3.30 crore. प्रेक्षणों को वर्ष 2016-17 सेपृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया था और पत्तन द्वारा इसपर अभी तक निवारणात्मक कार्रवाई करना बाकी है । The observation was included in the SAR since 2016-17 and the Port is yet to take remedial action. जुलाई २०17 से मार्च २०१८ की अविध के लिए जनेप न्यास भूमि से गुजरनेवाली पाइपलाइनों के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (रु.१.४९ करोड़) द्वारा देय ''वे लीव प्रभार तथा पट्टा किराया"को पूर्व अविध आय के अधीन दर्ज नहीं किया गया जिसके परिणास्वरूप वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और पूर्व अविध आय को रु.१.४९ करोड़ कम दिखाया गया है। Also, an amount of ₹1.49 crore being Way Leave charges and Lease rent, due from BPCL for pipelines passing through JNPT land for the period from July 2017 to March 2018 has not been booked under prior period income. This has resulted in understatement of Current Assets Loan, Advances and prior period income by ₹1.49 crore.	ओएनजीसी के साथ करार होने के बाद पत्तन ने अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अविध के लिए रु.5.08 करोड़ का बिल बनाया। जनवरी 2019 से मार 2019 तक की अविध के लिए रु.1.40 करोड़ का बिल वित्तीय वर्ष 2019-20 में दर्ज किया जाएगा। After execution of Agreement with ONGC Port has already raised invoice for a period April 2018 to December 2018 amounting to Rs. 5.08 Crores in F.Y. 2018-19. Bill for the period January 2019 to March 2019 amounting to Rs. 1.40 Crores is also raised in F.Y 2019-20. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में बिल जनेप न्यास और भारत पेट्रोलियम कार्पोरशन लिमिटेड के बीच करार होने पर बनाया जाएगा। Bills in respect of BPCL will be raised after execution o Agreement between JNPT and BPCL.
ख.2 B. 2	बीओटी ठेकों से आय-रु.958.37 करोड़ (अनुसूची-12) Income from BOT Contracts: ₹958.37 crore (Schedule-12) उपर्युक्त में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से 263.50 करोड़ का राजस्व हिस्सा, न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) से रु. 165.62 करोड़, न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) से रॉयल्टी आय का रु.197.52 करोड़ और भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल लि. (बीएमसीटी) से रु. 112.30 करोड़ का राजस्व हिस्सा मिलाकर कुल रु. 738.94 करोड़ शामिल है। The above includes ₹ 738.94 crore being revenue share of ₹ 263.50 crore from Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL), ₹ 165.62 crore from NhavaSheva (India) Gateway Terminal (NSIGT), royalty income of ₹ 197.52 crore from NhavaSheva International Container Terminal (NSICT) and revenue share of ₹ 112.30 crore from Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited (BMCT). जीटीआईपीएल, एनएसआईजीटी तथा बीएमसीटी के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार पत्तन के पास बीओटी प्रचालकों के राजस्व, वित्तीय विवरणों आदि की लेखापरीक्षा और सत्यापन करने लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षक नियुक्त करने का विकल्प था। As per the License Agreement with GTIPL, NSIGT and BMCT, the Port has the	न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) M/s NSICT: 1) दिनांक 03.07.1997 के अनुज्ञप्ति करार की धारा 6.7 के अनुसार मेस एनएसआईसीटी को कुल प्रहस्तित टीईयू की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। As per the license agreement Dtd. 03.07.1997, M/s NSICT ha to submit the Report as per Article 6.7: Total No. of TEU' handled. 2) मेसर्स एनएसआईसीटीमासिक प्रहस्तन का विवरण ई-मेल के माध्यम से देता है और उनके द्वा घोषित टीईयू के आधार पर रॉयल्टी प्राप्त की जाती है। धारा 6.7 में बताई गई आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट में प्रहस्तित कुल टीइयू संख्या दर्शानीहोगी और उसकी रिपोर्ट मासिक आध पर प्रस्तुत की गई। M/s NSICT provides Monthly handling details vide E-Mail an the Royalty is received based on the TEU's declared vide the E-mail. The requirements stipulated in Article 6.7 is th Reports stating Totals No. of TEU's handled and the same wa

statements etc., of the BOT operators. In this context, it was observed that:

पत्तन के लेखों के साथ-साथ लेखों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष जीटीआयपीएल, एनएसआयजीटी और बीएमसीटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती थी, पर पत्तन के पास वर्ष

2018-19 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी । बीएमसीटीपीएल के मामले में वर्ष 2017-18


इस संदर्भ में यह पाया गया था कि:

कार्यालय को उपलब्ध कराई गई हैं।


3) मेसर्स एनएसआईसीटी, जनेप न्यास के संबंध में रॉयल्टी अंश के लिए उपबंध न होने के

बावजूद लेखापरीक्षा ने मेसर्स एनएसआईसीटी द्वारा वार्षिक आधार पर प्रहस्तित कंटेनरों

का विवरण प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए इस संबंध में प्राप्त सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियां निवासी लेखा अधिकारी




कंगन मं			
खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars		पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
	की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी (a) The audit report of GTIPL, NSIGT and BMCT were being finalised every year after the finalisation of accounts as well as audit of the accounts of the Port and as such, audit reports for the year 2018-19 were not available with the Port. In respect of BMCT the audit report for 2017-18 was also not available. (ख) यद्यपि प्रबंधन ने कहा था कि यदि लेखा परीक्षकों द्वारा राजस्व अंश में कोई कमी इंगित की गई हो तो उसे आगामी वर्ष में वसूल कर लिया गया है, इसे जीटीआईपीएल के संबंध में सही नहीं पाया गया जहाँ रु.२८.८७ करोड़ (वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के लिए) की वसूली लंबित थी और मामले पर मध्यस्थताचल रही थी। इसी तरह, एनएसआईजीटी से वर्ष 2017-18 के लिए रु.१२ लाख की वसूली लंबित थी।	4)	Inspite of absence of Clause for Royalty share Audit wrt M/s NSICT, JNPT also obtained details of Container throughput handled by NSICT on yearly basis. The copies of CA Certificates obtained additionally in this regards for the FY 2016-17, 2017-18, 2018-19 are made available to RAO office तथ्यात्मक है कि मेसर्स एनएसआईसीटी के अनुज्ञप्ति करार में स्वतंत्र लेखा परीक्षा का प्रावधान नहीं है। It is factual that licenses agreement of M/s NSICT do not contain provision for Independent Audit.
	(b) Though the Management stated that the shortfalls, if any, in revenue share as pointed out by Auditors are recovered in the subsequent year, it was not correct in respect of GTIPL where a sum of ₹28.87 crore for the period from 2011-12 to 2017-18 was pending recovery and the same was under arbitration. Similarly, a sum of ₹12 lakh for 2017-18 was pending recovery from NSIGT. वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षित विवरण न होने के कारण जनेप न्यास द्वारा लेखा बहियों में दशाएं गए राजसहरू/ रॉयल्टी की यथातथ्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी । In the absence of audited statements for the year 2018-19, the veracity of revenue share/royalty reflected in the books of accounts JNPT could not be verified by Audit. इस मुद्दे को लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2016-17 से उठाया जा रहा है। The above issue is being raised by Audit since 2016-17.		जनेप न्यास के हितों कि रक्षा करने के लिए पत्तन ने मेसर्स एनएसआईसीटी द्वारा प्रहस्तित टीईयू कि सही जानकारी संबन्धित जलयान प्रचालकों से भी हासिल की है। कुछ जलयान प्रचालकों से प्राप्त विवरण निवासी लेखा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। In order to safeguard the interest of JNPT, Port also obtained the conformation of TEU's handled by M/s NSICT from the respective vessel operators. The details of conformations received from few vessel operators are provided to RAO office accordingly. उपर्युक्त के अनुसार मेसर्स एनएसआईसीटी की रॉयल्टी अनुजप्ति करार के अनुसार बही खातों में दर्शाई गई है और उसकी पृष्टि की जाती है। In view of the above, the Royalty of M/s NSICT is reflected in the books of accounts as per license agreement and the same is youchsafed.
			मेसर्स गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) :- M/s GTIPL:
		6)	यह तथ्यात्मक है कि मेसर्स जीटीआईपीएल की स्वतंत्र लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक (धारा 8.29) द्वारा किए गए प्रमाणन पर आधारित है। स्वतंत्र लेखा परीक्षा मेसर्स जीटीआईपीएल के लेखा/ सांविधिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद ही आरंभ होती है। It is factual that the Independent Audit is based on the Certifications provided by the Statutory Auditor of M/s GTIPL (Article 8.29). The Independent Audit commences only after Finalization of Accounts/Statutory Audit of M/s GTIPL.
		7.	मेसर्स जीटीआईपीएल के साथ मध्यस्थता का मामला स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्टी और वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2016-17 के लिए मेसर्स जीटीआईपीएल को अग्रेषित मांग पत्रों पर आधारित है। मध्यस्थ ने दिनांक 09.08.2019 के उनके आदेश द्वारा पत्तन के दावों को खारिज कर दिया। जनेप न्यास इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है। The arbitration case with M/s GTIPL is based on the Independent Audit Reports and demand letters forwarded to M/s GTIPL for the FY 2011-12 to FY 2016-17. The arbitrators has dismissed the claims vide their order dtd. 09.08.2019 JNPT is in process of obtaining further Legal action in this regard.
		8)	वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट निवासी लेखा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मेसर्स जीटीआईपीएल को बकायों के बारे में मांग पत्र जारी किया। पत्तन ने मध्यस्थता आदेश प्राप्त किया है और उसके वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक के दावों को खारिज कर दिया गया है। बकायों की प्रकृति (वैधानिक लेखा परीक्षा और स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बीच अंतर) समान है और वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबन्धित बकायों के लिए कानूनी कार्यवाही के साथ ही उक्त वर्षों के लिए भी विचार किया जाएगा। मध्यस्थता आदेश की प्रतिलिपि निवासी लेखा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। The Independent Audit Report of FY 2017-18 is made available to RAO office. Port has issued demand letter to M/s GTIPL w.r.t. dues as per Independent Audit Report of F.Y. 2017-18. Port is in receipt of arbitration order and the claims for the F.Y. 2011-12 to F.Y. 2016-17 are denied. The nature of dues (difference between Statutory Audit and Independent Audit) are similar and




वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19 Annual Accounts & Audit Report - 2018-19




खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
		the same will be considered for Legal proceedings along with dues pertaining to FY 2017-18. Copy of the Arbitration order is made available to RAO office.
		9) वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार यदि बकाया के लिए कोई कानूनी कार्यवाही की गई है तो उसकी जानकारी निवासी लेखा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। 9) The Legal proceedings taken if any w.r.t. dues as per Independent Audit Reports for the FY 2011-12 to FY 2017-18 will be made available to RAO office accordingly.
		10) पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है और इसे निवासी लेखा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया है। 10) Port is in receipt of Statutory Audit Report (AFR) for the FY 2018-19 and the same is submitted to RAO office.
		11) मेसर्स जीटीआईपीएल के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया समाशोधन (वित्तीय वर्ष 2018 -19) के साथ मासिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र भी निवासी लेखा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएगए हैं। 11) Reconciliation (FY 2018-19) with Monthly Audit Certificates issued by Statutory Auditor of M/s GTIPL is also made available to RAO office.
		12) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा की प्रक्रिया जारी है और इसके प्राप्त होते ही लेखा परीक्षा रिपोर्टीनवासी लेखा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मेसर्स जीटीआईपीएल का सकल राजस्व वैधानिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों के अनुरूप (अनुज्ञप्ति करार के अनुसार) लेखा बहियों में परिलक्षित होता है और उसकी पुष्टि की जाती है। आगे वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट
		प्रमाणपत्रों के अनुसार बकायों का समाशोधन न होने के लिए दिए गए कारण तथ्यात्मक हैं। मुख्यतः बीओटी प्रचालकों द्वारा जनेप न्यास के दावों को स्वीकार नहीं किया गया और वे मध्यस्थता के अधीन है और आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेखाकरण मानक 9 के अनुसार राजस्व मान्यता केवल उसी वित्तीय वर्ष में ही दी जाएगी, जिसमें इसके अंतिम वसूली को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं होगी और परिणामस्वरूप जनेप न्यास द्वारा इन राशियों की आय के रूप में अमान्यता सही होगी।
		 12) The Independent Audit for FY 2018-19 is in process and the Audit Report will be made available to RAO office as and when received. In view of the above the gross revenue of M/s GTIPL is reflected in the books of accounts as per the monthly Statutory Audit Certificates (as per license agreement) and hence the same is vouchsafed.
		Further the reason for non-recognition of dues as per Independent Audit Certificates for the F.Y. 2011-12 to F.Y. 2017-18 are factual, mainly the claims of JNPT are not accepted by BOT Operators and are under arbitration and further legal proceedings. In terms of AS 9 the revenue recognition would crystallise only in the FY in where there would be no uncertainty exist over its ultimate realisation and consequently the non-recognition of these amounts as income by JNPT would be correct.
		मेसर्स न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) 13) यह तथ्यात्मक है कि मेसर्स जीटीआईपीएल की स्वतंत्र लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक (अनुच्छेद 9.4) द्वारा किए गए प्रमाणन पर आधारित है। स्वतंत्र लेखा परीक्षा मेसर्स एनएसआयजीटी के लेखा/ सांविधिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद ही आरंभ होता है। M/s NSIGT: 13) It is factual that the Independent Audit is based on the
		के बाद ही आरंभ होता है।



खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
		(Article 9.4). The Independent Audit commences only after Finalization of Accounts/Statutory Audit of M/s NSIGT. 14) वितीय वर्ष 2016-17 के लिए विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार रु. 13535/- के बकाए की वसूली को सुनिश्चित करने के साथ साथ वितीय वर्ष 2016-17 की विशेष लेखापरीक्षा के विरुद्ध मांग सूचना भी निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है। 14) The Demand Notice issued against FY 2016-17 Special Audit Report is made available to RAO Office along with confirmation of recovery of Rs. 13535/- due as per Special Audit Report for the F.Y. 2016-17.
		15. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा एनएसआईजीटी द्वारा जारी छ:मासिक लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र के साथ समाधान (वित्तीय वर्ष 2018-19) भी लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है। 15) The Special Audit Report of FY 2017-18 is also made available to RAO office. Further, reconciliation (FY 2018-19) with Six-Monthly Audit Certificates issued by M/s NSIGT is also made available to RAO office.
		16. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विशेष लेखा परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उपर्युक्त मेसर्स एनएसआईजीटी के सकल राजस्व को देखते हुए छःमासिक वैधानिक लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र (अनुज्ञप्ति करार के अनुसार) लेखा बहियों में परिलक्षित होता है और उसकी पृष्टि की जाती है। लेखाकरण मानक 9 के संदर्भ में राजस्व मान्यता केवल उसी वित्त वर्ष में की जाएगी,जिसमें इसके अंतिम वसूली को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं होगी और परिणामस्वरूप जनेप न्यास द्वारा इन राशियों की आय के रूप में अमान्यता सही होगी। 16) The special Audit for FY 2018-19 is in process and the audit Report will be made available to RAO office as and when received. In view of the above the gross revenue of M/s NSIGT is reflected in the books of accounts as per the six-monthly Statutory Audit Certificates (as per license agreement) and hence the same is vouchsafed.
		In terms of AS 9 the revenue recognition would crystallise only in the FY in where there would be no uncertainty exist over its ultimate realisation and consequently the non-recognition of these amounts as income by JNPT would be correct. • मेसर्स बीएमसीटीपीएल 17) मेसर्स बीएमसीटीपीएल की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2017-18 (जून-2019) में प्राप्त हुई और इसे भी लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। • M/s BMCTPL: 17) The Special Audit Report of M/s BMCTPL is received in the FY
		2017-18 (June '2019) and the same is made available in RAO office. 18) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विशेष लेखा परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। जनेप न्यास के बही खातों के साथ मेसर्स जीटीआईपीएल और मेसर्स एनएसआईजीटी के सकल राजस्व प्रमाण-पत्रों (अनुज्ञप्त करार के अनुसार) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सकल राजस्व का समाधान विवरण भी लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए बही खातों में उसकी पृष्टि भी की गई है। वैधानिक लेखा परीक्षा और विशेष लेखा परीक्षा के बीच के अंतर का समाधान करने के लिए राजस्व अंश की लेखा परीक्षा की जाती है और जब लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त



खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
		होती है तब अतिरिक्त निष्कर्ष मांगे जाते हैं, जबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मासिक / छःमासिक / वार्षिक विवरण आँके गए हैं और उनकी पृष्टि की गई है । मेसर्स एनएसआईसीटी द्वारा रिपोर्ट किए गए टीईयू (अनुज्ञप्ति करार के अनुसार) लेखा बहियों में परिलक्षित होते हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रॉयल्टी तदनुसार प्राप्त हुई है । इसी तरह खाता बहियों में इसकी पृष्टि की जाती है । 18) The special Audit for FY 2018-19 is in process and the audit Report will be made available to RAO office as and when received. The reconciliation of Gross Revenue for FY 2018-19 against Gross revenue Certificates (as per license agreement) of M/s GTIPL& M/s NSIGT with the books of accounts of JNPT is made available to RAO office. Hence, the Books of Accounts could be vouchsafed. The Revenue Share Audit is done to reconcile the difference between Statutory Audit and Special Audit and the additional findings are demanded as and when the Audit Reports are received whereas the Monthly/Six Monthly / Annual Statements are already accounted for in FY 2018-19 and are vouchsafe. The TEUs as Reported by M/s NSICT (as per license agreement) are reflected in the books of accounts and Royalty is received accordingly for the FY 2018-19. Hence, the Books of Accounts could be vouchsafed.
ख.3 B.3	कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय (अनुसूची 14) –रु.269.42 करोड़ Expenditure on Container Handling and Storage– ₹269.42 crore	
ख.3.1 B.3.1	(Schedule 14) प्रशासनिक और सामान्य व्यय: रु. 86.79 करोड़	
5.5.1	Administrative and General Expenses: ₹ 86.79 crore a) उपर्युक्त में पत्तन की परिसंपत्तियों,कंटेनर वहन स्थानक और बफर यार्ड की बीमा सुरक्षा के लिए भुगतान की गई रु. 4.51 करोड़ की बीमा राशि - 01 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक रु. 1.13 करोड़ और 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए रु. ३.38 करोड़ शामिल नहीं है। भुगतान की गई बीमा प्रीमियम राशि अग्रिमों के तहत दिखाई गई थी। उपर्युक्त के कारण कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण शुल्क के तहत प्रशासनिक और सामान्य व्यय को कम करके दिखाया गया और वर्तमान परिसंपत्तियों (अग्रिमों) को 4.51 करोड़ रुपये बढ़ाकर दिखाया गया है।	आवश्यक व्यय को पहले ही वित्त वर्ष 2019-20 में दिखाया गया है । Necessary expenditure has already been booked in F.Y. 2019-20.
	(a) The above does not include the insurance amount paid for the insurance policy of the Assets of the Port, Container Freight Station and Buffer Yard for the period from 1 April 2018 to 30 June 2018 (₹1.13 Crore) and 1 July 2018 to 31 March 2019 (₹3.38 crore) amounting to ₹4.51 crore. The insurance premium amount paid was booked under Advances. This has resulted in the understatement of Administrative and General Expenses under Container handling and storage charges and overstatement of Current Assets (Advances) by ₹4.51 crore.	
	ख) उपर्युक्त में पत्तन की परिसंपत्तियों, कंटेनर वहन स्थानक और बफर यार्ड की पिछले वर्ष की 01.05.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि की बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की रु. 67 लाख की राशि शामिल है। यह व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित हैऔर लेखांकन मानक 5 के प्रावधानों के अनुसार, इसे 'निवल पूर्व अवधि प्रशुल्क'के अंतर्गत पूर्व अवधि व्यय के तहत दिखाया जाना चाहिए। (b) The above include ₹67 lakh being insurance premium for the policy for Port Assets, Container Freight Station and Buffer Yard for the previous year period from 01.05.2017 to 30.06.2017. This expenditure is related to the financial year 2017-18 and as per provisions of Accounting Standard 5it should have been shown under Prior period expenses coming under the head 'Net Prior Period Charges'.	यह तथ्यात्मक है । It is factual.
ख.4	पत्तन तथा गोदी व्यय (अनुसूची 15) -रु. 142.51 करोड़	
B.4	Port and Dock Expenditure– ₹ 142.51 crore (Schedule15)	
	इसमें जनेप न्यास के कर्मचारियों (जनेप न्यास के स्वामित्व वाली पत्तन नौकाओं के संचलन, प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य करने वाले) को जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिएनिर्धारित समयोपरि भत्ता और शिक्षा भत्ते के रूप में देय रु. 1.28 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जिसे न्यासी मण्डल	जनेप न्यास के स्वामित्ववाली नौकाओं के प्रबंधन, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए ठेकेदार द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं । समूह ख और ग के ठेका श्रमिकों का वेतन करार 01.01.2017 से




खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
	द्वाराजनवरी 2018 में अनुमोदन दिया गया था। इसके लिए प्रावधान न होने के कारण लाभ को बढ़ाकर और देयताओं कोरु. १.२८ करोड़ कम करके दिखाया गया। This does not include ₹1.28 crore being the Fixed Overtime and Education Allowance for the period from January 2017 to March 2019 payable to employees of JNPT (working on manning, operation and maintenance of the Crafts owned by JNPT), which was approved by Board of Trustees in January 2018. Non-provision of the same has resulted in overstatement of Profit and understatement of Liabilities by ₹1.28 crore.	31.03.2019 तक प्रलंबित है । अतः व्यय की सटीक राशि को नहीं निकाला जा सका । अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया जा सका । The Employees are employed by the Contractor for manning, operation and maintenance of Port crafts owned by JNPT. As wage settlement for the group B and C contract workers is pending w.e.f. 01.01.2017 to 31.03.2019. Hence, payment of exact amount of expenditure could not be worked out. Therefore, provision could not be made for the same.
ख.5 B.5	निवल पूर्व अवधि शुल्क : रु. २१.२९ करोड़ (अनुसूची २२) Net prior period charges: ₹ 21.29 crore (Schedule 22)	
	वर्ष २०१७-१८ के कुल राजस्व के विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र के अनुसार नि.प्र.ह. प्रचालकों (जीटीआईपीएल) से पत्तन का कुल राजस्व हिस्सा रु. २६२.५५ था जबिक पत्तन ने रु. २६४.३५ करोड़ दिखाया तथा लेखांकित किया, जिसके परिणामस्वरूप रु. १.८० करोड़ की अतिरिक्त आय दिखाई गई है। पत्तन ने इस पूर्व अविध मद की परिशोधन प्रविष्टि नहीं की है, हालांकि सनदी लेखाकर से लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखों को स्वीकारने से पहले प्राप्त की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निवल पूर्व अविध शुल्क को कम दिखाया गया, कर पूर्व लाभ को बढ़ाकर तथा वर्तमान देयताओं को रु.१८० करोड़ से कम दिखाया गया है। (a) As per Statutory Auditors' Certificate on statement of Gross Revenue for the previous year 2017-18, total revenue share of Port from BOT operator (GTIPL) amounted to ₹262.55 crore while port had raised and accounted for an amount of ₹264.35 crore resulting in excess accounting of income amounting to ₹1.80 crore. Port has not passed rectification entry for this prior period item though the Audit Report from Chartered accountants was received prior to adoption of accounts. This has resulted in understatement of net prior period charges, overstatement of profit before tax and understatement of Current Liabilities by ₹1.80 crore. ख) उपर्युक्त में पत्तन की परिसंपत्तियों,कंटेनर वहन स्थानक और बफर यार्ड की 01 अप्रैल 2017 से 30अप्रैल,2017 तक की अविध के लिए बीमा सुरक्षा के लिए भुगतान की गई (मार्च २०१७) रु. ०.34 करोड़ की शामिल नहीं है। भुगतान की गई बीमा प्रीमियम राशि को अग्निमों के तहत दिखाया गया था। उपर्युक्त के कारण पूर्व अविध व्यय को कम दिखाया गया और वर्तमान परिसंपत्तियों (अग्निमों) तथा कर पूर्व लाभ को ०.३४ करोड़ रुपये बढ़ाकर दिखाया गया है। (b) The above does not include ₹0.34 crore being amount paid (March 2017) for the insurance policy of Port Assets, Container Freight Station and Buffer Yard for the period from 1 April 2017 to 30 April 2017. The insurance premium amount paid was booked under Advances. This has resulted in understatement of prior period expense and overstatement of Current Assets (Advances) and overstatement of profit before tax by	यह तथ्यात्मक है कि पत्तन ने वित्त वर्ष 2017-18 में 1.80 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त की तथा उसे दर्ज किया गया था । मेसर्स जीटीआईपीएल वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अधीन हैं। मेसर्स जीटीआईपीएल ने फरवरी, 2019 में कारणों का समाधान प्रस्तुत किया है। पत्तन को वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट 3 जून, 2019 को प्राप्त हुई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेसर्स जीटीआईपीएल को क्रेडिट नोट जारी किया गया है। इसके प्रभावको वित्त वर्ष 2019-20 में निवल पूर्व अवधि शुल्कों में दिखाया गया है। अवश्यक व्यय को पहले ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में दर्ज किया जा चुका है। It is factual that Port has received and booked excess income to the extent of Rs. 1.80 Crore for the FY 2017-18. The reasons for excess receipt of Revenue share from M/s GTIPL are subject to Independent Audit Report for the financial year 2017-18. M/s GTIPL has reconciled the reasons latest by February, 2019. Port has received the Independent Audit Report for FY 2017-18 on 3rd June, 2019. Accordingly, credit note has been issued to M/s GTIPL in the FY 2019-20. The effect of same is now given in Net Prior period charges in FY 2019-20. Necessary expenditure has already been booked in F.Y. 2019-20.
ग. C	सामान्य General लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 25) Notes on Accounts (Schedule-25) पत्तन ने जनेप न्यास के कर्मचारियों के बच्चों और पत्तन नगरक्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्तन नगरक्षेत्र में एक स्कूल स्थापित किया है इस स्कूल का प्रबंधन और संचालन इंडियन एजुकेशन सोसाइटी (आईईएस) द्वारा किया जाता है और पूरे व्यय को पत्तन द्वारा अग्रिम भुगतान करके पूरा किया जाता है आईईएस के लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त न होने के कारणरु. 3.38 करोड़ की अग्रिम राशि के साथसाथ व्यय के प्रावधान की उतनी ही राशिका वर्ष 2017-18 के लिए समायोजन नहीं हुआ था इसे लेखों पर टिप्पणी में नहीं दिखाया गया है पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह मुद्दा 2015-16 से उठाया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है	लंबे समय से लंबित अग्रिमों तथा लंबित देयताओं से बचने और लाभ और हानि खाते में सही व्यय दिखाने के लिए विद्यालय के व्यय को दर्ज करने की कार्यप्रणाली में सुधार किया गया था । कुल प्रचालन व्यय के 0.5 इसे कम राशि होने के कारण, इसे लेखों पर टिप्पणी में दिखाने के लिए भौतिक तथ्य नहीं माना गया था। The methodology of booking school expenditure was improved over earlier years to avoid long pending advances and corresponding long pending OSL and thereby reflection of correct expenditure in the profit and loss account. The amount being less than 0.5% of the total operating expenditure, it was not considered to be a material fact to disclose in the notes to


The Port has set up a school in the Port Township to cater to the

not considered to be a material fact to disclose in the notes to

the accounts.




खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
	educational needs of the wards of JNPT employees and others residing in the JNPT Township. The management and running of this school is done by Indian Education Society (IES) and the entire expenditure is met by the Port by making advance payment. Advance of ₹3.38 crore as well as equal amount of provision for expenses was lying unadjusted for the year 2017-18 due to non-receipt of Audited Accounts of IES. This has not been disclosed in the Notes on Accounts. This issue has been raised in the SAR since 2015-16 and corrective action has not been taken.	






लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध - I / Annexure-I to Audit Report


खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता Adequacy of Internal Audit System	
	आंतरिक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखा परीक्षा से पहले पूरा किया जानाneslee है। किन्तु पत्तन की वर्ष २०१८-१९ की आंतरिक लेखा परीक्षाका कार्य मेसर्स एमजीबी एंड कंपनी एलएलपी को जून २०१९ में सौंपा गया था। अब तक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक uesKee hejer#ee की पर्याप्तता/ अपर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। The Internal Audit is to be completed before statutory audit. However Internal Audit of the Port for the year 2018-19 was entrusted to M/s M G B & Co. LLP only in June 2019. As the Report is yet to be received audit is unable to comment on adequacy/inadequacy of Internal Audit during 2018-19.	पत्तन ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स एमजीबी एंड कंपनी एलएलपी को जून, २०१९ मेंनियुक्त किया है। इससे पहले के आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स अंजीकर एंड कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। Port has already appointed M/s MGB & Co. LLP for conducting Internal Audit for F.Y. 2018-19 and 2019-20 in June, 2019. Earlier Internal Auditor M/s Anjikar& Co. has submitted Audit Report for F.Y. 2017-18.
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	
	Adequacy of Internal Control System निम्नलिखितकारणों से पत्तन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है: Internal control system of the Port requires strengthening in view of the following: (i) बैंक समाशोधन विवरण जनेप न्यास द्वारा प्रस्तुत 15 बैंक खातों के 31 मार्च 2019 तक के बैंक समाशोधन विवरण में 31 दिसंबर 2018 तक कई मामले लंबित दिखाए गए हैं । इसे 2017-18 की पृथक लेखा परीक्षा के माध्यम से भी उजागर किया गया है, लेकिन पत्तन ने अभी तक निवारात्मक कार्रवाई नहीं की है।	यह कहा जाता है कि अधिकांश मदों का समाधान पहले ही किया गया है औरशेष का समाधान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा। It is submitted that majority of items have already been reconciled and further reconciliation will be carried out in FY 2019-20.
	(I) Bank Reconciliation Statement Bank Reconciliation Statement as on 31 March 2019 of 15 Bank Accounts furnished by JNPT indicated several pending items up to 31 December 2018. This has been highlighted through SAR of 2017-18 also but the Port is yet to take appropriate remedial action.	
	(ii) नियत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन पत्तन ने नियत परिसंपत्तियों का वर्ष 2018-19 का प्रत्यक्ष सत्यापनिकया है। लेकिन प्रत्यक्ष सत्यापनिरिपोर्ट में अंतर का कोई विवरण शामिल नहीं था जो अचल संपत्ति रजिस्टर / लेखा बही और वास्तविक प्रत्यक्ष स्टॉकबिहियों में मौजूद था। जिसके कारण लेखा परीक्षा यह सत्यापित करने की स्थिति में नहीं है कि अचल संपत्ति रजिस्टर में वर्णित संपत्ति वास्तव में मौजूद है या नहीं। (ii) Physical verification of Fixed Assets Port has conducted Physical Verification of Fixed Assets for the year 2018-19. But Physical Verification Report did not contain any details of difference that existed between fixed asset register / books of accounts	नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापनकी रिपोर्ट पहले से ही लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की गई है। मुख्यपरिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने का प्रयास किया जाएगा। Report on Physical verification on Fixed Asset is already submitted to Audit. Efforts will be made to reconcile major Assets.
	and actual physical stock. In the absence of the same, audit is not in a position verify whether assets as mentioned in fixed asset register actually exists.	
	(iii) वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन पत्तन ने 31 मार्च, 2019 को वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है । (iii) Physical verification of Inventory Port has conducted Physical Verification of Inventory as on 31 March 2019.	तथ्यात्मक Factual.
	(iv) पिरसंपत्तियों का पूंजीकरण काम पूरा होने के बाद पिरसंपत्तियों के पूंजीकरण में देरी हुई। इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं:	
	(iv) Capitalisation of assets There was delay in capitalisation of assets after completion of work. Specific instances are given below: क) पूँजी कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी) में रु. 1536.95 करोड़ की राशि शामिल है, जो मुख्य	प्रचलित प्रथा के अनुसार, किसी भी कार्य का पूंजीकरण अंतिम बिल के भुगतान और परियोजना के प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी करने पर किया जा



खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
	निकर्षण कार्य के लिए खर्च हुई है । उक्त कार्य सलाहकार द्वारा प्रमाणितकिए अनुसार 18 फरवरी 2019 को पूरा हुआ था, लेकिन अभी तक इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है । इसके अलावा, पूँजी कार्य में मुख्य निकर्षण कार्य कार्य का रु. 162.52 करोड़ का प्रलंबित भुगतान शामिल नहीं है । (a) Capital Work in Progress (CWIP) includes an amount of ₹1536.95 crore being the expenses incurred for Capital dredging work which was completed on 18 February 2019 as certified by the consultant but the same has not been capitalised so far. Further, CWIP does not include ₹162.52 crore pending payment on the Capital dredging work. ख) पूँजी कार्य में सैप ईआरपी प्रणाली स्थापना के लिए खर्च हुए रु.21.03 करोड़ शामिल हैं । 12 अप्रैल 2016 से इस प्रणाली का प्रचालन आरंभ हुआ था, लेकिन इसका अभी तकइसे पूंजीकृत नहीं किया गया है । प्रबंधन ने प्रभारी अभियंता का कार्य समापन प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और अंतिम बिल के निपटान न होने कारण बताया है । पूंजीगत व्यय के समय पर लेखांकन के लिए इन गतिविधियों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है । (b) CWIP includes ₹21.03 crore being the expenses incurred for installation of SAP ERP system, which had gone live from 12 April 2016. However, this has not been capitalised so far. Management has attributed the delays to absence of completion certificate of Engineer in charge and settlement of final bill. These activities need to be expenditure.	रहा है इस मामले में जनेप न्यास की इस परियोजना के प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है इसलिए, वर्ष 2018-19 में उक्त कार्य का पूंजीकरण नहीं किया गया प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद पूंजीकरण की आवश्यक प्रविष्टियों की जाएगी As per prevailing practice the capitalization of any work is being done on payment of final bill and issue of completion certificate by engineer in charge of project. In the present case completion certificate is not issued by engineer in charge of the project of JNPT. Hence, capitalization of said work is not done in the year 2018-19. Necessary entries of capitalization will be passed after receipt of completion certificate by Engineer-in-charge. यथोक्त Same as above.
	be expedited for timely accounting of capital expenditure. v) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन जनेप न्यास द्वारा वस्तुसूचियों मूल्यांकन लागत के अनुसार किया जाता है, हालांकि महा पत्तनों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसारवस्तुसूचियों का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम होके अनुसार किया जाना चाहिए इसके अलावाजनेप न्यास ने रु. 8.52 करोड़ मूल्य की 3858 वस्तुओं का निर्धारणऔर पहचान की है जो तीन वर्षों से अधिक समय से कालापेक्षी / अचल हैं हालांकि, जनेप न्यास ने कालापेक्षी और अचल वस्तुसूची के मूल्यहास के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी, जो महापत्तनों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक थी लेखा परीक्षा द्वारा यह मुद्दा वर्ष 2013-14 से उठाया जा रहा है (पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलम्क- I) (v) Valuation of inventories JNPT values inventories at cost, though as per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, inventories are to be valued at cost or	वस्तुसूची में से अधिकांशमदों (कालापेक्षी) को आयात किया जाता है और रुपये की बढ़ती विदेशी विनिमय दर के साथ इन वस्तुओं का बाजार मूल्य निश्चित रूप से अधिक होगा। इसलिए, बाजार मूल्य के आधार पर वस्तुसूची का मूल्यांकन किए जाने से वस्तुसूची का मूल्यांकन किए जाने से वस्तुसूची का मूल्यांकन वस्तुसूची की वास्तविक लागत पर आधारित है। जनेप न्यास द्वारा वस्तुसूची के मूल्यांकन के लिए इसी पद्धित का पालन निरंतर किया जाता है। Most of the inventory items(slow moving items) are imported and the market value of these items will be definitely higher with the increasing foreign exchange rate of Rupee. Therefore, the valuation of inventory on market value basis will result in higher valuation of Inventory. Port's valuation of inventory is based on Actual cost of inventory. The same practice of Inventory valuation is consistently followed by JNPT.
	net realisable value whichever is lower. Further, JNPT has assessed and identified 3858 items worth ₹8.52 crore which are slow/non-moving inventory, for more than three years. However, JNPT did not frame any policy for depreciation of slow and non-moving inventory, as required by the Common Framework for Financial Reporting for Major Ports. This issue is being raised by Audit (Annexure-I of SAR) since 2013-14). vi) अग्रिमों का समायोजन कुछ पुराने बकाया अग्रिम हैं जिनका समायोजन नहीं किया गया है, वे इसप्रकार हैं : (vi) Adjustment of advances There are old outstanding advances which have not been adjusted, as stated below: क) अस्थायी प्रकृति के आकस्मिक अग्रिमों में 1987 से 2008 के दौरान विभिन्न पार्टियों को	अग्रिमों को निपटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। अन्य पुराने अग्रिमों के शीघ्र निपटान के लिए समितियाँभी स्थापित की गई हैं। The efforts are consistently made to settle the advances. Committees are also formed for early settlement of other old Advances.
	भुगतान किए गएरु. 1.41 करोड़ शामिल हैं,जिनकी बसूली / समायोजन प्रलंबित हैं । (a)Contingent Advances which are of temporary nature include ₹1.41 crore paid to various parties during 1987 to 2008 which are pending recovery/adjustment. ख) पूँजी अग्रिमों में पूंजीगत कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को 1983 से 2006के दौरान दिए गए रु. 4.30 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं जिनकी बसूली /समायोजन प्रलंबित हैं । (b)Capital Advances represent advances given to various contractors for carrying out capital works and include ₹4.30 crore for the period from 1983 to 2006 pending recovery/adjustment.	गोदरेज एंड बॉयस केरु. 0.17 करोड़ के पुराने अग्रिम का वित्त वर्ष 2018-19 में निपटान किया गया है। भारतीय रेलवे के रु. 1.71 करोड़ रुपये और आईडीएफसी के रु. 0.02 लाख रुपयेके अग्रिम के निपटान की प्रक्रिया जारी है तथा इसका वित्त वर्ष 2019-20 में निपटान किया जाएगा। अन्य पुराने अग्रिमों के शीघ्र निपटान के लिए समितियाँ भी बनाई गई हैं। The old advances of Godrej &Boyee for Rs. 0.17 crores has been settled in FY 2018-19. The advance of Rs. 1.71 crores to Indian Railways and Rs. 0.02 lakhs to IDFC is under process of settlement and will be settled in the financial year 2019-20. Committees are also formed for early settlement of other old Advances.




खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
	vii) शेष राशि की पृष्टि (vii) Confirmation of balances क) विविध देनदारों में सरकारी पार्टियों के (रु. 206.23 करोड़) और गैर-सरकारी पार्टियों के (रु. 763.38 करोड़) बकाया शामिल हैं I पत्तन ने इन विविध देनदारों से शेष राशि की पृष्टि नहीं की है I (a) Sundry Debtors includes dues from Government parties (₹206.23 crore) and Non-Government (₹763.38 crore) parties. The Port has not obtained confirmation of balances from these Sundry Debtors. ख) इसके अलावा, पत्तन ने निम्निलखित लेनदार वस्तुओं के लिए, वर्ष के अंत में शेष राशि की पृष्टि प्राप्त नहीं की है: (b) Also, for the following creditor items, confirmation of balance as at the end of year is not obtained by the Port: i) पूँजी कार्य के लिए लेनदार -रु. 16.99 करोड़ I. Creditors for Capital Works - ₹16.99 crore ii) विविध लेनदार और जमा शेष -रु. 10.97 करोड़ ii. Miscellaneous Creditors & Credit Balances - ₹10.97 crore iii) सेवाओं के लिए अन्य पत्तनों से देय राशि -रु. 3.71 करोड़ अग्रिम भुगतान और लागू छूट -रु. 495.38 करोड़ iii. Amount Due to Other Ports for Services - ₹3.71 crore Advance Payment & Unexpired Discounts - 495.38 crore.	जनेप न्यासने ५ अगस्त, २०१९ के ईमेल द्वारा पत्तन माहकों / विविध देनदारों को शेष राशि की पृष्टि करने का अनुरोध किया है और कुछ पार्टियों से शेष राशि की पृष्टि भी प्राप्त हुई है। JNPT has requested to Port Customers/Sundry Debtors to issue Balance confirmation vide email on 5th August, 2019 and has also obtained Balance Confirmations from some of the parties. जनेप न्यास ने 5 अगस्त, 2019 के ईमेल द्वारा पत्तन माहकों / विविध देनदारों को शेष राशि की पृष्टि करने का अनुरोध किया है और कुछ पार्टियों से शेष राशि की पृष्टि भी प्राप्त हुई है। पिछलेकुछ वर्षों से अपनाई गई सामान्य प्रथा के अनुसारपत्तन ने लेनदारों से शेष राशि की पृष्टि नहीं कीगई है। हालांकि, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष में लेनदारों से शेष राशि की पृष्टि प्राप्त करने की संभावना की जांच की जाएगी। The confirmation of balances from creditors has not been obtained by Port as per common practice followed during past years. However, the possibility of obtaining balance confirmation from creditors will be examined in the current Financial Year keeping view of legal aspects.
3.	सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता Regularity in payment of statutory dues पत्तन ने निर्विवाद सांविधिक देय राशि का भुगतानियमितरूप से किया है। The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.	तथ्यात्मक Factual



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध- 🛮 / Annexure-II to Audit Report

	विवरण Particulars				पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पि Port's reply/Action Taken Note		
	कार्यचालन परिणाम:- Working results 31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल प्रकार रही: The Financial Position of Jawaharlal Nehru Port Trust under the l ended 31 March 2019 is given below:	oroad hea	dings for thr	ee years			
	विवरण / Particulars	(करोड रुपयों में / Rs.in Crores) विवरण / Particulars 2016-17 2017-18 2018-19					
					वित्तीय स्थिति में दिखाए गए आंकड़ों को निम्न प्रेक्षणों के अधीन पृष्ट किया जाता है:		
	LIABILITIES /देयताएँ				The figures mentioned in the Fir		
	Capital Reserves /पूंजी आरक्षित	3608.32	3608.32	3608.32	position are hereby confirmed subject		
	Other Reserves /अन्य आरक्षित	4327.34	5251.73	6197.03	following observations:		
	Borrowings /प्रतिभूत ऋण	556.84	1819.85	2838.52	 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना करते समय पत्तन 		
	Deferred Tax Libilities /आस्थिगत कर देयताएँ	220.73	255.85	285.93	प्राप्त आय तथा भुगतान किए गए ब्याज		
	Current Liabilities & Provisions /वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	3136.98	3811.52	4882.62			
1	Total ⁄योग	11850.21	14747.27	17812.42	समायोजन करता है जो लेखा परीक्षा ने नहीं किया		
1					अलावा पत्तन ने पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना क		
	ASSETS /परिसम्पत्तियाँ				कर पूर्व लाभ को ध्यान में रखा है।		
ı	Net Fixed Assets /निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	2467.65	2548.99	2512.83	1.While calculating Return on C		
	Works-in-Progress /चालू कार्य	384.80	1350.60	2647.85	Employed, Port makes adjustmen		
	Investments /निवेश	76.78		363.73	interest earnings and interest paid has not been made by audit. Als		
	Current Assets and Loans and Advances /वर्तमान परिसम्पत्तियाँ तथा ऋण और अग्रिम	8889.48	10700.39	12255.53	considers Profit before tax for calc		
	Deferred Tax Asset /आस्थगित कर परिसम्पत्ति	0.00	0.00	0.00	return on capital employed.		
	Other Assets/Misc. Expenditure: /अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय				1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	Sheds handed over to BOT operator /नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड		34.60	32.48	1. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के परिकलन के वि		
	SVRS Expenditure /एस वी आर एस व्यय	0.00	0.00	0.00	द्वारा अपनाई गई पद्धति लेखा परीक्षा की पद्धति		
	Misc. Expenditure				है। नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना कर		
	Total /योग	11850.21	14747.27	17812.42	पत्तन स्रोत पर कर कटौती, असाधारण मदों, चार		
		5750.50	0000.07	7070.04	विशेष उद्देश्य कंपनियों को ऋण, नि.प्र.ह. प्रचार		
	Working Capital * /कार्यचालन पूंजी *	5752.50 7935.66		7372.91 9805.35	सौंपे गए शेडों हेतु समायोजन करता है।		
	Net Worth ** /निवल मूल्य **	8220.15		9805.35	2. The method followed by the Port		
	Capital Employed *** /नियोजित पूंजी*** Net Surplus (before appropriation) /निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले)	879.56		957.49	with that of Audit for calculation of (
	Return on Capital Employed **** /नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ **** (percentage) (प्रतिशत में)	10.70		9.69	Employed. Port makes adjustment TDR, EOI, Work in progress, load special purpose vehicle, Sheds h		
	Capital Employed (including Work -in-Progress) ्रिनयोजित पूंजी (चालू कार्य सहित)	8604.95	10788.46	12533.59	over to BOT Operators.		
	Return on Capital Employed (including /नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ Work-in- Progress) (percentage) (चालू कार्य सहित) (प्रतिशत में)	10.22	8.83	7.64			
	* कार्यचालन पूंजी वर्तमान परिसम्पत्तियों में से वर्तमानदेयताओं को घटाकर निकाल Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilit ** निवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित तथा अधिशेष/घाटे को दिखाता । Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus su *** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों तथा कार्यचालन पूंजीको दिखाती है Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Cap **** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष (विनियोजन के प Return on Capital Employed represents percentage of net surplu Employed)	ies; है । urplus/def । ital; ाहले) के प्रति	icit; शत को दिखाता				



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध - II / Annexure-II to Audit Report

खंण्ड सं.						
Point	विवरण Particulars				पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes	
No.					Fort s repry/Action Taken Notes	
	कार्यचालन परिणाम :-					
2.	WORKING RESULTS पत्तन के 31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के जवाहरलाल नेहरू पत्त-					
	से नीचे दिए जा रहे हैं:					
	The working results of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the la 2019 are summarized below:					
	2019 are summarized below:					
	Particulare Com					
	Particulars विवरण Revenue / (क) राजस्व	2016-17	2017-18	2018-19	कार्यचालन परिणाम में दिखाए गए आंकडों को	
	Revenue / (क) राजस्व Operating Income / (i) प्रचालन आय	1700.97	1890.88	1988.99	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है ।	
	Non operating income / (ii) गैर प्रचालन आय	461.46	345.46	433.89	The figures mentioned in working results are hereby confirmed.	
	Total /योग	2162.43	2236.34	2422.88	die nereby committee.	
	Expenditure /(ख)व्यय	2102.43	2230.34	2422.00		
	Operating expenditure / (i) प्रचालन व्यय	804.97	751.24	763.71		
	Non operating expenditure / (ii) गैर-प्रचालन व्यय	16.53	45.15	190.27		
	Total /योग	821.50	796.39	953.98		
	Extra ordinary items /असाधारण मदें	0.00	0.00	0.00		
	Prior period charges /पूर्व अविध प्रभार	-3.81	-2.31	21.29		
	Net surplus/(deficit) before tax /कर से पहले निवल अधिशेष/घाटा		1442.26	1447.61		
	Less: Provision for Tax /घटाएँ : कर के लिए प्रावधान	428.04	455.11	460.20		
	Add/Less: Deferred tax liability/ assets	37.38	35.12	30.09		
	Add: Withdrawn from Welfare Fund and					
	Infrastructure Reserve/जोड़ें / घटाएँ : आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ	0.24	0.13	0.17		
	Net surplus/ (deficit) before					
	appropriation /जोड़ें : कल्याण निधि और आधारिक संरचना आरक्षित से आहरण	879.56	952.16	957.49		
	Less: Mandatory Appropriations, /विनियोग से पहले निवल अधिशेष					
	Transfers to Reserve Funds, etc. /घटाएँ : आज्ञापक विनियोग, आरक्षित निधियों आदि में स्थानांतरण	210.54	247.02	247.53		
	Surplus/Deficit transferred to General					
	Reserve /(च) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा	669.02	705.14	709.96		
	Percentage of net surplus to /(छ) के लिए निवल अधिशेष का प्रतिशत :					
	(i) Operating Income / (i) प्रचालन आय	51.71	50.36	48.14		
	(ii) Net Fixed Assets / (ii) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	35.64	37.35	38.10		
	GUS 37 - 7171 - (m) C					
	(iii) Net Worth / (iii) निवल मूल्य	11.08	10.75	9.76		
l i		11.08	10.75	9.76		
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY)	1		9.76	कार्यचालन परिणाम में दिखाए गए आंकडों को	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वितीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु	। पातों को नीचे दिख	वाया गया है :		एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY)	। पातों को नीचे दिख	वाया गया है :		एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वितीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु	पातों को नीचे दिख of the Port ⁻	ज्ञाया गया है : Frust are sho		एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे	पातों को नीचे दिख of the Port ⁻ 2016 5 लिए - 286	ज्ञाया गया है : Frust are sho	own below:	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे को Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों	पातों को नीचे दिर of the Port 2016 5 लिए सहित)	ज्ञाया गया है : Frust are sho	own below:	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इसी कारण क्र.सं. (च) में उछिखित	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे कि Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों :	पातों को नीचे दिख of the Port 2016 ह लिए 283 सहित)	ज्ञाया गया है : Frust are sho	own below: 18 2018-19 74 251.00	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इसी कारण क्र.सं. (च) में उछिखित नियोजित पूंजी के लाभ का प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वितीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों : b. Percentage of Quick Assets to Current वर्तमान देयताओं के लिए Liabilities शीघ्र विक्रेय परिसम्पत्तियों का प्रतिशत	पातों को नीचे दिख of the Port [*] 2016 5 लिए 283 सहित) 283	ज्ञाया गया है : Frust are sho -17 2017- 3.38 280. 2.72 710.	own below: 18 2018-19 74 251.00 40 336.97	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इसी कारण क्र.सं. (च) में उछिखित नियोजित पूंजी के लाभ का प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा परिकलन किए गए प्रतिशत से भिन्न है।	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे कि Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों :	पातों को नीचे दिख of the Port 2016 ह लिए 283 सहित)	ज्ञाया गया है : Frust are sho -17 2017- 3.38 280. 2.72 710.	own below: 18 2018-19 74 251.00 40 336.97	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध- के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इसी कारण क्र.सं. (च) में उछिखित नियोजित पूंजी के लाभ का प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा परिकलन किए गए प्रतिशत से भिन्न है। The figures mentioned in Ratio Analysis are hereby confirmed. However, as explained in	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वितीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों) b. Percentage of Quick Assets to Current वर्तमान देयताओं वे लिए Liabilities शीघ्र विक्रेय परिसम्पत्तियों का प्रतिशत C. Percentage of Sundry Debtors to प्रचालनीय आय के Operating Income लिए विविध देनदारों का प्रतिशत d. Percentage of Debt to Capital Reserve &	पातों को नीचे दिख of the Port [*] 2016 5 लिए 283 सहित) 283 र 962	जाया गया है : Frust are sho -17 2017- 3.38 280. 2.72 710.	own below: 18 2018-19 74 251.00 40 336.97 11 49.47	The figures mentioned in Ratio Analysis are hereby confirmed. However, as explained in our reply to Sr. No. 1 – Annexure-II Financial	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वितीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों) b. Percentage of Quick Assets to Current वर्तमान देयताओं के लिए दिविधा परिसम्पत्तियों का प्रतिशत ट. Percentage of Sundry Debtors to प्रचालनीय आय के Operating Income लिए विविधा देनदारों का प्रतिशत d. Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत	पातों को नीचे दिख of the Port [*] 2016 5 लिए 283 सहित) 283	जाया गया है : Frust are sho -17 2017- 3.38 280. 2.72 710.	own below: 18 2018-19 74 251.00 40 336.97 11 49.47	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इसी कारण क्र.सं. (च) में उछिखित नियोजित पूंजी के लाभ का प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा परिकलन किए गए प्रतिशत से भिन्न है। The figures mentioned in Ratio Analysis are hereby confirmed. However, as explained in our reply to Sr. No. 1 – Annexure-II Financial Position, the Port's method of calculation of Capital Employed is different than the	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वितीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों) b. Percentage of Quick Assets to Current वर्तमान देयताओं के लिए Liabilities शीघ्र विक्रेय परिसम्पत्तियों का प्रतिशत C. Percentage of Sundry Debtors to प्रचालनीय आय के Operating Income लिए विविध देनदारों का प्रतिशत d. Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत ई Percentage of profit before tax to: कर पूर्व लाभ का प्रतिशत:	पातों को नीचे दिर of the Port [*] 2016 ह लिए सहित) 283 ग 962 1 40.	ज्ञाया गया है : Frust are sho -17 2017- 3.38 280. 2.72 710. 69 41.8 5 27.3	own below: 18 2018-19 74 251.00 40 336.97 11 49.47 33 38.29	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इसी कारण क्र.सं. (च) में उल्लिखित नियोजित पूंजी के लाभ का प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा परिकलन किए गए प्रतिशत से भिन्न है। The figures mentioned in Ratio Analysis are hereby confirmed. However, as explained in our reply to Sr. No. 1 – Annexure-II Financial Position, the Port's method of calculation of Capital Employed is different than the method used by Audit, hence, the	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वितीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनु Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health Particulars विवरण a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं वे Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों) b. Percentage of Quick Assets to Current वर्तमान देयताओं के लिए दिविधा परिसम्पत्तियों का प्रतिशत ट. Percentage of Sundry Debtors to प्रचालनीय आय के Operating Income लिए विविधा देनदारों का प्रतिशत d. Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत	पातों को नीचे दिख of the Port [*] 2016 5 लिए 283 सहित) 283 र 962	जाया गया है : Frust are sho -17 2017- 3.38 280. 2.72 710. 69 41.8 5 27.3	own below: 18 2018-19 74 251.00 40 336.97 11 49.47 3 38.29	एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन कीपद्धित लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इसी कारण क्र.सं. (च) में उछिखित नियोजित पूंजी के लाभ का प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा परिकलन किए गए प्रतिशत से भिन्न है। The figures mentioned in Ratio Analysis are hereby confirmed. However, as explained in our reply to Sr. No. 1 – Annexure-II Financial Position, the Port's method of calculation of Capital Employed is different than the	









वित्तीय निष्पादन की रूपरेषा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE 2018-19 के वित्तीय मुख्य अंश / Financial Highlights for 2018-19

2018-19 में पतन की प्रचालनीय आय 2017-18 की ₹.1,890.88 करोड से बढ़कर ₹. 1,988.99 करोड हो गई । वर्ष 2018-19 का प्रचालनीय व्यय ₹.763.71 करोड रहा जबिक पिछले वर्ष 2017-18 का ₹. 751.24 करोड था । प्रचालनीय लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के ₹. 1,139.64 करोड से 2018-19 में ₹. 1,225.28 करोड हो गया । कर पूर्व लाभ 2017-18 में ₹.1,442.27 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹.1,447.61 करोड़ हो गया है । कर के बाद निवल लाभ 2017-18 के ₹. 952.04 करोड से बढ़कर 2018-19 में ₹. 957.33 करोड़ हो गया ।

The Operating Income of the Port increased to ₹ 1,988.99 Crores in 2018-19 from ₹. 1,890.88 Crores in 2017-18. The Operating Expenditure in 2018-19 was ₹ 763.71 Crores as against ₹. 751.24 Crores in 2017-18. The Operating Profit in 2018-19 is ₹ 1,225.28 Crores against ₹ 1,139.64 Crores in the Previous Financial year. The Profit before Tax in 2018-19 has increased to ₹ 1,447.61 Crores from ₹. 1,442.27 Crores in 2017-18. The Net Profit after Tax in 2018-19 has increased to ₹ 957.33 Crores from ₹. 952.04 Crores in 2017-18.

पत्तन के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए है :


The Summarised Financial Results of the Port are furnished below:

(₹ करोड रुपयो में / in Crores)

अ.क्र. Sl. No.	विवरण / Description	2018-19	2017-18
1	प्रचालनीय आय/ Operating Income	1,988.99	1,890.88
2	प्रचालनीय व्यय/Operating Expenditure	763.71	751.24
3	प्रचालनीय लाभ/Operating Profit (1-2)	1,225.28	1,139.64
4	वित्त एवं विविध आय/Finance & Misc. Income	433.89	345.46
5	वित्त एवं विविध व्यय/Finance & Misc. Expenditure	190.27	45.14
6	निवल पूर्व अवधि प्रभार/Net Prior Period Charges	21.29	(2.31)
7	कर पूर्व लाभ/Profit before Tax	1,447.61	1,442.27
8	कराधान हेतु प्रावधान/Provision for Taxation	490.29	490.23
9	Net Profit / निवल लाभ	957.33	952.04












2018-19 में कुल आय का उपयोग कैसे हुआ (प्रकार के अनुसार व्यय) UTILISATION OF TOTAL INCOME IN 2018-19 (BY TYPE WISE EXPENSES)

रु. करोड में और % कुल आय के भाग अनुसार/ Rs. in Crores & % as prop. of Total Income










2018-19 में कुल आय का उपयोग (नि.प्र.ह. सहित) कार्यात्मक विभाग द्वारा UTILISATION OF TOTAL INCOME (INCLUDING BOT) IN 2018-19 BY FUNCTIONAL DEPARTMENT


रु. करोड में और % कुल आय के भाग अनुसार/ Rs in Crores & % as prop. of Total income







2018-19 में कुल आय का उपयोग (नि.प्र.ह. को छोडकर) प्रकार्यात्मक विभागों द्वारा UTILISATION OF TOTAL INCOME (EXCLUDING BOT) IN 2018-19 BY FUNCTIONAL DEPARTMENT








में कुल आय का संयोजन वर्ष 2018-19 COMPOSITION OF TOTAL EXPENDITURE 2018-19

रु. करोड में और % कुल आय के भाग अनुसार/ Rs in Crores & % as prop. of Total Expenditure








कुल आय 2018-19 की रचना COMPOSITION OF TOTAL INCOME 2018-19

रु. करोड में और % कुल आय के भाग अनुसार/ Rs in Crores & % as prop. of Total income








में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप मे कर्मचारी व्यय (कर को छोड़कर) वर्ष 2018-19 EMPLOYEES EXPENDITURE AS A PERCENTAGE OF TOTAL EXPENDITURE (EXCLUDING TAX) 2018-19

रु. करोड में और % कुल आय के भाग अनुसार/ Rs in Crores & % as prop. of Total Expenditure (Excluding Tax)







वित्तीय संकेतक/ FINANCIAL INDICATOR

(करोड रु.में) (₹ in Crores)

SI	. No.	विवरण/ Description	2018-19	2017-18
1		नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ / Return on Capital Employed		
	क a	कर पूर्व लाभ / Profit before Tax	1,447.61	1,442.26
	ख b	जोडे Add : ऋणों पर ब्याज/Interrest on Loan	113.01	42.38
	ग C	घटाएणं Less निवेश पर ब्याज interest on Investment	417.61	339.68
	घ d	ब्याज से पहले लाभ (क+ख+ग)/Profit before interest	1,142.99	1,144.96
	ਚ e	निवल नियोजित पूंजी (चालू कार्य, बँक सावधि जमा निकालकर) Net Capital Employed (Excl. WIP, BANK TDR)	3,803.58	3,797.39
	छ f	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर (घ/ङ) Rate of Return on Capital Employed (d/e)	30.05%	30.15%
2		ऋण से पुंजी आरक्षित / Debt to Reserves & Surplus		
	क a	देय ब्याज सहित ऋण/ Debt including interest due	2,897.09	1,819.85
	ख b	पुंजी आरक्षित/Reserves & Surplus	9,805.34	8,860.06
	ग C	अनुपात / Ratio	0.30	0.21
3		वर्तमान परिसम्पत्तियां से वर्तमान देयताएं Current Assets to Current Liabilities		
	क a	वर्तमान परिसम्पत्तियां (बँक सावधि जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR)	8,960.61	6,070.15
	ख b	वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान/Current Liabilities & Provisions	4,882.62	3,811.52
	ग С	अनुपात / Ratio	1.83:1	1.59:1





वित्तीय संकेतक / FINANCIAL INDICATOR

(करोड रु.में) (₹ in Crores)

व्र	5. सं.	विवरण		
SI	. No.	Description	2018-19	2017-18
4		(वर्तमान परिसम्पतियां से कुल परिसम्पत्तियां)/ Current Assets to Total Assets		
	क a	(वर्तमान परिसम्पत्तियां (बँक साविध जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR)	8,960.61	6,070.15
	ख b	कुल परिसम्पत्तियाँ / Total Assets	17,812.41	14,747.27
	ग С	अनूपात/ Ratio	0.50:1	0.41:1
5		प्रचालनीय अनुपात / Operating Ratio		
	क a	प्रचालनीय व्यय/ Operating Expenditure	763.71	751.24
	ख b	प्रचालनीय आय/ Operating Income	1,988.99	1,890.88
	ग C	अनुपात / Ratio (%)	38.40%	39.73%
6		वर्तमान परिसम्पत्तियों से भंडार एवं सामग्री Store and Materials to Current Assets		
	क a	भंडार एवं सामग्री का समापन स्टाक Closing Stock of Store and Materials	30.85	32.10
	ख b	वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (सावधी जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR	8,960.61	6,070.15
	ग С	अनुपात / Ratio	0.34%	0.53%
7		कार्यचालन अनुपात / WorkingRatio		
	क а	प्रचालनीय व्यय (मूल्यऱ्हास छोडकर) Operating Expenditure (Excl. Depreciation)	685.57	674.42
	ख b	प्रचालनीय आय/ Operating Income	1,988.99	1,890.88
	ग С	अनुपात / Ratio	34.47%	35.67%






नियोजित और अनियोजित योजनाओं पर पूंजीगत व्यय Capital Expenditure on Plan & other Plan Scheme

(करोड रु. में) (₹ in Crores)

विवरण Description	नियोजित कार्य / Plan Works	अनियोजित कार्य / Other Plan Works
वर्तमान वर्ष / Current Year		
अनुमोदित उपरिव्यय (वार्षिक)/ Approved Outlay (Annual 2018-19)		
बजट प्राक्क़लन / Budget Estimates	2,016.45	48.90
संशोधित प्राक्कलन / Revised Estimates	2,740.01	77.38
आंतरिक संसाधन / Internal Resources	2,740.01	77.38
बजट सहायता / Budgetary Support	-	-
अन्य / Other	-	-
কুল / Total	2,740.01	77.38
वास्तविक व्यय / Actual Expenditure in 2018-19 योजना अवधि के लिए संचित/ Cumulative for the Plan Period		
12 वी योजना में प्रस्तावित उपरिव्यय / Proposed Outlay During XII Plan 2018-19	24,646.64	-
आंतरिक संसाधन / Internal Resources	5,764.62	21.43
बजट सहायता / Budgetary Support	74.59	-
अन्य एवं नि.प्र.ह./ Other & BOT	18,786.00	-
কুল / Total	49,271.85	21.43
वर्ष 2018-19 तक वास्तविक खर्च Actual Expenditure during 2018-19	1635.18	11.40










तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निधियों के स्रोत				
SOURCES OF FUNDS				
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS				
RESERVES AND SURPLUS				
पूंजीगत आरक्षित निधियाँ				
CAPITAL RESERVE	17,933,792,675	18,519,792,675	20,005,268,567	22,480,568,567
राजस्व आरक्षित निधियाँ				
REVENUE RESERVE	3,563,106,533	5,168,723,183	7,477,328,053	9,530,498,219
सांविधिक आरक्षित निधियाँ STATUTORY RESERVE	2,618,058,073	4,782,810,767	5,196,992,952	4,128,414,097
OTATOTORY RECEIVE	2,010,000,010	1,702,010,707	0,100,002,002	1,120,111,001
अवसंरचना आरक्षित निधि				
INFRASTRUCTURE RESERVE	11,798,997,137	12,878,887,920	14,836968,879	16,426,635,062
कुल आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष				
TOTAL RESERVES AND SURPLUS	35,913,954,418	41,350,214,545	47,516,558,451	52,566,115,945







तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)


2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
33,012,568,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567
1,506,867,430	2,251,513,116	7,055,232,499	23,875,023,826	30,926,470,105	38,026,125,071
3,838,245,162	14,726,147,546	17,109,308,818	19,398,435,589	21,590,916,632	23,944,117,106
19,271,801,025	10,129,588,419	10,129,588,419			
57,629,482,184	63,190,417,647	70,377,298,303	79,356,627,982	88,600,555,305	98,053,410,744



विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण LOANS				
भारत सरकार से प्राप्त ऋण LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA				
भारत सरकार से प्राप्त ऋण (विश्व बैंक) LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA (W.B.)				
मुम्बई पत्तन न्यास से ऋण LOAN FROM MUMBAI PORT TRUST				
कांडला पत्तन न्यास से ऋण LOAN FROM KANDLA PORT TRUST				
चेन्नई पत्तन न्यास से ऋण LOAN FROM CHENNAI PORT TRUST				
अपरिवर्तनीय डिबेंचर NON CONVERTIBLE DEBENTURES				
गैर—योजना सरकारी ऋण NON-PLAN GOVERNMENT LOAN				
बैंक ऋण BANK LOANS				
कर मुक्त बॉण्ड एमजेपी आरसीएल के लिए बाह्य TAX FREE BONDS व्यावसायिक ऋण ECB LOAN FOR MJPRCL				413,196,000
कुल ऋण देयता TOTAL LOAN LIABILITY				413,196,000
पेन्शन एवं भविष्य निधियाँ PENSION AND PROVIDENT FUNDS				
आस्थागित कर देयता DEFERRED TAX LIABILITIES	740,043,865	815,275,818	893,850,320	971,788,362
निधियों के कुल स्रोत				
TOTAL SOURCES OF FUNDS	36,653,998,283	42,165,490,363	48,410,408,772	53,951,100,307




2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
_					
-	-				
-					
-				-	
-	-			-	
-					
-					
-					
413196000 2797200000	413196000 17785284029	413196000 5,155,250,750	413,196,000	413,196,000	413,196,000
28,385,196,001	18,198,480,029	5,568,446,750	413,196,000	413,196,000	413,196,000
-	-			-	
2,859,324,616	2,558,462,034	2,207,304,709	1,833,524,284	1,443,822,599	1,024,838,126
129,297,931,364	109,357,497,368	87,132,379,441	72,624,018,587	65,047,436,246	59,067,516,310







विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS				
FIXED ASSETS				
पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ				
CAPITAL ASSETS (Incl. WIP)	15,407,741,555	15,873,782,301	17,291,167,251	19,584,493,586
घटाएँ : मूल्यह्रास LESS DEPRECIATION	4,899,791,095	5,070,529,760	5,455,760,323	5,886,750,584
				.,,
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ				
NET FIXED ASSETS	10,507,950,461	10,803,252,540	11,835,406,928	13,697,743,002
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR	445,318,355	427,142,095	408,965,836	390,789,576
निवेश				
INVESTMENTS				
भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि निवेश PF & PENSION FUND INVESTMENTS			-	
अन्य निवेश				
OTHER INVESTMENTS	777,000,000	775,000,000	700,500,000	400,000,000
कुल निवेश				
TOTAL INVESTMENTS	777,000,000	775,000,000	700,500,000	400,000,000




2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
29,673,804,295	31,130,115,877	33,701,011,302	36,548,390,744	47,784,049,691	61,155,049,14
0.000.700.474	0.000.005.740	7 000 004 000	0.000.000.005	0.700.400.000	0.540.057.04
6,298,768,174	6,693,365,710	7,369,661,082	8,023,903,865	8,788,136,866	9,548,357,24
23,375,036,121	24,436,750,166	26,331,350,220	28,524,486,880	38,995,912,825	51,606,691,89
372,613,317	354,437,058	336,260,798	315,026,027	346,040,856	324,790,09
550,000,000	580,000,000	733,000,000	767,810,000	1,126,871,516	3,637,323,02
000,000,000	000,000,000	700,000,000	707,010,000	1,120,011,010	0,007,020,02
FF0 000 000	F00 000 000	700 000 000	707.040.000	4 400 074 540	2 027 000 00
550,000,000	580,000,000	733,000,000	767,810,000	1,126,871,516	3,637,323,02




विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ DEFERRED TAX ASSETS				
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ और अग्रिम ऋण CURRENT ASSETS AND ADVANCES LOANS	32,747,535,750	40,052,290,870	48,227,146,169,	57,786,223,456
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7,823,806,282	9,892,195,142	12,761,610,161	18,323,655,727
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ NET CURRENT ASSETS	24,923,729,467	30,160,095,728	35,465,536,008	39,462,567,7 29
ਬਾਟਾ DEFICIT				
निधियों का कुल योग TOTAL OF ASSETS	36,653,998,283	42,165,490,363	48,410,408,772	53,951,100,307




2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
		-	-		
54,645,488,169	62,601,172,964	71,252,725,817	88,894,820,460	107,003,905,166	122,555,327,834
19,875,621,298	22,924,923,943	26,029,318,248	31,369,763,925	38,115,232,995	48,826,201,483
34,769,866,871	39,676,249,021	45,223,407,569	57,525,056,535	68,888,672,171	73,729,126,352
59,067,516,310	65,047,436,246	72,624,018,587	87,132,379,441	109,357,497,368	129,297,931,364




विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रचालनीय आय OPERATING INCOME				
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार Bulk Handiling & Storage Charges	23,956,447	63,697,121	39,466,141	70,733,994
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार Container Handling & Storage Charges	2,174,376,870	2,531,976,034	2,825,358,784	3,183,842,607
पत्तन तथा गोदी प्रभार Port & Dock Charges	1,601,737,157	1,623,096,312	1,667,271,747	1,826,483,150
संपदा किराए Estate Rentals	641,349,592	658,299,841	772,467,296	814,062,215
नि.प्र.ह. ठेकों से आय Income From BOT contracts	5,979,207,883	6,349,280,914	6,366,921,077	5,083,636,314
कुल प्रचालनीय आय (क) TOTAL OPERATING INCOME (A)	10,420,627,949	11,226,350,222	11,671,485,045	10,978,740,280




2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
54,074,330	63,195,450	86,152,536	85,542,832	88,905,432	89,044,709
34,074,330	03,193,430	60,152,550	05,542,052	00,900,402	03,044,703
3,319,797,683	4,199,055,841	4,885,706,658	5,268,198,530	5,384,299,352	3,980,400,316
2,075,925,305	2,622,280,315	3,394,336,521	3,588,008,538	4,302,206,666	4,731,303,475
928,848,423	965,875,838	1,025,064,661	929,231,379	1,239,542,568	1,505,483,760
7,074,277,312	7,230,371,788	7,259,730,147	7,138,675,375	7,893,891,243	9,583,696,755
13,452,923,053	15,080,779,231	16,650,990,523	17,009,656,654	18,908,845,261	19,889,929,015



विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रचालनीय व्यय OPERATING EXPENDITURE				
बल्क प्रहस्तन तथा भंडारण Bulk Handling & Storage	39,833,243	42,151,211	58,133,366	76,877,476
कंटेनर प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार Container Handling & Storage Charges	1,402,771,617	1,502,621,970	1,797,573,799	2,364,700,002
नौवहन हेतु पत्तन एवं गोदी सुविधाएँ Port & Dock Facilities for Shipping	843,582,801	874,090,873	828,358,412	872,604,425
रेल कार्यचालन Railways Working	12,145,606	12,145,606	12,145,606	12,141,820
किराए योग्य भूमि एवं भवन Rentable Lands & Buildings	327,969,254	432,928,101	419,508,080	709,837,372
बीओटी ठेकों पर व्यय Expenditure on BOT Contracts	460,553,448	520,175,754	627,485,505	696,823,151
उप-योग SUB-TOTAL (EXPENDITURE)	3,086,855,969	3,384,113,516	3,743,204,768	4,732,984,246
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन Management & General Administration	850,170,988	1,060,452,758	1,253,083,830	1,354,045,817
कुल प्रचालनीय व्यय (ख) TOTAL OPERATING EXPENSE (B)	3,937,026,957	4,444,566,274	4,996,288,598	6,087,030,063



2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
97,696,786	49,958,318	49,782,586	38,098,426	78,843,952	83,169,559
2,694,152,149	3,300,042,007	2,848,048,970	2,678,685,937	2,770,967,261	2,596,425,558
1,425,027,584	1,194,242,253	1,903,695,236	1,626,038,375	1,100,698,686	886,915,804
12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823
385,993,799	337,192,745	351,507,368	291,703,688	527,351,349	433,986,508
937,041,758	773,228,996	836,993,489	679,742,326	743,324,261	622,423,768
5,552,053,899	5,666,806,142	6,002,169,472	5,326,410,575	5,233,327,332	4,635,063,020
2,085,090,883	1,845,629,117	2,047,501,995	1,604,744,132	1,481,803,106	1,475,200,855
7,637,144,782	7,512,435,259	8,049,671,467	6,931,154,707	6,715,130,438	6,110,263,875






(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रचालनीय लाभ (क-ख) OPERATING PROFIT (A-B) C=(A-B)	6,483,600,991	6,781,783,948	6,675,196,447	4,891,710,217
वित्त एवं विविध आय Add Finance & Miscellaneous Income (D)	1,769,295,458	1,663,753,901	2,801,694,968	3,979,601,738
वित्त एवं विविध व्यय Less Finance & Miscellaneous Expenses (E)	257,603,306	575,270,774	791,081,201	1,566,749,298
निवल पूर्व अवधि मदें Net prior Period Charges (F)	161,566,041	3,537,107	(243,732,014)	(2,905,625)
कर पूर्व लाभ PROFIT BEFORE TAX G=(C+D+E+F)	7,833,727,103	7,866,711,969	8,929,542,228	7,307,468,282
कराधान हेतु प्रावधान Less Provision for Taxation -(H) वर्तमान कर Current tax आस्थगित कर Deferred tax	2,337,277,598	2,355,582,045	2,680,654,046 78,574,502	2,179,972,746
अनुषंगी लाभ कर Fringe Benefit Tax	83,344,261	75,231,953	-	77,938,042
निवल लाभ (असाधारण मदों से पूर्व) NET PROFIT (Before EOI) (I = G - H)	5,413,105,244	5,435,897,971	6,170,313,680	5,049,557,494
असाधारण मर्दे Extra Ordinary Items (परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि) (Loss on sale of Assets)	-	-	-	-
निवल लाभ (कर तथा असाधारण मदें के बाद) NET PROFIT AFTER TAX AND EOI	5,413,105,244	5,435,897,971	6,170,313,680	5,049,557,494

टिप्पणियाँ : 1. वित्तीय वर्ष 2002-03 तक बीओटी ठेकों से प्राप्त आय, वित्त एवं विविध आय के अधीन दिखाई गई है।

- 2. वित्त एवं विविध आय / व्यय के हिस्से वाली पूर्व अवधि मदों को वित्तीय वर्ष 2003-04 से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।
- 3. आस्थगित कर वित्तीय वर्ष 2003-04 से शुरू हुआ।
- 4. बोनस वित्त एवं विविध के बजाय सम्बंधित विभागों में दर्शाया गया है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2002-03 तक किया जा रहा था।






(राशि रु. में / Amount in Rs)


2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
7,342,659,178	8,365,648,793	9,719,835,816	8,959,985,187	11,396,410,002	12,252,784,233
3,524,300,049	3,013,273,963	3,195,986,105	4,614,603,346	3,454,575,629	4,338,894,673
3,112,432,471	2,938,684,703	1,321,122,525	165,319,226	451,445,406	1,902,655,516
83,921,943	16,006,762	(49,955,453)	(38,092,956)	(23,096,920)	212,898,144
7,670,604,812	8,424,231,291	11,644,654,849	13,447,362,262	14,422,637,145	14,476,125,246
2,554,188,811	2,444,311,354	3,339,572,508	4,280,352,159	4,551,097,040	4,601,993,947
53,049,764	418,984,473	389,701,685	373,780,425	351,157,325	300,862,582
-	-	-	-	-	
5,063,366,237	5,560,935,464	7,915,380,656	8,793,229,679	9,520,382,779	9,573,268,717
-	-	728,500,000	-	-	
5,063,366,237	5,560,935,464	7,186,880,656	8,793,229,679	9,520,382,779	9,573,268,71

Notes:


- 1. Till F.Y 2002-03 Income from BOT contracts shown under F&M Income.
- 2. Prior Period items forming part of F&M Income/Expenditure are distinctly shown from F.Y 2003-04.
- 3. Deferred Tax introduced from the F.Y 2003-04.
- 4. Bonus allocated to respective depertments instead of F&M as was being done till F.Y 2002-03.




विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रचालनीय आय Operating Income	1,042.06	1,122.64	1,167.15	1,097.87
प्रचालनीय व्यय Operating Expenses	393.70	444.46	499.63	608.70
वित्त एवं विविध आय F&M Income	176.93	166.37	304.54	398.25
प्रचालनीय अनुपात Operating Ratio (%)	37.78%	39.59%	42.81%	55.44%
कुल आय (करोड़ों में) Total Income (in crs)	1,218.99	1,289.01	1,471.69	1,496.12
निवल लाभ / हानि (करोड़ों में) Net Profit / (Loss) (in crs)	541.31	543.59	617.03	504.96
निवल लाभ अनुपात Net Profit Ratio (%)	44.41%	42.17%	41.93%	33.75%
कुल आय में वित्त एवं विविध आय का अनुपात / Ratio of F&M Income to total income (%)	14.51%	12.91%	20.69%	26.62%




2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1,345.29	1,508.08	1,665.10	1,700.97	1,890.88	1,988.99
611.03	671.51	693.12	804.97	751.24	763.71
352.43	301.33	319.60	461.46	345.46	433.89
45.42%	44.53%	41.63%	47.32%	39.73%	38.40%
1,697.72	1,809.41	1,984.70	2,162.43	2,236.34	2,422.88
506.34	556.09	718.69	879.32	952.04	957.33
29.82%	30.73%	36.21%	40.66%	42.57%	39.51%
20.76%	16.65%	16.10%	21.34%	15.45%	17.91%




विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (टीडीआर सहित) Current Assets (Including TDR)	3,274.75	4,005.23	4,822.71	5,778.62
वर्तमान देयताएँ Current Liabilities	782.38	989.22	1,276.16	1,832.37
वर्तमान अनुपात (कितने गुना) Current Ratio (No of times)	4.19	4.05	3.78	3.15
निवल लाभ Net Profit	541.31	543.59	617.03	504.96
इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष) Equity (Reserves and Surplus)	3,591.40	4,135.02	4,751.66	5,256.61
निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (प्रतिशत) Return on Networth (%)	15.07%	13.15%	12.99%	9.61%
কুল ऋण Total Debt	-	-	-	41.32
ऋण में इक्विटी अनुपात Debt To Equity ratio	-	-		0.01
नियोजित पूंजी Capital Employed	1,671.98	1,777.08	1,942.04	1,785.32
नियोजत पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत) Return on Capital Employed (%)	37.55%	35.59%	32.81%	23.24%




2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
5,464.55	6,260.12	7,125.27	8,889.48	10,700.39	12,255.53
1,987.56	2,292.49	2,602.93	3,136.98	3,811.52	4,882.62
2.75	2.73	2.74	2.83	2.81	2.51
506.34	556.09	718.69	879.32	952.04	957.33
5,762.95	6,319.04	7,037.73	7,935.66	8,860.06	9,805.34
8.79%	8.80%	10.21%	11.08%	10.75%	9.76%
41.32	41.32	41.32	556.84	1819.85	2838.52
0.01	0.01	0.01	0.07	0.21	0.29
2,010.91	3,247.88	3,555.27	3,603.38	3,797.39	3,803.58
21.72%	17.02%	22.49%	25.50%	30.15%	30.05%




विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सूखा बल्क DRY BULK	-	870,686	708,118	593,556
विघटित बल्क BREAK BULK	1,038,678	214,864	128,511	105,876
वाहन VEHICLES	1,059	-	_	-
वाहन (संख्या) VEHICLES (Nos.)	(756)	-	-	
वाहनों सहित विघटित बल्क BREAK BULK INCL VEHICLES	1,039,737	214,864	128,511	105,876
द्रव — जनेप न्यास बल्क LIQUID-JNPT BULK	128,166	136,385	80,844	-
द्रव — (बीपीसीएल) LIQUID (BPCL)	6,499,227	6,660,985	6,576,569	5,879,354
कुल द्रव - (जनेप बल्क + बीपीसीएल) TOTAL LIQUID (JNPT BULK+BPCL)	6,627,393	6,797,370	6,657,413	5,879,354
कुल बल्क TOTAL BULK	7,667,130	7,882,920	7,494,042	6,578,786




2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
700,977	652,584	674,064	815,680	904,624	997,593
115,941	25,678	58,109	24,410	46,997	30,547
-	-	_	_	-	-
-	-	-		-	-
115,941	25,678	58,109	24,410	46,997	30,547
115,263	441,850	537,913	523,967	583,160	566,025
6,166,394	5,747,794	5,966,743	6,257,018	6,603,321	6,997,785
6,281,657	6,189,644	6,504,656	6,780,985	7,186,481	7,563,810
7,098,575	6,867,906	7,236,829	7,621,075	8,138,102	8,591,950



विवरण Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कंटेनर (जनेप कं.ट.) CONTAINER (JNPCT)				
टनभार / TONNAGE	10,613,410	12,137,331	14,530,258	16,031,669
टीईयू / TEUs	(776,222)	(876,368)	(1,027,951)	(1,208,133)
कंटेनर (एनएसआईसीटी/डीपी वर्ल्ड) CONTAINER (NSICT/DP WORLD)				
टनभार / TONNAGE	20,523,384	21,012,710	19,461,342	14,941,313
टीईयू / TEUs	(1,532,075)	(1,537,240)	(1,401,847)	(1,044,105)
कंटेनर (एनएसआईजीटी) CONTAINER (NSIGT) टनभार / TONNAGE				
टीईयू / TEUs	-	-	-	-
कंटेनर (जीटीआईपीएल/एपीएम टर्मिनल) CONTAINER (GTIPL/APM TERMINAL)				
ਟਜਮਾर / TONNAGE	21,959,040	23,276,077	24,241,516	26,938,409
टीईयू / TEUs	(1,753,046)	(1,856,203)	(1,891,104)	(2,007,076)
कंटेनर (बीएमसीटीपीएल) CONTAINER (BMCTPL)				
टनभार / TONNAGE	_	_	-	_
टीईयू / TEUs	-	-	-	-
कुल टनभार (जनेप कंट+एनएसआईसीटी +जीटीआईपीएल+एनएसआईजीटी + बीएमसीटीपीएल) TOTAL CONTAINER TONNEAGE				
(JNPCT + NSICT + GTIPL + NSIGT + BHTCPL)	53,095,834	56,426,118	58,233,116	57,911,391
कुल टीईयू (जनेप कंट+एनएसआईसीटी +जीटीआईपीएल+एनएसआईजीटी+ बीएमसीटीपीएल) TOTAL CONTAINER TEUS				
(JNPCT + NSICT + GTIPL + NSIGT + BHTCPL)	(4,061,343)	(4,269,811)	(4,320,902)	(4,259,314)
कुल योग GRAND TOTAL (TONNAGE)	60,762,964	64,309,038	65,727,158	64,490,177



2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
16,724,073	15,946,985	17,976,822	18,297,756	16,568,564	12,447,206
(1,312,715)	(1,294,002)	(1,429,223)	(1,533,975)	(1,481,768)	(1,056,368)
13,189,163	14,133,771	12,055,150	8,900,431	7,876,537	6,852,374
(969,456)	(1,160,219)	(999,680)	(728,560)	(641,122)	(560,661)
		2,463,588	5,553,759	8,282,970	12,159,078
-	-	(202,328)	(445,111)	(659,400)	(947,665)
25,321,082	26,852,628	24,294,531	21,778,297	24,893,462	24,900,624
(1,879,528)	(2,012,474)	(1,860,283)	(1,792,503)	(2,027,895)	(2,048,454)
-	-	-	-	244,493	5,754,697
-	-	-	-	(23,212)	(520,126)
55,234,318	56,933,384	56,790,091	54,530,243	57,866,026	62,113,979
(4,161,699)	(4,466,695)	(4,491,514)	(4,500,149)	(4,833,397)	(5,133,274)
62,332,893	63,801,290	64,026,920	62,151,318	66,004,128	70,705,929





यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोडा गया है। This page is kept intentionally blank